रजिस्ट्री सं० डी० एल० 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 147] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 4, 2016/फाल्गुन 14, 1937

No. 147] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 4, 2016/PHALGUNA 14, 1937

## खान मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मार्च, 2016

**सा.का.नि. 279(अ).**—केंद्रीय सरकार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् : -

### अध्याय-1 : प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**–इन नियमों का संक्षिप्त नाम खनिज (परमाणु और हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत नियम, 2016 है।

(2) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे।

2. **परिभाषाएं.**–इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) "अधिनियम" से खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) अभिप्रेत है;

(ख) "संयुक्त अनुज्ञप्ति" से अधिनियम में यथा परिभाषित पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति-सह-खनन पट्टा अभिप्रेत है;

(ग) "अवैध खनन" से किसी व्यक्ति या किसी कंपनी द्वारा किसी क्षेत्र में धारा 4 की उप-धारा (1) के अधीन यथा अपेक्षित खनिज रियायत धारण किए बिना की गई कोई भूमिक्षण अथवा पूर्वेक्षण अथवा खनन संक्रिया अभिप्रेत है।

**स्पष्टीकरण**- इस खंड के प्रयोजन के लिए, -

(क) खनन पट्टे के धारक द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र के भीतर धारा 23ग के अधीन बनाए गए नियमों से भिन्न, नहीं नियमों का उल्लंघन के अंतर्गत अवैध खनन नहीं आएगा; और

(ख) अवैध खनन की सीमा का अवधारण करते समय, किसी खनिज रियायत के अधीन अनुदत्त किसी क्षेत्र को ऐसी खनिज रियायत के धारक द्वारा विधिपूर्ण प्राधिकार से धारण किया हुआ क्षेत्र माना जाएगा;

(घ) "खनिज रियायत" से यथा लागू भूभीक्षण अनुज्ञापत्र, गैर-अनन्य भूभीक्षण अनुज्ञापत्र, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति-सह-खनन पट्टा, अथवा खनन पट्टा, अभिप्रेत है;

(ङ.) "रेलवे" तथा "रेलवे प्रशासन" के वह अर्थ होंगे जो रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) में क्रमश: उनके हैं;

(च) "खान साधारण" से किसी पट्टा क्षेत्र के खनिजीकृत जोन से, विस्फोटन अथवा खुदाई के पश्चात् उसकी प्राकृतिक अवस्था में अभिप्राप्त कच्ची अप्रसंस्कृत अथवा असंदलित सामग्री अभिप्रेत है;

(छ) "अनुसूची" से इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है;

(ज) "पूर्वेक्षण स्कीम" से खनिज (खनिज अंतर्वस्तु का साक्ष्य) नियम, 2015 के अनुपालन में भारतीय खान ब्यूरो द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट रूप विधान में तैयार स्कीम अभिप्रेत है;

(झ) 'धारा' से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

(ञ) 'प्राक्कलित ससाधनों का मूल्य' से न -

(i) ऐसे खनिज संसाधनों के जिनके लिए, यथास्थिति, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति-सह-खनन पट्टा अथवा खनन पट्टा अनुदत्त किया गया है, मीट्रिक टन में अभिव्यक्त अनुमानित परिमाण; और

(ii) अनुमानित संसाधनों के मूल्य की संगणना के मास से ठीक पहले के बारह मास की अवधि के लिए सुसंगत राज्य हेतु भारतीय खान ब्यूरो द्वारा यथा प्रकाशित ऐसे खनिज की प्रति मीट्रिक टन औसत कीमत; के गुणनफल के बराबर राशि अभिप्रेत है

(2) उन शब्दों और पदों का जो इसमें प्रयुक्त हैं किंतु परिभाषित नहीं है; वहीं अर्थ होगा जो उनका अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन दिए गए हैं ।

3. **लागू होना.**—ये नियम (i) धारा 3 के खंड (ङ.) के अधीन परिभाषित गौण खनिजों; और (ii) अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग-क और भाग-ख में सूचीबद्ध खनिजों के सिवाय सभी खनिजों को लागू होंगे ।

4. **'1962 के अधिनियम 33 की व्यावृति'**.–इन नियमों की कोई बात परमाणु ऊर्जा अधिनियम,1962 (1962 का 33) के तथा उसके अधीन की प्रथम अनुसूची के भाग-ख में सूचीबद्ध परमाणु खनिजों से संबंधित अनुज्ञापन के संबंध में बनाए गए नियमों के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी ।

## अध्याय-2 : खनिज रियायतों के विद्यमान धारकों के अधिकार

**5. संवीक्षण अनुज्ञापत्र के धारक के अधिकार** (1) जनवरी 12, 2015 से पूर्व अनुदत्त संवीक्षण अनुज्ञापत्र का धारक, धारा 10क की उप-धारा (2) के खंड (ख) के उपखंड (i) से उपखंड (iv) में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने पर अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट रूप विधान में पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति अनुदत्त किए जाने के लिए राज्य सरकार को भूभीक्षण अनुज्ञापत्र की समाप्ति के पश्चात् तीन मास की अवधि के भीतर अथवा छह मास से अनधिक की ऐसी अवधि के भीतर जो राज्य सरकार द्वारा उपनियम (4) के अनुसरण में बढ़ाई जाए आवेदन कर सकेगा ।

(2) राज्य सरकार, आवेदक को, उपनियम (1) के अधीन प्रस्तुत आवेदन की प्राप्ति की पावती अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट रूप विधान में, आवेदन की प्राप्ति के तीन दिन की अवधि के भीतर भेजेगी :

परंतु ऐसे भूभीक्षण अनुज्ञापत्र का धारक से, जिसने इन नियमों के प्रारंभ के पूर्व पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति अनुदत्त किए जाने के लिए राज्य सरकार को पहले ही आवेदन कर दिया है, नए सिरे से आवेदन प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं होगा और उसके लंबित आवेदन को उपनियम (3) में विनिर्दिष्ट फीस के भुगतान के अध्यधीन इस नियम के अधीन किया गया आवेदन माना जाएगा ।

(3) उपनियम (1) के अधीन पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति अनुदत्त किए जाने के लिए आवेदनों के साथ, उस क्षेत्र जिसके लिए पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन किया गया है, आनुपातिक आधार पर एक हजार रुपए प्रति वर्ग किलोमीटर की अप्रतिदेय फीस संलग्न की जाएगी ।

(4) धारा 10क की उप-धारा(2) के खंड (ख) के उपखंड (iv) के अनुसरण में, भूभीक्षण अनुज्ञापत्र का धारक, अनुसूची-3 में विनिर्दिष्ट रूप विधान में राज्य सरकार को लिखित में आवेदन प्रस्तुत करके उपनियम(1) के अधीन निर्दिष्ट आवेदन की प्रस्तुति के लिए समय बढ़ाए जाने का अनुरोध कर सकेगा जिसे राज्य सरकार उसके प्राप्त होने की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर स्वीकार अथवा नामंजूर करेगी ।

(5) राज्य सरकार को, उपनियम (1) के अधीन किए गए आवेदन के संबंध में आवेदक से कोई अतिरिक्त सूचना, दस्तावेज अथवा स्पष्टीकरण मांगने का अधिकार होगा ।

(6) राज्य सरकार अपना यह समाधान करने पर कि धारा 10क की उप-धारा(2) के खंड (ख) के उपखंड (i) से उपखंड (iv) में विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन कर दिया गया है, सम्यक रूप से भरे गए आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर,-

(क) अधिनियम की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट खनिजों से भिन्न किसी खनिज के लिए पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने संबंधी अपने विनिश्चय को आदेश के माध्यम से संसूचित करेगी; अथवा

(ख) अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग ग में विनिर्दिष्ट किसी खनिज के लिए पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के अनुदत्त किए जाने हेतु पूर्व अनुमोदन के लिए केंद्रीय सरकार को आवेदन अग्रेषित करेगी ।

(7) उपनियम (1) के अधीन प्राप्त ऐसे आवेदनों की दशा में, जिनके संबंध में धारा 10क की उप-धारा (2) के खंड (ख) के उपखंड (i) से उपखंड (iv) में विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन नहीं किया गया है, राज्य सरकार, आवेदक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् और किए जाने वाले कारणों से आवेदक को पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति अनुदत्त किए जाने से उसके द्वारा इनकार किए जाने की संसूचना दे सकेगी ।

(8) जहां उपनियम (6) के खंड (ख) के अधीन केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन की इच्छा की गई है, वहां केंद्रीय सरकार द्वारा ऐसे आवेदन का निपटारा ऐसे आवेदन की प्राप्ति की तारीख से एक सौ बीस दिन की अवधि के भीतर किया जाएगा और केंद्रीय सरकार का विनिश्चय राज्य सरकार को संसूचित किया जाएगा ।

(9) राज्य सरकार, उपनियम (6) के खंड (ख) के अधीन केंद्रीय सरकार के विनिश्चय की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर, यथास्थिति, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति अनुदत्त किए जाने या अनुदत्त किए जाने से इनकार किए जाने के केंद्रीय सरकार के विनिश्चय को, लिखित आदेश के माध्यम से आवेदक को सूचित करेगी ।

(10) पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति अनुदत्त किए जाने के लिए उपनियम (6) के खंड (क) अथवा उपनियम (9) के अधीन आदेश जारी किए जाने पर, ऐसी पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति का आवेदक, -

(क) पूर्वेक्षण संक्रियाएं प्रारंभ किए जाने हेतु लागू विधियों के अधीन सभी सम्मति, अनुमोदन, अनुज्ञापत्र, निराक्षेप अभिप्राप्त करेगा;

(ख) पूर्वेक्षण की स्कीम प्रस्तुत करेगा; और

(ग) अनुमानित संसाधनों के मूल्य के 0.25% के बराबर की रकम हेतु, राज्य सरकार को अनुसूची 4 में विनिर्दिष्ट रूप विधान में बैंक प्रत्याभूति के रूप में अथवा प्रतिभूति निक्षेप के रूप में कार्यपालन प्रतिभूति उपलब्ध कराएगा, और श्रेणी कार्यपालन प्रतिभूति को पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा उपयोग किया जा सकेगा ।

(11) राज्य सरकार उपनियम (10) में विनिर्दिष्ट शर्तों के पूरा होने के नब्बे दिन के भीतर अनुसूची 5 में विनिर्दिष्ट रूप विधान में आवेदक के साथ पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति विलेख निष्पादित करेगी, और यदि आवेदक की ओर से किसी चूक के कारण उक्त अवधि के भीतर ऐसी कोई अनुज्ञप्ति विलेख निष्पादित नहीं की जाते है तो राज्य सरकार अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने के आदेश को वापस ले सकेगी और उपनियम (3) के अधीन फीस जमा किए जाने की दशा में वह राज्य सरकार को समपहृत हो जाएगी ।

(12) राज्य सरकार, लेखबद्ध किए जाने वाले और आवेदक को संसूचित किए जाने वाले कारणों से, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति अनुदत्त किए जाने के समय आवेदित क्षेत्र को कम कर सकेगी ।

(13) कुल अवधि के, जिसके लिए पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति अनुदत्त की गई हैं, प्रारंभ की तारीख, उपनियम (11) के अधीन पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति विलेख के निष्पादित किए जाने की तारीख होगी ।

6. **पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति का नवीकरण-** (1) पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के नवीकरण का आवेदन पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के समाप्त होने के नब्बे दिन पहले किया जाएगा और उसके साथ निम्नलिखित कथन संलग्न होगा-

(क) नवीकरण की ईप्सा के कारण;

(ख) धारा 18 के अधीन बनाए नियमों के अधीन विहित रूप विधान में आवेदक द्वारा आरंभ की गई पूर्वेक्षण संक्रियाओं की ब्यौरेवार रिपोर्ट;

(ग) उपगत व्यय का ब्यौरा;

(घ) उन कार्य दिवसों की संख्या, जिनमें कार्य किया गया; और

(ङ) पूर्वेक्षण कार्य को पूरा करने के लिए अपेक्षित अतिरिक्त अवधि का औचित्य ।

(2) राज्य सरकार, अनुसूची 2 में पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के धारक को नवीकरण आवेदन की प्राप्ति की पावती, उसके प्राप्त होने के तीन दिन की अवधि के भीतर भेजेगी ।

(3) उपनियम(1) के अधीन पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदनों के साथ उस क्षेत्र के, जिसके लिए पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन किया गया है, आनुपातिक आधार पर एक हजार रुपए प्रति वर्ग कि.मी. की अप्रतिदेय फीस संलग्न की जाएगी ।

(4) राज्य सरकार, उपनियम (1) में विहित समय सीमा की समाप्ति के पश्चात् पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए किए गए आवेदन की प्रस्तुति में के विलंब को माफ कर सकेगी :

परंतु यह तब जबकि नवीकरण के लिए आवेदन, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति की समाप्ति के पूर्व किया गया हो ।

(5) राज्य सरकार द्वारा पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के नवीकरण संबंधी आवेदन का निपटारा पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति की अवधि की समाप्ति के पूर्व किया जाएगा ।

7. **खनन पट्टा अभिप्राप्त करने के लिए पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के धारक के अधिकार**.–(1) पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति का धारक जिसे (i) 12 जनवरी, 2015 के पूर्व, अथवा (ii) धारा 10क की उप-धारा (2) के खंड (ख) के उपखंड (i) से उपखंड (iv) में विनिर्दिष्ट शर्तों के पूरा किए जाने पर, नियम 5 के अनुसरण में अनुदत्त की गई है, अनुसूची 6 में विनिर्दिष्ट रूप विधान में खनन पट्टा अनुदत्त किए जाने हेतु राज्य सरकार को पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति की समाप्ति के पश्चात् तीन मास की अवधि के भीतर, अथवा छह मास से अनधिक की ऐसी अवधि के भीतर जो राज्य सरकार द्वारा बढ़ाई जाए, आवेदन कर सकेगा ।

(2) राज्य सरकार, आवेदक को उप-नियम (1) के अधीन प्रस्तुत आवेदन की प्राप्त की पावती आवेदन के प्राप्त होने की तीन दिन की अवधि के भीतर, अनुसूची 2 में भेजेगी :

परंतु पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के धारक से, जिसने खनन पट्टा अनुदत्त किए जाने के लिए राज्य सरकार को धारा 10क की उप-धारा (2) के खंड (ख) के उपख़ंड (iv) में विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर आवेदन इन नियमों के प्रारंभ से पूर्व किया हो, उपनियम (3) में विनिर्दिष्ट फीस के भुगतान के अध्यधीन नए सिरे से आवेदन प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं होगी ।

(3) उपनियम (1) के अधीन खनन पट्टा अनुदत्त किए जाने के लिए आवेदन के साथ खनन पट्टे हेतु आवेदित क्षेत्र पर आनुपातिक आधार पर पांच लाख रुपए प्रति वर्ग कि. मी. उप प्रतिदेय फीस संलग्न की जाएगी ।

(4) धारा 10क की उप-धारा (2) के खंड (ख) के उप-खंड (iv) के अनुसरण में, विद्यमान पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति का धारक अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट रूप विधान में राज्य सरकार को लिखित में आवेदन प्रस्तुत करके उपनियम (1) के अधीन निर्दिष्ट आवेदन की प्रस्तुति हेतु समय बढ़ाए जाने का अनुरोध कर सकेगा । राज्य सरकार ऐसे अनुरोध को उसके प्राप्त होने की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर उसे स्वीकार अथवा नामजूर करेगी ।

(5) राज्य सरकार को उपनियम (1) के अधीन किए गए आवेदन के संबंध में आवेदक से कोई अतिरिक्त सूचना, दस्तावेज अथवा स्पष्टीकरण मांगने का अधिकार होता है ।

(6) राज्य सरकार अपना यह समाधान करने पर कि धारा 10क की उप-धारा (2) के खंड (ख) के उपखंड (i) से उपखंड (iv) में विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन कर दिया गया है, सम्यक रूप से भरे गए आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर, -

(क) अधिनियम की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट खनिजों से भिन्न किसी खनिज के लिए खनन पट्टे अनुदत्त करने संबंधी अपने विनिश्चय को आदेश के माध्यम से संसूचित करेगी; अथवा

(ख) अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग ग में विनिर्दिष्ट किसी खनिज के लिए खनन पट्टा अनुदत्त किए जाने हेतु पूर्व अनुमोदन के लिए केंद्रीय सरकार को आवेदन अग्रेषित करेगी ।

(7) उपनियम (1) के अधीन प्राप्त ऐसे आवेदनों की दशा में, जिनके संबंध में धारा 10क की उप-धारा (2) के खंड (ख) के उपखंड (i) से उपखंड (iv) में विनिर्दिष्ट शर्तों को अनुपालन नहीं किया गया है, राज्य सरकार, आवेदक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् और लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से और आवेदक को संसूचित करने के पश्चात् खनन पट्टा अनुदत्त करने से इंकार कर सकेगी ।

(8) जहां उपनियम (6) के खंड (ख) के अधीन यथा अपेक्षित केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन की ईप्सा की गई है, वहां केंद्रीय सरकार द्वारा ऐसे अनुमोदन संबंधी आवेदन का निपटारा ऐसे आवेदन प्राप्त करने की तारीख से एक सौ बीस दिनों की अवधि के भीतर किया जाएगा और केंद्रीय सरकार का विनिश्चय राज्य सरकार को सम्यक रूप से संसूचित किया जाएगा ।

(9) राज्य सरकार, उपनियम (8) के अनुसार, केंद्रीय सरकार के विनिश्चय की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर, यथास्थिति खनन पट्टा अनुदत्त किए जाने या अनुदत्त किए जाने से इनकार किए जाने के केंद्रीय सरकार के विनिश्चय को लिखित आदेश के माध्यम से आवेदक को संसूचित करेगी । -

(10) खनन पट्टा अनुदत्त किए जाने के लिए उपनियम (6) के खंड (क) अथवा उपनियम (9) के अधीन आदेश जारी किए जाने पर, ऐसे खनन पट्टे का आवेदक, -

(क) खनन संक्रियाएं प्रारंभ किए जाने हेतु लागू विधियों के अधीन सभी सम्मति, अनुमोदन, अनुज्ञापत्र, निक्षेप पत्र अभिप्राप्त करेगा;

(ख) अनुमानित संसाधनों के मूल्य के 0.50% के बराबर राशि हेतु राज्य सरकार को बैंक प्रत्याभूति के रूप में या प्रतिभूति निक्षेप के रूप में कार्यपालन प्रतिभूति उपलब्ध कराएगा अनुसूची 4 में विनिर्दिष्ट रूप विधान के अनुसार कार्यपालन प्रतिभूति करेगा, जिसे निष्पादन सुरक्षा को खान विकास और उत्पादन करार के निबंधनों और शर्तों और खनन पट्टा विलेख के अनुसार राज्य सरकार द्वारा उपयोग किया जा सकेगा, कार्यपालन प्रतिभूति को प्रत्येक पांच वर्ष में समायोजित किया जाएगा जोकि यह अनुमानित संसाधनों के पुन: निर्धारित मूल्य के 0.50% राशि के सदृश बनी रहे;

(ग) धारा 5 की उप-धारा (2) के खंड (ख) में विनिर्दिष्ट खनन योजना के संबंध में शर्तों पूरा करेगा; और

(घ) इस उपनियम के खंड (क), खंड (ख) और (ग) में विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुपालन के पश्चात् केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट रूप विधान के अनुसार राज्य सरकार के साथ खान विकास और उत्पादन करार पर हस्ताक्षर करेगा ।

(11) राज्य सरकार उपनियम (10) में विनिर्दिष्ट शर्तों के पूरा होने के नब्बे दिन के भीतर अनुसूची 7 में विनिर्दिष्ट रूप विधान में आवेदक के साथ खनन पट्टा विलेख निष्पादित करेगी, और यदि आवेदक की ओर से किसी चूक के कारण उक्त अवधि के भीतर ऐसी कोई विलेख निष्पादित नहीं की जाती है तो राज्य सरकार पट्टा अनुदत्त करने के आदेश को वापस ले सकेगी और उपनियम (3) के अधीन फीस जमा किए जाने की दशा में वह राज्य सरकार के समपहृत हो जाएगी ।

(12) राज्य सरकार, लेखबद्ध और आवेदक को संसूचित किए जाने वाले कारणों करने से खनन पट्टे अनुदत्त किए जाने के समय आवेदित क्षेत्र को कम कर सकेगी ।

(13) उप-नियम (11) के अधीन निष्पादित खनन पट्टा उसके निष्पादन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर रजिस्टर किया जाएगा और उस अवधि के, जिसके लिए खनन पट्टा अनुदत्त किया गया है, प्रारंभ की तारीख वह होगी जिस को सम्यक रूप से निष्पादित खनन पट्टा विलेख रजिस्टर किया जाता है ।

**8. धारा 10क की उप-धारा (2) के खंड (ग) के उपबंधों के अधीन अधिकार** - (1) आवेदक, जिस के पक्ष में, -

(क) राज्य सरकार ने उन खनिजों के लिए जो अधिनियम की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट नहीं हैं, खनन पट्टा अनुदत्त किए जाने के लिए, 12 जनवरी, 2015 से पूर्व लिखित में आशय पत्र (चाहे वह किसी नाम से ज्ञात हो) जारी किया है; अथवा

(ख) केंद्रीय सरकार ने, उन खनिजों के लिए जो अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग ग में विनिर्दिष्ट हैं, खनन पट्टा अनुदत्त किए जाने के लिए अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (1) के अधीन पूर्व अनुमोदन, 12 जनवरी, 2015 से पूर्व लिखित में संसूचित किया है ।

राज्य सरकार को, स्थास्थिति जिसमें अथवा आशय पत्र में वर्णित शर्तों अथवा केंद्रीय सरकार द्वारा अनुदत्त पूर्व अनुमोदन में वर्णित शर्तों का अनुपालन, किए जाने संबंधी पत्र प्रस्तुत करेगा; और राज्य सरकार आवेदक को अनुपालन पत्र की प्राप्ति की पावती उसके प्राप्त होने के तीन दिन की अवधि के भीतर अनुसूची 2 में भेजेगी ।

(2) उपनियम (1) के अधीन अनुपालन पत्र की प्राप्ति के पश्चात्, राज्य सरकार, यथास्थिति, आशय पत्र या केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन में वर्णित शर्तों के पूरा होने की पुष्टि के अध्यधीन ऐसे पत्र की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर खनन पट्टा अनुदत्त किए जाने संबंधी आदेश जारी करेगी :

परंतु (i) राज्य सरकार द्वारा जारी आशय पत्र, अथवा (ii) केंद्रीय सरकार द्वारा अनुदत्त पूर्व अनुमोदन में वर्णित शर्तें पूरी नहीं की जाती हैं, तो राज्य सरकार, आवेदक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् और लेखबद्ध किए जाने वाले और आवेदन को संसूचित किए जाने वाले

कारणों से अनुपालन पत्र की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर यथास्थिति, आशय पत्र या केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन में वर्णित शर्तों का अनुपालन न किए जाने के कारण खनन पट्टा अनुदत्त किए जाने से इंकार कर सकेगी, ।

(3) उपनियम (2) के अधीन खनन पट्टा अनुदत्त किए जाने का आदेश जारी किए जाने पर, आवेदक, -

(क) अनुमानित संसाधनों के मूल्य के 0.50% के बराबर राशि हेतु राज्य सरकार को अनुसूची 4 में विनिर्दिष्ट रूप विधान में बैंक प्रत्याभूति के रूप में अथवा प्रतिभूति निक्षेप के रूप में कार्यपालन प्रतिभूति उपलब्ध कराएगा जिस कार्यपालन प्रतिभूति को भारत सरकार, खान मंत्रालय द्वारा भारत के राजपत्र भाग 1, खंड 1, तारीख 2 जुलाई, 2015 में प्रकाशित खान विकास और उत्पादन करार के और खनन पट्टा विलेख के निबंधनों और शर्तों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा उपयोग किया जा सकेगा । कार्यपालन प्रतिभूति को प्रत्येक पांच वर्ष में समायोजित किया जाएगा जिससे कि यह अनुमानित संसाधनों के पुन: निर्धारित मूल्य के 0.50% के सदृश बनी रहे; और

(ख) इस उपनियम में विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुपालन के पश्चात् केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट रूप विधान में राज्य सरकार के साथ खान विकास और उत्पादन करार पर हस्ताक्षर करेगा ।

(4) जहां उपनियम (2) के अधीन खनन पट्टा अनुदत्त किए जाने का आदेश जारी किया गया है वहां अनुसूची 7 में विनिर्दिष्ट रूप विधान में आवेदक के साथ खनन पट्टा निष्पादित किया जाएगा तथा 11 जनवरी, 2017 को अथवा उससे पहले रजिस्टर किया जाएगा, जिसके न किए जाने पर, धारा 10क की उप-धारा (2) के खंड (ग) के अधीन ऐसे आवेदक खनन पट्टा अनुदत्त किए जाने संबंधी का अधिकार समपहृत हो जाएगा तथा ऐसे मामलों में राज्य सरकार के लिए इस संबंध में कोई भी आदेश जारी करना आज्ञापक नहीं होगा ।

(5) राज्य सरकार, लेखबद्ध किए जाने तथा आवेदक को संसूचित किए जाने वाले कारणों से खनन पट्टा अनुदत्त किए जाने के समय आवेदित क्षेत्र को कम कर सकेगी ।

(6) उस अवधि के जिसके लिए खनन पट्टा अनुदत्त किया गया है प्रारंभ की तारीख वह तारीख होगी जिसको सम्यक रूप से निष्पादित खनन पट्टा विलेख रजिस्ट्रीकृत किया गया है।

**अध्याय 3 : नीलामी के माध्यम से अनुदत्त खनिज रियायतें**

**9. नीलामी के माध्यम से अनुदत्त संयुक्त अनुज्ञप्ति और खनन पट्टा** (1) खनिज (नीलामी) नियम, 2015 के नियम 18 के उपनियम (3) के अधीन सफल बोलीदाता को अनुदत्त संयुक्त अनुज्ञप्ति का पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति विलेख, अनुसूची 5 में विनिर्दिष्ट रूप विधान में होगा ।

(2) खनन पट्टा विलेख द्वारा,

(क) खनिज (नीलामी) नियम, 2015 के नियम 10 के उपनियम (6) के अधीन सफल बोलीदाता द्वारा; अथवा

(ख) खनिज (नीलामी) नियम, 2015 के नियम 18 के उपनियम (8) के अधीन संयुक्त अनुज्ञप्ति के धारक द्वारा;

अनुसूची 7 में विनिर्दिष्ट रूप विधान में निष्पादित किया जाएगा ।

**10. संयुक्त अनुज्ञप्ति की पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति का नवीकरण** - (1) पूर्वेक्षण संक्रियाएं पूरा करने के प्रयोजन से संयुक्त अनुज्ञप्ति की पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति का नवीकरण करने के लिए आवेदन संयुक्त अनुज्ञप्ति की पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति प्रक्रम के समाप्त होने के कम से कम नव्वे दिन पूर्व किया जाएगा और उसके साथ ऐसा विवरण संलग्न किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित अंतर्विष्ट होगा -

(क) नवीकरण की ईप्सा के कारण;

(ख) धारा 18 के अधीन नियमों के अधीन विहित रूप विधान में आवेदक द्वारा आरंभ की गई पूर्वेक्षण संक्रियाओं की ब्योरे-वार रिपोर्ट;

(ग) उपगत व्यय का ब्यौरा;

(घ) उन कार्य दिवसों का संख्या जिनमें कार्य किया गया; और

(ङ.) पूर्वेक्षण कार्य को पूरा करने के लिए अपेक्षित अतिरिक्त अवधि का औचित्य ।

(2) राज्य सरकार, नवीकरण संबंधी आवेदन प्राप्त होने के तीन दिन के भीतर, अनुसूची 2 में आवेदक को नवीकरण संबंधी आवेदन प्राप्त होने की पावती भेजेगी ।

(3) ऐसे आवेदन के साथ, उस क्षेत्र की, जिसके लिए पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति का नवीकरण किए जाने संबंधी आवेदन किया गया है, आनुपातिक आधार पर एक हजार प्रति वर्ग किलोमीटर की अप्रतिदेय फीस संलग्न की जाएगी ।

(4) राज्य सरकार, उपनियम (1) में विहित समय सीमा के पश्चात्, संयुक्त अनुज्ञप्ति की पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के नवीकरण संबंधी आवेदन को प्रस्तुत करने में हुए विलंब को माफ कर सकेगी, परंतु यह तब जबकि नवीकरण के लिए आवेदन, संयुक्त अनुज्ञप्ति की पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति की समाप्ति के पूर्व किया गया हो।

(5) राज्य सरकार द्वारा पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के नवीकरण संबंधी आवेदन का निपटारा, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति की अवधि की समाप्ति के पूर्व किया जाएगा।

**अध्याय 4 : खनिज रियायतों के निबंधन और शर्तें**

11. **पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति और संयुक्त अनुज्ञप्ति के निबंधन और शर्तें** - (1) प्रत्येक पूर्वेक्षण अनुज्ञप्तिधारी अथवा संयुक्त अनुज्ञप्तिधारी, उसमें विनिर्दिष्ट शर्तों के अतिरिक्त, निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगा : -

(क) अनुज्ञप्तिधारी वाणिज्यिक प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों के लिए : -

(i) बिना किसी संदाय के अनुसूची 8 के स्तंभ (3) के अधीन विनिर्दिष्ट सीमाओं के भीतर खनिजों की ऐसी मात्रा; अथवा

(ii) अधिनियम की द्वितिय अनुसूची में विनिर्दिष्ट स्वामित्व के संदाय पर अनुसूची 8 के स्तंभ (4) के अधीन विनिर्दिष्ट सीमाओं से अनधिक खनिजों की ऐसी मात्रा,

प्राप्त कर सकेगा और साथ ले जा सकेगा :

परंतु अनुज्ञप्तिधारी केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किसी उद्योग में चूना पत्थर के उपयोग की जांच करने के लिए उसकी 500 टन से अनधिक की किसी भी मात्रा को अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट स्वामित्व का भुगतान करने पर, वाणिज्यिक प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों के लिए प्राप्त कर सकेगा और साथ ले जा सकेगा :

परंतु यह और कि यदि इस खंड में विनिर्दिष्ट मात्राओं से अधिक मात्रा प्राप्त की जाती है और साथ ले जाई जाती है, तो राज्य सरकार प्राप्त और साथ ले जाए गए खनिज की अधिक मात्रा का मूल्य को वसूल कर सकेगी तथा धारा 21 के अधीन शास्ति भी अधिरोपित कर सकेगी;

(ख) अनुज्ञप्तिधारी, राज्य सरकार के लिखित अनुज्ञा से रासायनिक, धातुकर्मीय, अयस्क मज्जीकरण और अन्य परीक्षण प्रयोजनों के लिए अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट स्वामित्व का संदाय करने पर अनुसूची 8 में विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक मात्रा में खनिज ले जा सकेगा।

(ग) यदि पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति अथवा संयुक्त अनुज्ञप्ति धारण करने वाली अनुज्ञप्तिधारी अवैध खनन के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है तथा किसी भी न्यायालय का कोई ऐसा अंतरिम आदेश नहीं है जिसमें ऐसे दोषसिद्धि के आदेश के प्रवर्तन को निलंबित रखने के लिए किसी भी न्यायालय में ऐसे दोषसिद्धि के विरूद्ध मामला अपील में लंबित नहीं हो, तो राज्य सरकार ऐसी किसी भी अन्य कार्यवाही पर जो अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन की जा सकती है, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे अनुज्ञप्तिधारी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् और लेखबद्ध किए जाने वाले और अनुज्ञप्तिधारी को संसूचित किए जाने वाले कारणों से, ऐसी पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति को रद्द कर सकेगी और संपूर्ण कार्यपालन प्रतिभूति अथवा उसके कुछ भाग को समपहृत कर सकेगी;

(घ) अनुज्ञप्तिधारी, अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग ख में विनिर्दिष्ट किसी खनिज का पता लगाने की तारीख से साठ दिन के भीतर ऐसे खनिजों के लेन-देन हेतु परमाणु अनुज्ञप्ति अनुदत्त किए जाने के लिए ऊर्जा अधिनियम, 1962 (1962 का 33) तथा खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) और उनके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन अनुज्ञप्ति अनुदत्त किए जाने के लिए राज्य सरकार के माध्यम से, सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग, मुंबई को आवेदन करेगा और परमाणु ऊर्जा विभाग, इस संबंध में अनुज्ञप्ति जारी करने के संबंध में राज्य सरकार को सूचित करेगा; -

(ङ) अनुज्ञप्तिधारी, पूर्वेक्षण संक्रियाओं से प्रभावित भूमि को जहां तक संभव हो, यथापूर्व स्थिति में लाएगा;

(च) अनुज्ञप्तिधारी, अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के, जिनके अंतर्गत धारा 18 के अधीन बनाए गए नियम भी हैं, उपबंधों का अनुपालन करेगा;

(छ) प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी उसके द्वारा पूर्वेक्षण संक्रियाओं पर उपगत सभी खर्चों तथा ऐसी संक्रियाओं के दौरान अभिप्राप्त सभी खनिजों की मात्रा और उनके प्रेषण की अन्य विशिष्टियों का भी शुद्ध और सही लेखा बनाए रखेगा;

(ज) प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी, पूर्वेक्षण संक्रियाओं को प्रभावी रूप से करने और उसमें नियोजित कर्मकारों के लिए, यथा आवश्यकता ऐसे प्रयोजनों के लिए उक्त भूमि पर किसी भी नाली; जल सरणी, अथवा जल क्षेत्र को बनाने और उसका प्रयोग करने के लिए, यथास्थिति, उपायुक्त अथवा कलेक्टर के लिखित पूर्वानुमोदन से ही झाड़-झंखाड़, शाखाओं और पेड़ों को काट सकेगा । अनुज्ञप्तिधारी, सदैव यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसा उपयोग, खेती वाली भूमि, भवन अथवा मवेशियों के लिए पानी के स्थान को की जाने वाली ऐसे जल की आपूर्ति कम नहीं होगी अथवा बाधित नहीं होगी और वह यह भी सुनिश्चित करेगा कि उसकी पूर्वेक्षण संक्रियाओं से झरने, जल स्रोत अथवा कुएं गंदे अथवा प्रदूषित न हों ;

(झ) अनुज्ञप्तिधारी को, अपनी पूर्वेक्षण संक्रियाओं को प्रभावी रूप से करने अथवा उसमें कर्मकारों के नियोजन के लिए जैसे उचित और आवश्यक समझा जाए, उक्त भूमि पर ऐसे सभी अस्थायी झोपड़ियां, शेड, ढांचे, भाप वाले और अन्य इंजन, मशीनरी, सुविधाएं, असबाब और चीज़ बस्त को बनाने और लाने का अधिकार होगा;

(ञ) अनुज्ञप्तिधारी, यथास्थिति, अनुज्ञप्ति की समाप्ति अथवा पर्यवसान पर अथवा उससे पहले, उस भूमि के मामले को छोड़कर जिस पर खनन पट्टा अनुदत्त किया गया है, अनुज्ञप्ति की समाप्ति अथवा पर्यवसान के अथवा भूमि का परित्याग करने की तारीख, इनमें से जो भी पूर्ववर्ती हो, के पश्चात् छह मास के भीतर, यथास्थिति, उपायुक्त अथवा कलेक्टर द्वारा अपेक्षित सीमा तक, भूमि में किए गए किसी भी बोर (छिद्र) को अच्छी तरह से बंद करेगा अथवा किन्हीं छिद्रों अथवा उत्खनन को, जो उस भूमि पर किए गए हों, भरेगा अथवा उन पर बाड़ लगाएगा । अनुज्ञप्तिधारी, उसकी पूर्वेक्षण संक्रियाओं के दौरान क्षतिग्रस्त अथवा नष्ट हुई भूमि की सतह और उस पर के सभी भवनों का भी पुन: स्थापन करेगा । परंतु ऐसी भूमि अथवा ऐसे किसी भी भवन का पुन: स्थापन करना अपेक्षित नही होगा, जिसके संबंध में उसके द्वारा पूरा और उचित प्रतिकर पहले ही सदत्त कर दिया गया हो;

(ट) अनुज्ञप्तिधारी की ओर से इसके अधीन अथवा पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के अधीन किसी भी निबंधन और शर्त को पूरा करने में असफल रहने की स्थिति में केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार का अनुज्ञप्तिधारी के विरूद्ध कोई दावा नही होगा अथवा उसे अनुज्ञप्ति का भंग नहीं माना जाएगा, यदि ऐसी असफलता को सुसंगत सरकार द्वारा अपरिहार्य घटना के कारण हुआ माना जाता है । अपरिहार्य घटना के कारण, इसके अधीन अथवा पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के अधीन किसी भी निबंधन और शर्त को पूरा करने में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विलंब हुए किसी की दशा में, ऐसे विलंब की अवधि को इन नियमों अथवा पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति द्वारा नियत अवधि में जोड़ दिया जाएगा ।

इस खंड में "अपरिहार्य घटना" पद से अभिप्रेत है ऐसा दैवकृत, युद्ध, विप्लव, बल्वा, सिविल अशांति, हड़ताल, भूकंप, ज्वार, तूफान, ज्वारीय लहरें, बाढ़, तडित चालन, विस्फोट, आग, भूकंप और कोई अन्य घटना, जिसे अनुज्ञप्तिधारी युक्तियुक्त रूप से ढंग रोक या नियंत्रित नहीं कर सकता है; और

(ठ) अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्ति, समाप्ति अथवा पर्यवसान पर अथवा पूर्वेक्षण संक्रियाओं का परित्याग करने पर, इनमें से जो भी पहले हो, अपने खर्च पर उक्त भूमि पर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा बनाए अथवा लगाए गए/लाए गए, सभी भवनों, ढांचों, संयत्रों, इंजनों, मशीनरी, उपकरणों, बर्तनों और अन्य संपत्ति को शीघ्रता से हटाने के साथ ही साथ अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उक्त भूमि से प्राप्त और उस पर स्थित सभी खनिजों को हटाएगा, परंतु उक्त भूमि के किसी भी भाग से उपर्युक्त में से किसी को भी हटाना अपेक्षित नही होगा, जो पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के बने रहने के दौरान अनुज्ञप्तिधारी को अनुदत्त किसी खनन पट्टे में समाविष्ट हो;

(2) अनुज्ञप्तिधारी, ऐसे किसी खनिज की, जो अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट नहीं खोज को राज्य सरकार को, ऐसे खोज की तारीख से साठ दिन के भीतर रिपोर्ट करेगा; और ऐसी रिपोर्ट के परिणामस्वरूप नए खोजे गए नए खनिज, सिवाय जो अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग-क और भाग-ख में निर्दिष्ट हैं, संयुक्त अनुज्ञप्ति में सम्मिलित किया गया समझा जाएगा;

परंतु नीलामी से भिन्न रूप में अनुदत्त पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के धारक को खोजे गए खनिज पर कोई अधिकार नहीं होगा और इस खनिज को अनुज्ञप्ति में सम्मिलित नहीं किया जाएगा ।

(3) पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति अथवा संयुक्त अनुज्ञप्ति में ऐसी अन्य शर्तें, जो राज्य सरकार अधिरोपित करना उचित समझे, अंतर्विष्ट होंगी, अर्थात् :-

(क) उस भूमि को नुकसान के लिए जिसके लिए अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है, प्रतिकर;

(ख) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अन्य पक्षकार को धारित किसी नुकसान, क्षति अथवा विघ्न के लिए किए गए दावे के लिए सरकार की क्षतिपूर्ति;

(ग) बिना कब्जे वाली और अनारक्षित सरकारी भूमि पर वृक्षों के गिराने पर निर्बंधन;

(घ) किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी प्रतिबद्ध क्षेत्र में पूर्वेक्षण संक्रियाओं पर निर्बंधन;

(ङ) वन भूमि में संक्रियाएं;

(च) अधिकृत भूमि पर प्रवेश संबधी शर्तें;

(छ) अनुज्ञप्त क्षेत्र अथवा पार्श्वस्थ क्षेत्रों में अन्य खनिजों पर कार्य करने के लिए अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं;

(ज) पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के अधीन के क्षेत्र मे उत्पन्न हुए विवादों से संबंधित सिविल वाद अथवा याचिकाएं फाइल करना;

परंतु संयुक्त अनुज्ञप्ति की दशा में, राज्य सरकार, संयुक्त अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने के लिए नीलामी संबंधी निविदा दस्तावेज में उन शर्तों को विनिर्दिष्ट करेगी ।

(4) राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से अथवा केंद्रीय सरकार के कहने पर ऐसी अतिरिक्त शर्तें अधिरोपित कर सकेगी, जो खनिजों के संरक्षण और विकास के हित में आवश्यक हों ।

(5) अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति अथवा संयुक्त अनुज्ञप्ति के किसी धारक पर अधिरोपित किसी शर्त के भंग की दशा में, राज्य सरकार, लिखित आदेश द्वारा, अनुज्ञप्ति को रद्द कर सकेगी और/अथवा पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति अथवा संयुक्त अनुज्ञप्ति के धारक द्वारा जमा की गई कार्यपालन प्रतिभूति की पूरी राशि अथवा उसका कुछ भाग, जैसे लागू हो, अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए बने नियमों के अधीन समपहृत कर सकेगी :

परंतु ऐसा कोई आदेश अनुज्ञप्तिधारक को उसका पक्ष रखने के लिए युक्तियुक्त अवसर दिए बिना नहीं किया जाएगा ।

(6) पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति अथवा संयुक्त अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने के लिए न्यूनतम क्षेत्र उस न्यूनतम क्षेत्र से कम नहीं होगा, जिसके लिए नियम 12 के उपनियम (5) के अनुसार खनन पट्टा अनुदत्त किया जा सकता है और अधिकतम क्षेत्र पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति को यथा लागू धारा 6 के अनुसार होगा ।

**12. खनन पट्टे के निबंधन और शर्तें (i)** प्रत्येक खनन पट्टा निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगा, -

(क) पट्टेदार द्वारा इन नियमों के अध्ययन 13 के अधीन में किए जाने वाले संदायों के अतिरिक्त पट्टे के पहले वर्ष को छोड़कर, प्रत्येक वर्ष के लिए अधिनियम की तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर ऐसा वार्षिक अनिवार्य किराया संदत्त करेगा और यदि पट्टे में उसी क्षेत्र में एक से अधिक खनिजों पर कार्य करने की अनुज्ञा दी गई है तो राज्य सरकार प्रत्येक खनिज के संबंध में पृथक् अनिवार्य किराया प्रभारित नहीं करेगी :

परंतु पट्टेदार (i) सभी खनिजों के संबंध में संपूर्ण स्वामित्व; अथवा (ii) अधिनियम की तृतीय अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट अनिवार्य किराए, इनमें से जो भी अधिक हो, का, जो उच्चतम मूल्य वाले खनिज के लिए विहित हो, संदाय करने के दायित्वाधीन होगा;

(ख) पट्टेदार, खनन संक्रियाओं के प्रयोजनों के लिए उसके द्वारा प्रयोग किए गए सतही क्षेत्र के लिए भू-राजस्व से अनधिक ऐसी दर पर सतही किराया और जल रेट तथा भूमि पर निर्धारित ऐसे जल उपकर का भी जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाए, संदाय करेगा:

(ग) पट्टेदार खनन संक्रियाओं को पट्टा विलेख के निष्पादन के तारीख से दो वर्ष के भीतर प्रारंभ करेगा और उसके पश्चात् ऐसी संक्रियाओं का समुचित, कौशलपूर्ण, रीति में और कुशलतापूर्वक संचालन करेगा ।

**स्पष्टीकरण** : इस खंड के प्रयोजन के लिए खनन संक्रियाओं के अंतर्गत मशीनरी का परिनिर्माण, ट्रामवे बिछाना, या सड़क का निर्माण करना या खनिज प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए आरंभ की गई कोई अन्य संक्रिया आती है;

(घ) पट्टेदार कोई भी खनन संक्रियाएं, किसी भी रेल लाइन से पचास मीटर की दूरी के भीतर किसी भी बिंदु पर, संबंधित रेलवे प्रशासन की लिखित पूर्व अनुज्ञा के अधीन और अनुसार या किसी भी रज्जुमार्ग या किसी भी रज्जु मार्ग ट्रेस्टल या स्टेशन के नीचे, रज्जुमार्ग का स्वामितव रखने वाले प्राधिकारी की लिखित अनुज्ञा के अधीन और अनुसार या किसी भी जलाशय, नहर या अन्य लोक संकर्म या भवनों में, राज्य सरकार की इस निमित पूर्व अनुज्ञा के अधीन और अनुसार ही करेगा या करने की अनुज्ञा देगा, अन्यथा नहीं । पचास मीटर की उक्त दूरी को रेल, जलाशय अथवा नहर के मामले में, यथास्थिति तट के बाहरी पदज अथवा कटिंग के बाहरी किनारे से क्षैतिज रूप में और भवन के मामले में उसकी कुर्सी क्षेत्र से क्षैतिज में मापा जाएगा ।

(ड.) पट्टेदार, ग्राम सड़कों (राजस्व अभिलेख में ग्राम सड़क के रूप में दर्शाए गए किसी मार्ग सहित) के मामले में, उपायुक्त अथवा कलक्टर अथवा राज्य सरकार द्वारा इस निमित समयक रूप से प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा से ही कटिंग के बाहरी किनारे के दस मीटर की दूरी के भीतर कोई किसी कार्य करने की और अन्यथा साधारण अथवा विशेष ऐसे निदेशों, निर्बंधनों और परिवर्धनों, जो ऐसी अनुज्ञा के साथ संलग्न हो, के अनुसार ही अनुज्ञा देगा, अन्यथा नहीं;

(च) पट्टेदार, ऐसा शुद्ध और सही लेखा रखेगा जिसमें (i) खान से अभिप्राप्त और प्रेषित सभी खनिजों और (ii) खान से निकाली गई व्यर्थ सामग्री की मात्रा और अन्य विशिष्टता, उसमें नियोजित व्यक्तियों की संख्या तथा राष्ट्रीयता और खान का पूरा रेखांक दर्शित किया गया हो और केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित प्राधिकृत किसी अधिकारी को किसी समय पर कोई लेखें, रेखांक, तथा उसके द्वारा बनाए गए अभिलेखों की परीक्षा करने के लिए अनुज्ञात करेगा और केंद्रीय या राज्य सरकार को ऐसी जानकारी और विवरणियां प्रस्तुत करेगा जैसी कि उसके या इस निमित उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा अपेक्षा की जाए;

(छ) पट्टेदार, पट्टे के अधीन, उसके द्वारा की गई खनन संक्रियाओं के अनुक्रम में, पट्टेदार द्वारा बनाई गई समस्त खाइयों, गड्ढों तथा ड्रिलों के शुद्ध अभिलेख रखेगा तथा उनका निरीक्षण करने के लिए केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को अनुज्ञात करेगा। ऐसे अभिलेखों में निम्नलिखित विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी, अर्थात् : -

(क) अवमृदा और वह स्तर जिससे खाइयां, गड्ढे या ड्रिलें गुजरी है;

(ख) मिले खनिजों के ब्यौरे;

(ग) ऐसी अन्य विशिष्टियां जैसी केंद्रीय या राज्य सरकार समय-समय पर अपेक्षा करे;

(ज) पट्टेदार, केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को किसी भवन, उत्खनन या पट्टे में समाविष्ट भूमि पर, उसका निरीक्षण करने के प्रयोजन के लिए प्रवेश करने के लिए अनुज्ञा देगा;

(झ) राज्य सरकार, सभी समय, उस भूमि से, जिसके संबंध में पट्टा अनुदत्त किया गया है प्राप्त खनिजों पर अग्रक्रयाधिकार रखेगी;

परंतु अग्रक्रयाधिकार के समय, आईबीएम द्वारा यथा प्रकाशित वर्तमान औसत विक्रय कीमत का ऐसे समस्त खनिजों के लिए पट्टेदार को संदाय किया जाएगा।

(ञ) पट्टेदार, पट्टा क्षेत्र के भीतर अनुप्रयुक्त या विक्रय न किए जाने योग्य उपश्रेणी के अयस्कों या खनिजों का भावी सज्जीकरण के लिए समुचित रूप से भंडारण करेगा और लेखा बनाए रखेगा।

(ट) ऐसे किसी खनिज के संबंध में, जिसको कतिपय प्रयोजनों के लिए इसके उपयोग में के संबंध गौण खनिज से भिन्न खनिज के रूप में और अन्य प्रचालनों के लिए इसके उपयोग के संबंध में गौण खनिज के रूप में अधिसूचित किया गया है, पट्टेदार, जो इन नियमों के अधीन ऐसे खनिज के उत्खनन के लिए पट्टा धारण करता है, चाहे वह इस पट्टा विलेख में गौण खनिज से भिन्न खनिज के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है या नहीं किसी भी रीति से उस खनिज का उपयोग नहीं करेगा या विक्रय नहीं करेगा या व्यवहार में नहीं बनाएगा अथवा जानबूझकर किसी को गौण खनिज के रूप में किसी भी रीति से खनिज का उपयोग करने या विक्रय करने या उसे व्यवहार में लाने के लिए अनुज्ञात नहीं करेगा :

परंतु यदि पट्टेदार द्वारा इस निमित राज्य सरकार को किए गए आवेदन पर राज्य सरकार का भारतीय खान ब्यूरो के परामर्श से यह समाधान हो जाता है कि ऐसे खनिज की घटिया किस्म को देखते हुए ऐसे प्रयोजनों में से किसी प्रयोजन के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता, जिसके उपयोग के कारण इसे गौण खनिज से भिन्न खनिज कहा जा सकता है या यह कि गौण खनिज से भिन्न खनिज के रूप में ऐसे खनिज के लिए कोई बाजार नहीं है, तो राज्य सरकार आदेश द्वारा पट्टेदार को उस खनिज का ऐसी मात्रा में और ऐसी रीति में व्ययन करने की अनुज्ञा दे सकेगी जैसा गौण खनिज के रूप में उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए।

(ठ) पट्टेदार नियोजन के मामले में उन जनजातियों को व्यक्तियों को अधिमान देगा जो खनन संक्रियाएं किए जाने के कारण विस्थापित हो गए हैं;

(ड) पट्टेदार यथा संभव सीमा तक, खनन संक्रियाओं के कारण प्रभावित भूमि को यथा पूर्व स्थिति में लाएगा;

(ढ) पट्टेदार, अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों, जिसके अंतर्गत और साथ ही धारा 18 के अधीन बनाए गए नियम भी है; के उपबंधों का अनुपालन करेगा;

(ण) पट्टेदार, किसी भी सार्वजनिक स्थल पर शमशान घाट अथवा कब्रस्थान में अथवा व्यक्तियों के किसी वर्ग द्वारा माने गए किसी पवित्र स्थल पर अथवा किसी घर, ग्राम स्थल में, सार्वजनिक सड़क अथवा ऐसे अन्य स्थान पर, जिसे राज्य सरकार ने सार्वजनिक स्थल घोषित किया है, कोई भवन अथवा वस्तु परिनिर्मित नहीं करेगा, रखेगा अथवा स्थापित नहीं करेगा और न ही उस पर या उसमें कोई सतही संक्रियाएं करेगा;

(त) पट्टेदार, उसकी संक्रियाएं इस रीति से नहीं करेगा जिससे किसी भी भवन, संकर्म, संपत्ति अथवा अन्य व्यक्तियों के अधिकारों को क्षति पहुंचे अथवा प्रतिकूल रूप से प्रभाव पड़े और ऐसी किसी भी भूमि का प्रयोग पट्टेदार द्वारा ऐसी सतही संक्रियाएं करने के लिए नहीं किया जाएगा जो पहले से ही खनन पट्टा में सम्मिलित न किए गए संकर्मों अथवा प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार से भिन्न व्यक्तियों के अधिभोग में है ।

(थ) पट्टेदार किसी मार्गाधिकार, कुएं अथवा टैंक में हस्तक्षेप नहीं करेगा;

(द) पट्टेदार सतही संक्रियाओं के लिए ऐसी किसी भूमि का, जिसे ऐसी संक्रियाओं के लिए पहले से प्रयोग नहीं किया गया हो, प्रयोग करने से पूर्व जिले के उपायुक्त अथवा कलक्टर को दो कैलेण्डर मास की लिखित सूचना देगा जिसमें उस भूमि का, जिसका प्रयोग किया जाना प्रस्तावित है, नाम या स्थिति का वर्णन और विस्तार उस प्रयोजन को विनिर्दिष्ट करेगा, जिसके लिए वह अपेक्षित है और पट्टेदार की सूचना मिलने के दो मास के भीतर यदि उपायुक्त अथवा कलेक्टर द्वारा कोई आक्षेप जारी किया जाता है तो उक्त भूमि का प्रयोग पट्टेदार द्वारा नहीं किया जाएगा जब तक कि यथाकथित आक्षेप राज्य, सरकार के निर्देश पर बातिल या अधिव्यजन नहीं कर दिया जाता है;

(ध) पट्टेदार सरकारी अनुज्ञप्तियों अथवा पट्टों के किसी भी विद्यमान और भावी धारकों को ऐसी किसी भूमि, में पहुंच हेतु उचित सुविधाएं प्रदान करेगा जो पट्टेदार द्वारा धारित भूमि में समविष्ट अथवा उससे संलग्न है अथवा उसकी भूमि के माध्यम से पहुंच में है:

परंतु ऐसे अनुज्ञप्तियों अथवा पट्टों के धारको द्वारा, पट्टेदार की संक्रियाओं पर कोई सारभूत अवरोध अथवा हस्तक्षेप कारित नहीं किया जाएगा और इस स्वतंत्रता के प्रयोग के कारण पट्टेदार को हुई किसी हानि के लिए पट्टेदार को उचित प्रतिकर (जैसा कि परस्पर सहमति हो अथवा असहमति की स्थिति में जैसा राज्य सरकार द्वारा विनिश्चय किया जाए) का उनके द्वारा संदाय किया जाएगा;

(न) राज्य सरकार अथवा किसी पट्टेदार अथवा राज्य सरकार द्वारा उस निमित प्राधिकृत किसी व्यक्ति को पट्टे पर दी गई भूमि में प्रवेश करने का अधिकार होगा और राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी प्रयोजन के लिए उस पर अथवा आर-पार कोई रेल पथ, ट्राम पथों, सड़क मार्गों अथवा पाइपलाइनों का निर्माण करने का और ऐसे रेल पथों, ट्रामवे, सड़कों अथवा किन्हीं विद्यमान रेल पथों और सड़कों को बनाने, उनके अनुरक्षण और मरम्मत के लिए उक्त भूमि से, पत्थर, गारा, मिट्टी और अन्य सामग्रियां प्राप्त करने का अधिकार होगा; और

(प) ऐसे किन्हीं रेल पथों, ट्राम पथों, रोड लाइनों और अन्य मार्गों के उपर से अथवा उसके साथ-साथ, हर समय, घोड़ों, पशुओं या अन्य जीव-जंतुओं या ठेलों, वैगनों, वाहनों, सहित या उनके बिना सभी प्रयोजनों के लिए गुजरने की अनुज्ञा देगा;

परंतु राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत ऐसे अन्य पट्टेदार अथवा व्यक्ति द्वारा ऐसी स्वतंत्रता और शक्ति को प्रयोग करते हुए पट्टेदार की स्वतंत्रता, शक्तियों और विशेषाधिकारों में कोई विशेष अवरोध अथवा हस्तक्षेप कारित नहीं किया जाएगा और राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत ऐसे अन्य पट्टेदार अथवा व्यक्ति द्वारा सारभूत अवरोध अथवा हस्तक्षेप के कारण पट्टेदार को कारित सभी हानि, अथवा, नुकसान के लिए परस्पर सहमति के अनुसार अथवा असहमति की स्थिति में राज्य सरकार के विनिश्चय अनुसार, उचित प्रतिकर दिया जाएगा;

(फ) पट्टेदार सीमा स्तंभों के अधीन निर्माण की रीति के संबंध में अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार सभी सीमा स्तंभो परिनिर्माण, अनुरक्षण और रखरखाव निम्नानुसार अपने खर्च पर करेगा:-

(i) पट्टा क्षेत्र के प्रत्येक किनारे में सीमा स्तंभ (किनारा स्तंभ) होगा;

(ii) किनारे के स्तंभों के बीच में मध्यवर्ती सीमा स्तंभ इस प्रकार परिनिर्मित किए जाऐंगे कि प्रत्येक स्तंभ, उसके दोनो ओर अवस्थित पार्श्वस्थ स्तंभ से दिखाई दे;

(iii) दो पार्श्वस्थ स्तंभों के बीच की दूरी पचास मीटर से अधिक नहीं होगी;

(iv) स्तंभ सतह के ऊपर वर्गाकार पिरामिड फ्रस्टम आकार में और सतह के नीचे क्युबाइड आकार में होंगे ;

(v) प्रत्येक स्तंभ प्रबलित सीमेंट कंक्रीट का होगा;

(vi) किनारे के स्तंभों का आधार 0.30 मीटर का X 0.30 मीटर होगा और ऊंचाई 1.30 मीटर होगी जिसमें से 0.70 मीटर भूमि स्तर के ऊपर होगा और 0.60 मीटर भूमि के नीचे होगा;

(vii) मध्यवर्ती स्तंभों का आधार 0.25 मीटर X 0.25 मीटर का होगा और ऊंचाई 1.0 मीटर होगी जिसमें से 0.70 मीटर भूमि स्तर से ऊपर होगा और 0.30 मीटर भूमि से नीचे;

(viii) सभी स्तंभों को पीले रंग से रंगा जाएगा और ऊपरी दस सेंटीमीटर को इनेमल पेंट के लाल रंग से रंगा जाएगा और सीमेंट कंक्रीट से भरा जाएगा;

(ix) किनारे के सभी स्तंभों पर, आगे और पीछे के स्तंभों की दूरी और अक्षांश और रेखांश को चिन्हित किया जाएगा ;

(x) प्रत्येक स्तंभ के दक्षिणावर्त दिशा में क्रम सख्यांक होगा और संख्यांक को स्तंभ पर उत्कीर्ण किया जाएगा;

(xi) स्तंभ की संख्या, पट्टे में स्तंभों की कुल संख्या बटे व्यष्टिक स्तंभ संख्या होगी;

(xii) किनारे के सभी सीमा स्तंभों का शीर्ष 15 सेंटीमीटर का वर्ग होगा जिस पर 10 सेंटीमीटर व्यास का स्थायी रंगा हुआ या उत्कीर्ण हुआ गोला होगा और वास्तविक सीमा बिन्दु 90 डिग्री पर खींचे गए दो व्यासों का काट बिन्दु होगा;

(xiii) पट्टा सीमा सर्वेक्षण महानियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो इस निर्मित विनिर्दिष्ट त्रुटि की सीमा के दायरे में रहते हुए सटीक होगा;

(xiv) स्तंभों की अवस्थिति और संख्या और पट्टेदार द्वारा रखे गए सतही और अन्य रेखांकों में दर्शाई जाएगी; और

(xv) पट्टे के भीतर वन क्षेत्र होने की दशा में, सीमा स्तंभों का आकार और निर्माण और रंग भी इस निमित्त वन विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट संक्रियाओं के अनुसार होगा"।

(ब) पट्टेदार को दी गई शक्तियों का उसके द्वारा प्रयोग करते हुए पट्टेदार द्वारा कारित सभी नुकसान अथवा व्यवधान के लिए पट्टेदार इस विषय पर विधि पूर्ण प्राधिकारी द्वारा प्रवृत्त विधि के अनुसार यथा निर्धारित प्रतिकर का संदाय करेगा और राज्य सरकार की ऐसे सभी दावों के लिए, जो ऐसे किसी नुकसान, ऐसे नुकसान, क्षति अथवा व्यवधान के संबंध में किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा किए गए हों, तथा उसे जुड़े सभी खर्चों और व्ययों की पूरी तरह और पूर्ण रूप से क्षतिपूर्ति करेगा और क्षतिपूर्ति रखेगा;

(भ) पट्टेदार, यथास्थिति, संबंधित रेल प्रशासन अथवा राज्य सरकार, के समाधान प्रद रूप में खान के किसी भाग को सुदृढ़ बनाएगा और उसको आधार देगा जिसमें उसकी राय में, किसी रेल पथ, जलाश्य, नहर, सड़क और अन्य लोक संकर्म अथवा ढांचे की सुरक्षा के लिए ऐसी सुदृढ़ीकरण और आधार अपेक्षित है;

(म) पट्टेदार, अपनी खनन संक्रियाओं के दौरान हुई ऐसी किसी दुर्घटना की जिसमें मृत्यु अथवा गंभीर शारीरिक चोट अथवा संपत्ति को घोर क्षति अथवा जीवन या संपत्ति पर गंभीर रूप से प्रभाव पड़ता है या संकर कारित होता है, रिपोर्ट बिना किसी विलंब के उपायुक्त अथवा कलक्टर को भेजेगा;

(य) पट्टेदार, पट्टाधृत क्षेत्र में स्थित खान कार्यालय में खनन रेखांक की प्रति सुरक्षित रखेगा;

(यक) पट्टेदार, खनन संक्रियाओं के संबंध में, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के सिवाय ऐसे किसी व्यक्ति को, जो भारतीय राष्ट्रिक नहीं है, नियोजित नहीं करेगा;

(यख) पट्टेदार केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को सभी युक्तियुक्त समयों पर पट्टाधृत क्षेत्र के निरीक्षण करने की अनुज्ञा देगा और राज्य सरकार, महानिदेशक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण अथवा महानियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, द्वारा मांग करने पर पट्टाघृत क्षेत्र की सभी लागू रेखांकों और अनुभागों और साथ ही गुणवत्तावार रिज़र्व की मात्रा भी उन्हें प्रदत्त करेगा;

(यग) पट्टेदार, जब तक कि राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट छूट न दी गई हो, गर्तमुख अथवा प्रत्येक गर्तमुख पर या उसके पास; जिस पर खनिज निकाल कर तट पर लाया जायेगा, उचित रूप से निर्मित और सही माप (तौल) प्रणाली/यन्त्रीकरण उपलब्ध करायेगा और सभी समय बनाए रखेगा तथा बट पर लाए गए बेचे गए, निर्यात किए गए, संपरिवर्तित किए गए उक्त सभी खनिजों और संपरिवर्तित उत्पादों की भी समय-समय पर माप-तौल करेगा अथवा माप-तौल कराएगा। पट्टेदार प्रत्येक दिन की समाप्ति पर, उक्त खनिजों, पिछले चौबीस घंटों निकाले गए बेचे गए निर्यात के दौरान और संपरिवर्तित किए गए अयस्क उत्पादों के ऐसे साधनों द्वारा अनिश्चित कुल भार को पट्टेदार

द्वारा बनाए रखी गई लेखा बहियों में दर्ज कराएगा । पट्टेदार, पट्टे की अवधि के दौरान, सभी समयों पर, यथापूर्वोक्त खनिजों की माप-तौल और इसका लेखा रखने और पट्टेदार द्वारा रखे गए लेखाओं की जांच करने के लिए राज्य सरकार को किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों को नियोजित करने और उपस्थित रहने की अनुज्ञा देगा । पट्टेदार ऐसा प्रत्येक मापन करने या माप-तौल करने के संबंध में उपायुक्त/कलक्टर को लिखित रूप में सात दिन पूर्व सूचना देगा जिससे कि वह या उसकी ओर से कोई अधिकारी वहां पर उपस्थित रह सके;

(यघ) पट्टेदार, पट्टे की अवधि के दौरान किसी भी समय या हर समय, राज्य सरकार द्वारा उसकी ओर से नियुक्त किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों को, उपलब्ध कराई जाने वाली और उपर्युक्त अनुसार रखी गई माप-तौल मशीन की तथा उसके साथ प्रयुक्त बाटों की जांच और परीक्षण करने की अनुज्ञा देगा जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या सही और उचित रूप से मरम्मत हुई, अच्छी स्थिति में है । यदि ऐसी जांच अथवा परीक्षण कोई ऐसी माप-तौल मशीन या बाट मरम्मत रूप से या सही नहीं पाई जाती है, तो राज्य सरकार उसको पट्टेदार के खर्च पर ठीक करने, मशीन की मरम्मत कराने और उसे सही कराने की अपेक्षा करेगी । यदि ऐसी अध्यपेक्षा का, उसके किए जाने के पश्चात् अनुपालन चौदह दिन के भीतर नहीं किया जाता है तो राज्य सरकार ऐसी माप-तौल मशीन या बाटों को सही रखने के लिए पट्टेदार के खर्च पर मशीन को व्यवस्थित करा सकती है, उसकी मरम्मत करा सकती है, और सही करा सकती है । यदि किसी यथापूर्वोक्त जांच या परीक्षण करने पर, किसी माप-तौल मशीन में या बाट में कोई त्रुटि पाई जाती है जिससे राज्य सरकार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो ऐसी त्रुटि को, उस माप-तौल मशीन और बाट में त्रुटि उसके पता लगने से अथवा पिछली बार उसकी परीक्षा एवं जांच-पड़ताल करने से तीन कैलेण्डर मास पहले से मौजूद त्रुटि माना जाएगा और यदि यह जांच-पड़ताल तीन मास की उपर्युक्त अवधि के भीतर की गई है तो पट्टेदार को तदनुसार इस निर्मित किराया और स्वामित्व का संदाय करेगा ।

(यङ) यदि पट्टेदार, इसके अधीन अथवा पट्टा विलेख के अधीन अपने किसी बाध्यता को इस निर्मित विनिर्दिष्ट समय के भीतर क्रियान्वित करने या उसका पालन करने में असफल रहता है, तो राज्य सरकार उसका क्रियान्वयन या पालन करा सकेगी और पट्टेदार, राज्य सरकार द्वारा इस संबंध उपगत किए व्यय सभी व्ययों को मांग किए पर, राज्य सरकार को चुकाना होगा और ऐसे व्ययों के संबंध में राज्य सरकार विनिश्चय अंतिम होगा ।

(यच) पट्टेदार की ओर से, अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों अथवा खनन पट्टे के अधीन किंहीं किसी भी निबंधनों और शर्तों को पूरा करने में असफल रहने की स्थिति में केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार का पट्टाधारक के विरूद्ध कोई दावा नहीं होगा अथवा उसे पट्टे का भंग नहीं समझा जाएगा यदि ऐसी असफलता को सुसंगत सरकार द्वारा अपरिहार्य घटना के कारण हुआ माना जाता है । अपरिहार्य घटना के कारण, अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन अथवा खनन पट्टा के अधीन किन्हीं भी निबंधनों और शर्तों को पूरा करने में पट्टेदार द्वारा विलंब किए जाने की दशा में, ऐसे विलंब की अवधि को इन नियमों अथवा खनन पट्टे द्वारा नियत अवधि में जोड़ दिया जाएगा ।

इस खंड में " अपरिहार्य घटना" पद से अभिप्रेत है ऐसा दैवकृत, युद्ध, विप्लव, बल्वा, सिविल अशांति, हड़ताल, भूकंप, ज्वार, तूफान, ज्वारीय लहरें, बाढ़, तडित चालन, विस्फोट, आग, भूकंप और कोई अन्य घटना, जिसे पट्टेदार युक्तियुक्त रूप से रोक या नियंत्रित नहीं कर सकता है; और

(यछ) पट्टेदार, अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन अथवा पट्टा विलेख के अधीन संदेय किरायों, दरों और स्वामित्वों का संदाय करने के पश्चात् पट्टे की समाप्ति अथवा पट्टे की अवधि के शीघ्र पर्यवसित होने पर या उसके पश्चात् छह कैलेण्डर मास (जब तक कि पट्टेदार की चूक के लिए पट्टा पर्यवसित नहीं हो जाता, और उस दशा में ऐसी पर्यवसान के बाद न तो तीन कलेण्डर मास से अन्यून और न ही छह कलेण्डर मास से अधिक) किसी भी समय अपने स्वयं के फायदे के लिए, पट्टा अवधि के दौरान उत्खनित सभी या किसी अयस्क खनिज, इंजन, मशीनरी, संयंत्र, भवन, संरचना, ट्राम पथ, रेल पथ और अन्य संकर्म, परिनिर्माण और सुविधाओं को ले सकेगा या हटा सकेगा जो पट्टाधृत भूमि में या उस पर पट्टेदार द्वारा परिनिर्मित की गई हो, स्थापित की गई हो या रखी गई हो और जिसे पट्टेदार राज्य सरकार को देने के लिए बाध्य नहीं है अथवा जिसे राज्य सरकार क्रय करने की वांछा नहीं करती है;

(यज) यदि पट्टा अवधि की समाप्ति अथवा शीघ्र पर्यवसान के छह कैलेण्डर मास की समाप्ति पर, पट्टाधृत भवन, ढांचा, ट्राम पथ, रेल पथ और अन्य संकर्म, परिनिर्मितियां और सुविधाएं अथवा ऐसी अन्य संपत्ति बनी रहती है जिसकी पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति अथवा खनन पट्टा के अधीन धारित किसी अन्य भूमि में संक्रियाओं के संबंध में पट्टेदार को आवश्यकता नहीं है तो यदि उसे, हटाए जाने के लिए राज्य सरकार के द्वारा अधिसूचित किए जाने के एक केलैण्डर मास के भीतर पट्टेदार द्वारा हटाया नहीं जाता है तो उसे राज्य सरकार की संपत्ति मान लिया जाएगा और उसका उस संबंध में पट्टेदार की क्षतिपूर्ति अथवा हिसाब देने के दायित्व के बिना विक्रय अथवा व्ययन ऐसी रीति से किया जा सकेगा जैसा राज्य सरकार उचित समझे ।

(2) पट्टेदार, पट्टाधृत क्षेत्र में, पट्टे में विनिर्दिष्ट न किए गए किसी खनिज के पता चलने की बात की उसके पता चलने की से साठ दिन की अवधि के भीतर राज्य सरकार को रिपोर्ट करेगा और ऐसे पता चले खनिज का न तो प्राप्त करेगा और न ही उसका व्ययन करेगा :

परंतु नीलामी के माध्यम से दिए गए खनन पट्टे का धारक पता चले खनिज को प्राप्त अथवा उसका व्ययन, पता चलें खनिज को खनन पट्टा विलेख में सम्मिलित किए जाने का पश्चात् की कर सकेगा :

परंतु यह और कि ऐसे खनन पट्टे का, जो नीलामी के माध्यम से अनुदत्त नहीं किया गया है, धारक का, ऐसे पता चले खनिज पर अधिकार नहीं होगा और वह ऐसे खनिज का व्ययन नहीं करेगा । ऐसी स्थिति में राज्य सरकार ऐसे खनिज के संबंध में अग्रक्रयाधिकार का प्रयोग कर सकती है और ऐसे खनिज के उत्पादन की लागत का खनन पट्टे के धारक को संदाय कर सकती है ।

(3) खनन पट्टे में ऐसी अन्य शर्तें अंतर्विष्ट की जा सकेंगे जैसी राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित के संबंध में आवश्यक समझी जाए, अर्थात् :-

(क) किराया और स्वामिस्वों के संदाय की समय सीमा, ढंग और स्थान;

(ख) जिस भूमि के संबंध में पट्टा दिया गया है उसको हुए नुकसान के लिए प्रतिकर;

(ग) खाली और अनारक्षित सरकारी भूमि पर पेड़ों को गिराने पर निर्बंधन;

(घ) किसी प्राधिकरण द्वारा प्रतिबद्ध किसी क्षेत्र में सतही संक्रियाओं पर निर्बंधन;

(ङ) सतही अधिभोग के लिए पट्टेदार द्वारा नोटिस;

(च) उचित तौल मशीनों का उपबंध;

(छ) पट्टाधृत क्षेत्र अथवा पार्श्वस्थ क्षेत्र में अन्य खनिजों पर कार्य करने के लिए पट्टेदार द्वारा दी जाने वाले सुविधाएं;

(ज) आरक्षित अथवा संरक्षित वन में प्रवेश और कार्य;

(झ) पिट और शैफ्ट को सुरक्षित करना;

(ञ) दुर्घटनाओं की रिपोर्ट करना;

(ट) पट्टेदार द्वारा अल्प पक्षकार को पहुंचाए गए किसी नुकसान, अथवा व्यवधान के लिए उसके के प्रति सरकार की क्षतिपूर्ति;

(ठ) पट्टे के अभ्यर्पण, समाप्ति अथवा पर्यवसान पर भूमि और खानों के कब्जा का परिदान;

(ड) खनन पट्टे की समाप्ति, पर्यवसान, अभ्यर्पण अथवा परित्याग के पश्चात् पट्टाधृत क्षेत्र से खनिज, अयस्क, संयंत्र, मशीनरी और अन्य संपत्तियों को हटाने समय सीमा;

(ढ) पट्टे के पर्यवसान के पश्चात् शेष बची संपत्ति का समपहरण;

(ण) युद्ध अथवा आपातकाल की स्थिति में संयंत्र, मशीनरी, परिसर और खानों को कब्जा लेने की शक्ति; और

(त) पट्टे के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र से उद्भूत विवादों से संबंधित सिविल वाद अथवा याचिकाएं फाइल करना:

परंतु नीलामी के माध्यम से अनुदत्त खनन पट्टे की स्थिति में, राज्य सरकार खनन पट्टा अनुदत्त करने के लिए नीलामी हेतु निविदा दस्तावेज में ऐसी शर्तें विनिर्दिष्ट करेगी ।

(4) राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से अथवा केंद्रीय सरकार के कहने पर, ऐसी अतिरिक्त शर्तें अधिरोपित कर सकेगी जैसे खनिज विकास के हित में आवश्यक हों ।

(5) खनन पट्टा अनुदत्त करने के लिए न्यूनतम क्षेत्र पांच हेक्टेयर से कम नहीं होगा ।

(6) जब खनन पट्टा राज्य सरकार द्वारा अनुदत्त किया जाता है, तो पट्टे के अधीन अनुदत्त क्षेत्र के सर्वेक्षण और सीमांकन के लिए पट्टेदार के खर्च पर राज्य सरकार द्वारा व्यवस्था की जाएगी और पट्टे पर दिए गए क्षेत्र का सर्वेक्षण, कुल स्टेशन और विशेषक वैश्विक अवस्थिति प्रणाली द्वारा किया जाएगा ।

(7) इस नियम में उल्लेखित शर्तों के अधीन, रहते हुए, पट्टेदार को, उसे पट्टे पर दी गई भूमि के संबंध में, उस भूमि पर निम्न खनन संक्रियाओं के प्रयोजनार्थ अधिकार होगा -

(क) खानों पर कार्य करना;

(ख) पिट और शैफ्ट को सिंक करना और भवनों और सड़कों का निर्माण करना;

(ग) संयंत्र और मशीनरी का परिनिर्माण करना;

(घ) उत्खनन करना तथा भवन और सड़क सामग्री अभिप्राप्त करना और ईंटे बनाना;

(ङ) जल का उपयोग करना और काष्ठ प्राप्त करना;

(च) पट्टा लगाने के प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करना;

(छ) पट्टे में विनिर्दिष्ट कोई भी अन्य कार्य करना ।

(8) यदि पट्टेदार, उपनियम (1) के खंड (च), खंड (छ) और खंड (ज) के अधीन प्रवेश अथवा निरीक्षण की अनुज्ञा नहीं देता है तो राज्य सरकार पट्टेदार को लिखित में सूचना देकर उसे सूचना में विनिर्दिष्ट समय के भीतर इस बात का कारण बताने की अपेक्षा की जाएगी कि क्यों न उसके पट्टे को पर्यावसान कर दिया जाए और उसकी कार्यपालन प्रतिभूति को समवहृत कर लिया जाए; और यदि पट्टेदार, राज्य सरकार के समाधान प्रद रूप में पूर्वोक्त समय के भीतर कारण बताने में असफल रहता है, तो राज्य सरकार पट्टे को पर्यवसित कर सकेगी और कार्यपालन प्रतिभूति पूरी अथवा अंशिक रूप से समपहृत कर सकेगी ।

(9) यदि खनन पट्टे का धारक को अवैध खनन का सिद्धदोष ठहराया जाता है तथा किसी भी न्यायालय का कोई ऐसा अंतरिम आदेश नहीं है जिसमें ऐसे दोषसिद्धि के आदेश के प्रवर्तन को निलंबि रखने के लिए किसी भी न्यायालय में ऐसे दोषसिद्धि के विरूद्ध मामला अपील में लंबित नहीं हो, तो राज्य सरकार, ऐसी किसी भी अन्य कार्यवाही पर, जो अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाए गए बने नियमों के अधीन की जा सकती है, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे पट्टेदार को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् और लेखबद्ध किए जाने वाले और पट्टेदार को संसूचित किए जाने वाले कारणों से, ऐसे खनन पट्टा को रद्द कर सकेगी और संपूर्ण कार्यपालन प्रतिभूति अथवा उसके कुछ भाग को समपहृत कर सकेगी;

(10) यदि पट्टेदार, धारा 9 के अधीन यथा अपेक्षित स्वामिस्व का संदाय अथवा धारा 9क के अधीन यथा अपेक्षित अनिवार्य किराए का संदाय अथवा धारा 9ख अथवा धारा 9ग के अधीन यथा अपेक्षित धनराशि के संदाय अथवा खनिज (नीलामी) नियम, 2015 के नियम 13 के अधीन संदायों में कोई चूक करता है अथवा उपनियम (1), (2), (3), और (4) में विनिर्दिष्ट किन्ही शर्तों का भंग करता है, तो राज्य सरकार पट्टेदार को सूचना देकर यथास्थिति, स्वामिस्व अथवा अनिवार्य किराए का संदाय करने अथवा भंग का उपचार करने कि सूचना की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के भीतर स्वामिस्व अथवा अनिवार्य किराए का संदाय करने की अपेक्षा करेगी और यदि उक्त अवधि के भीतर स्वामिस्व या अनिवार्य किराए का संदाय नहीं किया जाता है अथवा भंग का उपचार नहीं किया जाता है तो राज्य सरकार, ऐसी किन्हीं अन्य कार्यवाहियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जो उसके विरूद्ध की जा सकती है, पट्टे का पर्यवसान कर सकेगी और कार्यपालन प्रतिभूति को पूर्णत: अथवा आंशिक तौर पर समपहृत कर सकेगी ।

## अध्याय-5 : खनन योजना तैयार करना और प्रमाणन प्रणाली

**13. खनन योजना :-** (1) ऐसी कोई भी खनन संक्रियाए, खनन योजना के अनुसार ही आरंभ की जाएगी, अन्यथा नहीं, जिसे :

(क) जो धारा 5 की उप-धारा (2) के खंड (ख) के अनुसरण में और इन नियमों के नियम 15,16 और 17 के अनुसार महानियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो द्वारा लिखित रूप में सम्यक रूप से प्राधिकृत भारतीय खान ब्यूरो के किसी अधिकारी द्वारा अनुमोदित की गई हो, अथवा

(ख) जो धारा 5 की उपाधारा (2) के खंड (ख) के परंतुक के अनुसरण में खनन योजना को तैयार करने, उसका प्रमाणन करने और उसे मानिटरी करने के लिए राज्य सरकार द्वारा स्थापित प्रणाली के अनुसार हो ।

(2) खनन योजना में निम्नलिखित समाविष्ट होगा : -

(क) पट्टा धृत क्षेत्र की योजना, जिसमें ऐसे खनिज समूह, स्थल या स्थलों की प्रकृति और विस्तार को दर्शाया गया हो, जहां आवेदक अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा एकत्रित पूर्वेक्षण डाटा पर आधारित खनन संक्रियाएं प्रस्तावित हैं;

(ख) क्षेत्र के खनिज संसाधनों और भंडारों सहित क्षेत्र के भूविज्ञान और प्रस्तर विज्ञान का व्यौरा;

(ग) प्रस्तावित गवेषण कार्यक्रम का ब्यौरा,

(घ) उत्खनन, वेधन और विस्फोटन की, अपशिष्ट और खनिज अवशिष्ट के निस्तारण, खनिज उपयोग और खनिजों का मज्जीकरण, स्थल सेवाओं, नियोजन संभाव्यताओं की पद्धति सहित खनन संक्रियाओं के ढंग का ब्यौरा;

(ङ) आधार रेखा सूचना, प्रभाव निर्धारण और न्यूनीकरण उपायों को उपदर्शित करते हुए पर्यावरणीय प्रबंधन योजना,

(च) खनन और का वार्षिक कार्यक्रम की संभावित योजना और पाँच वर्ष के लिए वर्षवार उत्खनन और योजना,

(छ) खान अवशिष्ट को एकत्र करने के बारे में अनंतिम अनुमान तथा उसके व्ययन और परिरोध की रीति और ढंग;

(ज) टेलिंग व्ययन के ढंग सहित खनिज प्रसंस्करण और खनिज उच्च श्रेणीकरण की रीति, यदि कोई हो,

(झ) धारा 18 के अधीन बनाए गए नियमों में यथा परिभाषित प्रगामी खान बंदी योजना, और

(ञ) अन्य कोई बात जिसका खनन योजना में उपबंध करने के लिए केंद्रीय सरकार या भारतीय खान ब्यूरो आवेदक से अपेक्षा करें।

(3) खनन योजना, भारतीय खान ब्यूरो द्वारा इस संबंध में तैयार किए पुस्तिका के अनुसार बनाई जाएगी ।

**14. खनन योजना के लिए राज्य सरकार द्वारा स्थापित की जाने वाली प्रणाली : -**

(1) धारा 5 की उप-धारा (2) के खंड (ख) के परंतुक के अनुसरण में खनन योजना तैयार करने, उसका प्रमाणन करने और मानिटर करने के लिए राज्य सरकार द्वारा स्थापित की जाने वाली प्रणाली केंद्रीय सरकार को उसका पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत की जाएगी ।

(2) राज्य सरकार उपनियम (1) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित प्रणाली में कोई उपांतरण करने के लिए केंद्रीय सरकार से पूर्व अनुमोदन की ईप्सा करेगी।

(3) केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार से उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्रणाली के अनुमोदन अथवा उपर्युक्त उपनियम (2) में निर्दिष्ट प्रणाली के उपांतरण के लिए प्राप्त प्रस्ताव का, ऐसे प्रस्ताव के प्राप्त होने की तारीख से छह मास के भीतर, उपांतरणों सहित या उनके बिना निपटारा करेगी:

परंतु केंद्रीय सरकार, ऐसे अनुमोदन को, लेखबद्ध किए जाने वाले और राज्य सरकार को सम्यक रूप से संसूचित किए जाने वाले कारणों से प्रतिसंहृत कर सकगी ।

(4) केंद्रीय सरकार इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा स्थापित प्रणाली को आवधिक किंतु पांच वर्ष के अपश्चात् पुनर्विलोकन कर सकेगी ।

**15. खनन योजना तैयार करना - (1)** धारा 5 की उप-धारा (2) के खंड (ख) के अधीन प्रत्येक खनन योजना किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा तैयार की जाएगी जो निम्नलिखित अर्हताएं और अनुभव रखता हो,

(क) किसी केंद्रीय अधिनियम, प्रांतीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित या निगमित किसी विश्वविद्यालय जिसके अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 4 के अधीन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त कोई संस्थान भी हैं, द्वारा प्रदत्त खनन इंजीनियरिंग में डिग्री या भूविज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा भारत के बाहर किसी विश्वविद्यालय या संस्था द्वारा दी गई और भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई समतुल्य अर्हता और

(ख) डिग्री अभिप्राप्त करने के पश्चात् खनन के क्षेत्र में किसी पर्यवेक्षण हैसियत में कार्य करने का पांच वर्ष का वृतिक अनुभव ।

(2) खनन योजना में उपांतरण खनन योजना तैयार करने के लिए अर्हित व्यक्ति द्वारा किया जाएगा ।

(3) पट्टेदार को यह सुनिश्चित करने की बाध्यता होगी कि खनन योजना, इस संबंध में भारतीय खान ब्यूरो द्वारा विहित पुस्तिका के अनुसार बनाई जाए।

(4) इन नियमों के नियम 13 के उपनियम (1) के खंड (ख) में यथा निर्दिष्ट किसी खनन योजना को तैयार और उसमें उपांतरण, केंद्रीय सरकार द्वारा इन नियमों के नियम 14 के उपनियम (3) के अधीन अनुमोदित प्रणाली के अनुसार किया जाएगा ।

**16. खनन योजना के अनुमोदन की प्रक्रिया - (1)** खनन योजना नियम 13 के उपनियम (1) के खंड (क) में विनिर्दिष्ट अधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी ।

(2) उपनियम (1) के अधीन अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की गई प्रत्येक खनन योजना के साथ ऐसी फीस संलग्न की जाएगी जो भारतीय खान ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

(3) भारतीय खान ब्यूरो, खनन योजना के अनुमोदन के आवेदन का, ऐसे आवेदन की प्राप्ति की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर निपटारा करेगा :

परंतु नब्बे दिन की पूर्वोक्त अवधि केवल तभी लागू होगी जब खनन योजना हर पहलू में पूरी हो तथा यदि अनुमोदन हेतु खनन योजना के आरम्भिक प्रस्तुतीकरण के पश्चात् भारतीय खान ब्यूरो द्वारा तत्पश्चात किसी संशोधन का सुझाव दिया जाता है तो उपर्युक्त अवधि उस तारीख से लागू होगी जिसमें ऐसे उपांतरण किए गए हो तथा भारतीय खान ब्यूरो के अनुमोदक प्राधिकारी को नए सिरे से प्रस्तुत किए गये हों।

(4) खनन योजना का अनुमोदन करने वाला प्राधिकारी, किसी भी समय लिखित आदेश द्वारा खनन योजना के उपांतरण का निदेश दे सकेगा है अथवा ऐसी शर्तें अधिरोपित कर सकेगा है जो वह आवश्यक समझे।

(5) खनन योजनाओं को अनुमोदित करने के लिए भारतीय खान ब्यूरो के मुख्य खान नियंत्रक से भिन्न भारतीय खान ब्यूरो के किसी अधिकारी द्वारा खनन योजना के संबंध में किए गए किसी आदेश या जारी किए गए किसी निदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश अथवा निदेश के संसूचित किए जाने के तीस दिन के भीतर उस प्राधिकारी को, जिसके अधीनस्थ उपर्युक्त अधिकारी है, उस आदेश या निदेश के पुनरीक्षण के लिए आवेदन कर सकता है :

परंतु यदि आवेदक, प्राधिकारी का यह समाधान कर देता है कि समय के भीतर आवेदन न कर पाने का उसके पास पर्याप्त कारण है तो ऐसे किसी आवेदन को उक्त तीस दिन की अवधि के पश्चात ग्रहण किया जा सकता है।

(6) उपनियम (5) के अधीन पुनरीक्षण संबंधी किसी आवेदन की प्राप्ति पर, प्राधिकारी व्यथित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देगा तथा तीन मास के भीतर किए गए आदेश या जारी किए गए निदेश को पुष्ट, उपांतरित अथवा अपास्त कर सकेगा।

(7) भारतीय खान ब्यूरो के मुख्य खान नियंत्रक द्वारा खनन योजना के अनुमोदन के संबंध में किए गए आदेश या जारी किए गए निदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश या निदेश की संसूचना के तीस दिन के भीतर ऐसे आदेश या निदेश के पुनरीक्षण के लिए महानियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो को आवेदन कर सकेगा तथा उस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा :

परंतु यदि आवेदक महानियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो का यह समाधान कर देता है कि समय के भीतर आवेदन न कर पाने का उसके पास पर्याप्त कारण है तो ऐसे किसी आवेदन को उक्त तीस दिन की अवधि के पश्चात ग्रहण किया जा सकता है।

(8) उप-नियम (7) के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर महानियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो ऐसे आवेदन की प्राप्ति के नब्बे दिन के भीतर मुख्य नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो द्वारा किए गए आदेश अथवा जारी निदेश को पुष्ट, संशोधित अथवा अपास्त कर सकते हैं।

**17. खनन योजना का उपांतरण और पुनर्विलोकन :-** (1) खनन योजना को, एक बार अनुमोदित कर दिए जाने होने पर सम्यक रूप से निष्पादित खनन पट्टा विलेख के निष्पादन की तारीख से आरंभ होने वाले प्रत्येक पांच वर्ष के अंतराल पर उसका पुनर्विलोकन तथा उसको अद्यतन किया जाएगा।

(2) उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति के कम से कम एक सौ अस्सी दिन पूर्व पट्टेदार खनन संक्रियाओं हेतु नियम 15 के अनुसार पांच पश्चात्वर्ती वर्ष की अवधि के लिए तैयार की गई खनन योजना प्रस्तुत करेगा जिसका निपटारा नियम 16 के अनुसार किया जाएगा।

(3) खनन पट्टे का धारक कारोबारी पर्यावरण में के परिवर्तनों को देखते हुए या उत्पादन क्षमता में बढ़ोत्तरी को गुकर बनाने के लिए या सुरक्षित और वैज्ञानिक खनन के खनिजों के संरक्षण के हित में, पर्यावरण के संरक्षण के लिए, या खनन पट्टे के धारक द्वारा लिखित में विनिर्दिष्ट किए जाने वाले किसी अन्य कारण को ध्यान में रखते हुए अनुमोदित खनन योजना में ऐसे उपांतरणों की ईप्सा कर सकेगा जो समीचीन समझे गए। खनन योजना में ऐसे किसी उपांतरण का अनुमोदक उस अनुमोदन प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा जिसने आरंभिक खनन योजना को अनुमोदित किया था।

(4) खनन योजना में उपांतरण की दशा में, नियम 16 के उपाबंध यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

(5) राज्य सरकार द्वारा स्थापित किसी प्रणाली की दशा में खनन योजना में उपांतरण ऐसी प्रणाली के अनुसार किया जाएगा।

**अध्याय 6 : खनन पट्टे की समाप्ति :-**

**18. खनन पट्टे की समाप्ति के उपरांत नीलामी:-** खनन पट्टे की अवधि की समाप्ति पर, खनन पट्टे को अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार नीलामी के लिए प्रस्तुत किया जाएगा ।

**19. प्रथम इंकार का अधिकार :-** आबद्ध प्रयोजन के लिए अनुदत्त खनन पट्टे के धारक को पट्टे की अवधि के समाप्त होने के पश्चात् ऐसे पट्टे के लिए की गई नीलामी के समय निम्न लिखित रीति में से प्रथम इंकार का अधिकार होगा :

(क) प्रथम इंकार के अधिकार का प्रयोग करने के लिए पात्र होने के लिए पट्टेदार खनन पट्टे, अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों की शर्तों का खनन पट्टे की समाप्ति तक पालन करेगा;

(ख) निविदा आमंत्रित करने संबंधी नोटिस के प्रकाशन के पूर्व, राज्य सरकार पट्टेदार को एक सूचना देगी जिसमें पट्टेदार से ऐसी सूचना के प्राप्त होने से तीस दिन की अवधि के भीतर प्रथम इंकार संबंधी अपने अधिकार का प्रयोग करने संबंधी अपनी रजामंदी या अराजमंदी की लिखित में अपेक्षा की जाएगी;

(ग) निविदा आमंत्रित करने संबंधी सूचना में यह विनिर्दिष्ट होगा कि खनन पट्टे की समाप्ति के पूर्व पट्टा धारण करने वाले पट्टेदार को प्रथम इंकार का अधिकार है और उसमें उपखंड (ख) के अनुसरण में उसकी रजामंदी या अरजामंदी यदि कोई हो, को भी विनिर्दिष्ट किया जाएगा;

(घ) नीलामी के दूसरे चक्र की समाप्ति के पश्चात् राज्य सरकार नीलामी के दूसरे चक्र की समाप्ति के सात दिन की अवधि के भीतर पट्टेदार को उसके प्रथम इंकार के अधिकार का प्रयोग करने की लिखित पुष्टि करने ईप्सा करते हुए नोटिस जारी करेगी;

(ङ) खड (घ) के अधीन दी गई सूचना की प्राप्ति की पट्टेदार द्वारा अभिस्वीकृति की जाएगी और वह खंड (घ) के अधीन जारी की गई नोटिस की प्राप्ति के पद्रह दिन की अवधि के भीतर, राज्य सरकार को लिखित में नोटिस करते हुए प्रथम इंकार के अधिकार का प्रयोग करेगा, ऐसा न करने पर यह समझा जाएगा कि पट्टेदार अपने प्रथम इंकार के अधिकार का प्रयोग करने का इच्छुक नहीं है और खनिज (नीलामी) नियम, 2015 में उपबंधित रीति में अधिमानी बोलीदाता खनन पट्टे लिए हकदार होगा; और

(च) यदि पट्टेदार खंड (ङ.) के निबंधनों के अनुसार, प्रथम इंकार के अधिकार का प्रयोग करता है और उसकी बोली उच्चतम अंतिम प्रस्थापित कीमत के अनुरूप है तो पट्टेदार को नीलामी के दूसरे चक्र के पश्चात् घोषित पूर्ववर्ती अधिमानी बोलीदाता के स्थान पर अधिमानी बोलीदाता समझा जाएगा और वह खनिज (नीलामी) नियम, 2015 में उपबंधित रीति में खनन पट्टा का हकदार होगा।

**अध्याय 7 : व्यपगत, अर्भ्यपण अथवा समापन**

**20. खनन पट्टे का व्यपगत होना -** (1) इस नियम की शर्तों के अधीन रहते हुए, जहां खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर खनन संक्रियाएं आरंभ नहीं की जाती हैं या ऐसी संक्रियाओं के प्रारंभ होने के पश्चात् दो वर्ष की निरंतर अवधि के लिए बंद कर दी जाती हैं, तो खनन पट्टा व्यपगत हो जाएगा ।

(2) खनन पट्टे के व्यपगत होने को राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश के माध्यम से लेखबद्ध किया जाएगा और उसकी संसूचना पट्टेदार को भी दी जाएगी ।

(3) जहां कोई पट्टेदार खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर खनन संक्रियाएं प्रारंभ करने में असमर्थ है या खनन संक्रियाओं का बंद रहने के कारण उसके नियंत्रण से परे हैं, तो वह ऐसी दो वर्ष की अवधि की समाप्ति से कम से कम तीन मास पूर्व उसके कारणों को स्पष्ट करते हुए राज्य सरकार को आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा :

परंतु जहां पट्टेदार उपर्युक्त अनुबद्ध समय के भीतर आवेदन करने में असफल रहता है, वहां पट्टा दो वर्ष की अवधि की समाप्ति पर व्यपगत हो जाएगा ।

(4) उपनियम (3) के अधीन किए गए आवेदन में विस्तारपूर्वक निम्नलिखित विनिर्दिष्ट किया जाएगा :

(क) ऐसे कारण जिनसे पट्टेदार के लिए खनन संक्रियाएं आरंभ करना या ऐसी संक्रियाएं जारी रखना संभव नहीं होगा;

(ख) वह रीति, जिससे ऐसे कारण पट्टेदार के नियंत्रण में नहीं हैं, और

(ग) वे उपाय, जो कारणों के प्रभाव को कम करने के लिए पट्टेदार द्वारा किए गए हैं।

(5) उपनियम (3) के अधीन प्रत्येक आवेदन के साथ एक लाख रुपए की फीस संलग्न की जाएगी ।

(6) राज्य सरकार, खनन संक्रियाओं के प्रारंभ न किए जाने या उनके बंद होने के कारणों की पर्याप्तता और सत्यता की परीक्षा करने के पश्चात्, उपनियम (3) के अधीन किए गए आवेदन की प्राप्ति की तारीख से या उस तारीख से, जिसमें खनन पट्टा अन्यथा व्यपगत हो जाता, इनमें से जो भी पूर्ववर्ती हो, तीन मास की अवधि के भीतर ऐसे अनुरोध को मंजूर करना या नामंजूर करने संबंधी आदेश पारित करेगी :

परंतु राज्य सरकार के ऐसे ओदश की जिसमें यह संसूचित किया जाए कि खनन पट्टा व्यपगत नहीं हुआ है, तारीख से छह मास की अवधि की समाप्ति के पूर्व ऐसा, खनन संक्रियाएं आरंभ करने या उन्हें जारी रखने में असमर्थ रहने पर खनन पट्टा व्यपगत हो जाएगा ।

(7) राज्य सरकार, खनन पट्टे के व्यपगत होने की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर खनन पट्टे के धारक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर और खनन संक्रियाओं के आरंभ न किए जाने या उनके बंद रहने के कारणों की पर्याप्तता और सत्यता के बारे में यह समाधान करने पर कि यह पट्टेदार के नियंत्रण के बाहर के कारण था, तो आवेदन भी प्राप्ति की तारीख से तीन मास की अवधि भीतर खनन पट्टे को भावी या भूतलक्षी तारीख से, जो वह उचित समझे, पुनर्जीवित कर सकती है किंतु खनन पट्टे के व्यपगत होने की तारीख के पूर्व ऐसा नहीं किया जाएगा :

परंतु कोई भी खनन पट्टा, खनन पट्टे की संपूर्ण अवधि के दौरान दो बार से अधिक पुनर्जीवित नहीं किया जाएगा ।

(8) उपनियम (7) के अधीन खनन पट्टा पुनर्जीवित करने हेतु किए गए आवेदन में विस्तारपूर्वक निम्नलिखित विनिर्दिष्ट किया जाएगा :

(क) ऐसे कारण जिनसे पट्टेदार के लिए खनन संक्रियाएं आरंभ करना या ऐसी संक्रियाएं जारी रखना संभव नहीं होगा;

(ख) वह रीति जिसमें ऐसे कारण पट्टेदार के नियंत्रण में नहीं हैं, और

(ग) वे उपाय जो ऐसे कारणों के प्रभाव को कम करने के लिए पट्टेदार द्वारा किए गए हैं ।

परंतु राज्य सरकार, यदि आवश्यक समझे, तो आवेदन के संबंध में ऐसी अतिरिक्त सूचना, दस्तावेजों या स्पष्टीकरणों की, जिनकी वह अपेक्षा करे, ईप्सा कर सकेगी ।

(9) उपनियम (7) के अधीन प्रत्येक आवेदन के साथ एक लाख रुपए की फीस संलग्न की जाएगी ।

(10) राज्य सरकार को, उस खनन पट्टे के जो व्यपगत हो गया है, पट्टाधृत क्षेत्र में संरक्षात्मक, सुधारात्मक और पुनर्वासन के उपाय करने लिए पट्टेदार की कार्यपालन प्रतिभूति को प्रवर्तित करने का अधिकार होगा।

(11) पट्टेदार राज्य सरकार द्वारा उस खनन पट्टे के जो व्यपगत हो गया है, पट्टाधृत क्षेत्र में संरक्षात्मक, सुधारात्मक और पुनर्वासन के उपाय करने लिए कार्यपालन प्रतिभूति से अधिक और उससे ऊपर उपगत किसी खर्च का संदाय करेगा ।

**21. खनन पट्टे का अभ्यर्पण - (1)** पट्टेदार, अभ्यर्पण की आशयित तारीख से बारह कैलेण्डर माह से अन्यून की लिखित नोटिस देने के पश्चात् खनन पट्टा के सम्पूर्ण क्षेत्र के अभ्यर्पण के लिए आवेदन कर सकेगा । ऐसे आवेदन के साथ अनुमोदित अंतिम खान बंदी योजना संलग्न की जाएगी :

परंतु पट्टेदार खनन पट्टे के क्षेत्र के एक भाग के अभ्यर्पण के लिए आवेदन केवल तब तक कर सकता है यदि पट्टेदार ऐसे क्षेत्र के लिए वन विभाग की मंजूरी अभिप्राप्त करने में असमर्थ रहा हो और ऐसे मामलों में खनन पट्टे का न्यूनतम क्षेत्र तदनुसार समायोजित किया जाएगा ।

(2) राज्य सरकार उपनियम (1) के अधीन खनन पट्टे के अभ्यर्पण की अनुज्ञा उस दशा में देगी यदि निम्लिखित शर्तों को समाधान किया गया है:

(क) पट्टेदार ने अनुमोदित अंतिम खान बंदी योजना के क्रियान्वयन के साक्ष्य में दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए हैं, और

(ख) खनन पट्टे के संबंध में सभी शोध्य राशियां का हिसाब कर दिया गया है।

(3) खनन पट्टे के संपूर्ण क्षेत्र के अभ्यर्पण की दशा में, पट्टेदार द्वारा दी गई कार्यपालन प्रतिभूति समपहृत कर ली जाएगी ।

(4) पट्टेदार, राज्य सरकार द्वारा उस खनन पट्टे के, जिसे अभ्यर्पित कर दिया गया है, पट्टाधृत क्षेत्र में संरक्षात्मक, सुधारात्मक और पुनर्वासन के उपाय करने लिए कार्यपालन प्रतिभूति से अधिक और उससे ऊपर उपगत किसी खर्च का संदाय करेगा ।

**22. समापन** - (1) धारा 4क की उप-धारा (1) या नियम 12 के उपनियम (8), उपनियम (9) और उपनियम (10), या नियम 23 के उपनियम (11), नियम 24 या नियम 61 के उपनियम (2) के उपबंधों के अधीन किसी खनन पट्टे के समापन की दशा में राज्य सरकार को

उस क्षेत्र में संरक्षात्मक, सुधारात्मक और पुनर्वासन न उपाय करने के लिए पट्टेदार की कार्यपालन प्रतिभूति लागू कराने का अधिकार होगा।

(2) पट्टेदार, राज्य सरकार उस द्वारा खनन पट्टे के, जो समाप्त हो गया है, पट्टाधृत क्षेत्र, में संरक्षात्मक, सुधारात्मक और पुनर्वासन न के उपाय करने लिए कार्यपालन प्रतिभूति से अधिक और उससे ऊपर उपगत किसी खर्च का संदाय करेगा।

**अध्याय 8 अन्तरण**

**23. नीलामी के माध्यम से अनुदत्त खनन पट्टे या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति-सह-खनन पट्टे का अंतरण** - (1) जहां पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति-सह-खनन पट्टा या खनन पट्टा नीलामी के माध्यम से अनुदत्त किया गया हो, वहां ऐसी रियायत का धारक (अंतरक) इस नियम में विनिर्दिष्ट रीति से ऐसी रियायत को अंतरित कर सकेगा।

(2) खनन पट्टा या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति-सह-खनन पट्टे का धारक, जिसे पट्टे केवल नीलामी के माध्यम से अनुदत्त किया गया है, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार खनन पट्टा या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति-सह-खनन पट्टा धारित करने हेतु पात्र किसी व्यक्ति को, यथास्थिति, खनन पट्टा या पूर्वेक्षण अनुज्ञाप्ति-सह-खनन पट्टा अंतरित कर सकेगा।

(3) अंतरक तथा अतरिती, अंतरण से पूर्व, संयुक्त रूप से अनुसूची 9 में विनिर्दिष्ट रूप विधान में राज्य सरकार को आवेदन अर्थात् "अंतरण आवेदन" प्रस्तुत करेंगी जिसमें अंतरिती द्वारा संदेय प्रतिफल के, जिसके अंतर्गत पहले से आरंभ की गई पूर्वेक्षण संक्रियाओं के संबंध में प्रतिफल भी है, ब्यौरे तथा रिपोर्ट और संक्रियाओं के दौरान जनित डाटा भी अंतर्विष्ट होगा।

(4) राज्य सरकार, उपनियम (3) के अधीन किए गए अंतरण संबंधी आवेदन की प्राप्ति की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर, अंतरण का अनुमोदन करने या लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से नामंजूर करने के अपने विनिश्चय को संसूचित करेगी :

परंतु यदि राज्य सरकार, ऐसे अंतरण, आवेदन की प्राप्ति की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर ऐसे अंतरण के अपने विनिश्चय की संसूचना नहीं देती है, तो यह मान लिया जाएगा कि ऐसे अंतरण के लिए राज्य सरकार को कोई आपत्ति नहीं है :

परंतु यह और कि खनन पट्टे का या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति-सह-खनन पट्टे का ऐसा अंतरण ऐसी किसी भी शर्त के उल्लंघन में नहीं किया जाएगा जिसके अधीन खनन पट्टा या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति-सह-खनन पट्टा अनुदत्त किया गया था।

(5) इस नियम के अधीन किए गए सभी अंतरण इस शर्त के अध्यधीन होंगे कि अंतरिती ने तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उन सभी शर्तों तथा दायित्वों को स्वीकार कर लिया है जिनके कि अधीन अंतरक, यथास्थिति, ऐसे खनन पट्टे या पूर्वेक्षण-अनुज्ञप्ति-सह खनन पट्टे के संबंध में था।

(6) अंतरण की तारीख को और से ही अंतरिती राज्य तथा केंद्रीय सरकार के प्रति अंतरणीय रियायत के संबंध में किसी भी और सभी प्रकार के संबंध में उत्तरदायी होगा।

(7) अंतरणकर्ता तथा अंतरिती, यथास्थिति (i) उपनियम (4) में यथा विनिर्दिष्ट, राज्य सरकार से अनुमोदन पत्र की प्राप्ति; अथवा (ii) अवधि की समाप्ति की, जिसके पश्चात् यह मान लिया जात है कि राज्य सरकार को उपनियम (4) के पहले परंतुक के अनुसरण में ऐसे अंतरण के प्रति कोई आपत्ति नहीं है, जैसी भी स्थिति हो, तीस दिन की अवधि के भीतर संयुक्त रूप से अनुसूची 10 में विनिर्दिष्ट रूप विधान में अथवा यथा संभव उसके समान रूप विधान में सम्यक रूप से रजिस्ट्रीकृत विलेख अर्थात् "अंतरण विलेख" प्रस्तुत करेंगे।

(8) यदि सम्यक रूप से रजिस्ट्रीकृत अंतरण विलेख उपनियम (7) अनुसरण में राज्य सरकार को प्रस्तुत नहीं की जाती है, तो उपनियम (3) के अधीन किया गया संबंधी अंतरण आवेदन अग्राह्य होगा।

(9) अंतरण विलेख के प्रारंभ की तारीख, वह तारीख होगी जिस को सम्यक रूप से निष्पादित अंतरण विलेख रजिस्ट्रीकृत किया जाता है;

(10) राज्य सरकार, अंतरणीय रियायत के किसी अंतरण के बारे में भारतीय खान ब्यूरो को संसूचित करेगी।

(11) राज्य सरकार, यथास्थिति, खनन पट्टे अथवा पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति-सह खनन पट्टे को किसी भी समय लिखित आदेश द्वारा समाप्त कर सकेगी, यदि पट्टेदार ने, राज्य सरकार की राय में, इस नियम के समाप्त उपबंधों के अधीन कोई भंग किया है अथवा इस नियम के उपबंधों के अनुसार नहीं उससे अन्यथा ऐसे पट्टे अथवा उसमें किसी के अधिकार, हक अथवा हित का अंतरण किया है :

परंतु पट्टेदार को अपना पक्ष बताने का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना ऐसा कोई आदेश नहीं किया जाएगा :

**24. नीलामी के माध्यम से अनुदत्त न की गई खनिज रियायत की जो अंतरण के सन्नियमों के उल्लंघन में है, समाप्ति - नीलामी से भिन्न माध्यम से अनुदत्त खनिज रियायत के धारक के बारे में जहां यह पाया जाता है कि उसने -**

(क) समुनेशन, उप-किराया अथवा बंधक के माध्यम सहित खनिज रियायत, अथवा उसमें के लिए अधिकार, हक अथवा हित अंतरित किया है; अथवा

(ख) कोई ठहराव, संविदा अथवा समझौता किया है जिसके द्वारा खनिज रियायत के धारक को प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से सारभूत सीमा तक वित्तपोषित किया जाएगा/जा सकता है अथवा जिसके अधीन खनिज रियायत के धारक की संक्रियाओं अथवा उपक्रमों को सारभूत रूप से नियंत्रित किया जाएगा/जा सकता है अथवा जिसके अधीन खनिजों की उसके उचित बाजार मूल्य की तुलना में पर्याप्त निम्न दर पर आपूर्ति, वितरण या विक्रय किया जाएगा/जा सकेगा, अथवा जिसके अधीन विक्रय कीमत अथवा लाभ को आपस में बांटा जाएगा या बांटा जा सकेगा अथवा जिसके अधीन किसी संक्रिय (किन्हीं संक्रियाओं) के लिए साधारण उद्योग सन्नियमों की तुलना से अधिक राशि (राशियां) खनिज रियायत धारक के भिन्न किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के निकाय को संदेय की जाएंगी/जा सकती हैं, तो 'राज्य सरकार लिखित आदेश द्वारा ऐसी खनिज रियायत को' समाप्त कर सकेगा :

परंतु पट्टेदार को अपना पक्ष बताने का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना ऐसा कोई आदेश नहीं किया जाएगा :

परंतु यह और कि खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 के प्रवृत होने की तारीख अर्थात् 12 जनवरी 2015 के पूर्व राज्य सरकार की लिखित पूर्व अनुमति से किया गया खनिज रियायत का अंतरण अथवा ठहराव अथवा संविदा अथवा समझौता, इस नियम के अधीन किसी कार्रवाई के लिए दायी नहीं होगा ।

**25. विल्लंगम और प्रतिभूतिहित का प्रवर्तन** : (1) नियम 23 में यथा उपबंधित अंतरणीय रियायत को धारक करने वाला व्यक्ति अंतरणीय रियायत पर कोई विल्लंगम सृजित करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(2) ऐसे विल्लंगम के संबंध में प्रतिभूति हित के प्रवर्तन की दशा में, खनिज रियायत केवल ऐसे अंतरिती को समनुदेशित की जाएगी जो खनिज रियायत अनुदत्त करने के लिए अंतरणकर्ता से पूरी की जाने वाली अपेक्षित पात्रता शर्तों के नियम 23 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट रीति में पूरा करता है;

परंतु ऐसे मामलों में, प्रतिभूति हित का प्रवर्तन करने वाले लेनदार अंतरिती की ओर से अंतरण संबंधी आवेदन प्रस्तुत करेंगे ।

(3) अंतरणीय रियायत से भिन्न खनिज रियायत पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं किया जाएगा।

**अध्याय 9.–उस भूमि के संबंध में जिसमें खनिज, सरकार से भिन्न अन्य व्यक्ति में निहित हो, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति अथवा खनन पट्टा अभिप्राप्त करने की प्रक्रिया**

**26. इस अध्याय का लागू होना** - इस अध्याय के उपबंध केवल ऐसी भूमि के संबंध में, जिसमें खनिज, सरकार के भिन्न अन्य व्यक्ति में निहित हो, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति तथा खनन पट्टे अनुदत्त किए जाने के लिए लागू होंगे ।

**27. राज्य सरकार का आदेश** - (1) भूमि स्वामी होने का दावा करने वाला तथा, यथास्थिति, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा अनुदत्त किए जाने का इच्छुक कोई भी व्यक्ति, उक्त भूमि के संबंध में, यथास्थिति, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति अथवा खनन पट्टे, अनुदत्त करने के लिए प्राधिकृत करने के लिए राज्य सरकार को आवेदन करेगा ।

(2) आवेदन के साथ दस्तावेजी साक्ष्य यह सुनिश्चित करने के लिए लगाया जाएगा कि खनिज अधिकार आवेदक में निहित हैं तथा आवेदक उस भूमि का स्थायी है जिसके संबंध में, यथास्थिति, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा अनुदत्त किया जाना प्रस्तावित है ।

(3) राज्य सरकार, आवेदक की सदाशयता के प्रति अपना समाधान करने पर आवेदक द्वारा उपनियम (1) के अधीन किए गए आवेदन की प्राप्ति की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर ऐसी भूमि के संबंध में आवेदन को नामंजूर करने अथवा, यथास्थिति, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टे, के लिए आवेदक को प्राधिकृत करने संबंधी लिखित आदेश करेगी ।

**28. पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति की शर्तें** - नियम 27 के अनुसारण में अनुदत्त प्रत्येक पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति ऐसी शर्तों के अधीन होगी जैसी अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने वाले तथा अनुज्ञप्तिधारी के बीच करार पाई जाएं ।

**29. खनन पट्टे की शर्तें**:- नियम 27 की अनुसरण में अनुदत्त प्रत्येक खनन पट्टा, ऐसी शर्तों के अधीन होगा जैसे पट्टा देने वाले तथा पट्टेदार के बीच लिखित में करार पाई जाए :

परंतु पट्टेदार निम्नलिखित के लिए बाध्य होगा :

(क) धारा 18 के अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधो का पालन करना;

(ख) खनन योजना तथा प्रमाणन प्रणाली तैयार करने के बारे में अध्याय 5 के उपबंधों का पालन करना;

(ग) खनन योजना की अनुसार खान संक्रिया करना; और

(घ) राज्य सरकार को, खान बंदी योजना का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिभूति के रूप में पांच लाख रुपए प्रति हेक्टेयर के मूल्य की प्रतिभूति निक्षेप देना ।

**30. अनुज्ञप्ति या पट्टे की प्रति की प्रस्तुतीकरण.**–अध्याय 9 के अधीन पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति अथवा खनन पट्टा अभिप्राप्त करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, यथास्थिति, ऐसी अनुज्ञप्ति अथवा पट्टे, के अनुदत्त किए जाने के तीन मास के भीतर ऐसी अनुज्ञप्ति अथवा पट्टा अनुदत्त किए जाने की प्रमाणित प्रति की अनुलिपि संबंधित राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा ।

**31. अंतरण या समनुदेशन की संसूचना** :- पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति अथवा खनन पट्टे अथवा उसमें किसी अधिकार या हक या हित का प्रत्येक अंतरिती या समनुदेशिती ऐसे अंतरण या समनुदेशन के एक मास के भीतर अंतरण या समनुदेशन और ऐसे अंतरण तथा समनुदेशन के निबंधनों एवं शर्तो के बारे में राज्य सरकार को संसूचित करेगा।

**32. खानों के कार्य का प्रति** :- यदि राज्य सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टे या इस ऐसी अनुज्ञप्ति या पट्टे के किसी अधिकार, हक या हित को अनुदत्त करना या अंतरण अध्याय 9 के किन्हीं उपबंधों के उल्लंघन में है, तो राज्य सरकार, पक्षकारों को अपने-अपने पक्ष रखने का अवसर देने के पश्चात् तथा केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से, संबंधित पक्षकारों को उस क्षेत्र में किसी भी पूर्वेक्षण या खनन संक्रियाओं को जिसे अनुज्ञप्ति या पट्टा संबंधित है, हाथ में न लेने का निदेश दे सकेगी ।

**33. विवरणियां और कथन** - पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टों का धारक, ऐसी विवरणियां तथा विवरण ऐसी अवधि के भीतर, जो धारा 18 के अधीन बनाए गए नियमों विनिर्दिष्ट की जाए राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा ।

**34. जुर्माना** - इस अध्याय 9 के उपबंधों के उल्लंघन में दी गई किसी पूर्वेक्षण अनुज्ञाप्ति या खनन पट्टे की स्थिति में, अनुज्ञाप्ति या पट्टे का धारक नियम 59 के उपबंधों के अधीन दण्डित किया जाएगा ।

**अध्याय 10 : पुनरीक्षण**

**35. पुनरीक्षण के लिए आवेदन - (1)** कोई व्यक्ति जो : –

(क) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा, राज्य सरकार या अन्य प्राधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उसके द्वारा पारित किसी आदेश से अथवा

(ख) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा, राज्य सरकार या अन्य प्राधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उसके द्वारा विहित समय के भीतर कोई आदेश पारित नहीं करने से,

व्यथित है तो वह -

(i) आदेश की संसूचना होने की तारीख से; अथवा (ii) ऐसा आदेश पारित करने समयावधि की समाप्ति की तारीख से आदेश पारित किए जाने के तीन मास के भीतर अनुसूची 11 में निर्दिष्ट प्ररूप में तीन प्रतियों में केंद्रीय सरकार को धारा 30 के अनुसरण में आवेदन कर सकेगा ।

(2) आवेदन पत्र के साथ आवेदन फीस के रूप में किसी अनुसूचित बैंक का वेतन एवं लेखा अधिकारी, खान मंत्रालय के नाम में नई दिल्ली पर देय दस हजार रुपए का बैंक ड्राफ्ट लगा होना चाहिए अथवा खान मंत्रालय के अभिहित बैंक खाते में बैंक अंतरण के द्वारा ऐसा किया जाए ।

परंतु यह कि कोई ऐसा आवेदन तीन मास की उक्त अवधि के पश्चात् ग्रहण किया जा सकेगा यदि आवेदक केंद्रीय सरकार का यह समाधान कर देता है कि उसके पास समय के भीतर आवेदन करने का पर्याप्त कारण था ।

(3) उपनियम (1) के अधीन खनिज रियायत मंजूर करने से इनकार करने वाले किसी राज्य सरकार के आदेश के विरुद्ध प्रत्येक आवेदन में, ऐसे किसी व्यक्ति को, जिसे उसी क्षेत्र या उसके किसी भाग की बाबत खनिज रियायत मंजूर की गई थी, पक्षकार बनाया जाएगा ।

(4) आवेदक उपनियम (1) के अधीन आवेदन के साथ उसकी उतनी प्रतियां प्रस्तुत करेगा जितना उपनियम (3) के अधीन आलिप्त पक्षकार हैं ।

(5) केंद्रीय सरकार, आवेदन तथा उसकी प्रतियों की प्राप्ति पर, उपनियम (3) के अधीन आलिप्त किए गए पक्षकार को आवेदन की प्रति वह तारीख विनिर्दिष्ट करते हुए भेजेगी जिसको या जिसके पूर्व वह पुनरीक्षण आवेदन के विरूद्ध अपना अभ्यावेदन, यदि कोई है, प्रस्तुत कर सकेगा।

परंतु यदि जहां पुनरीक्षण आवेदन इस कारण फाइल किया गया है कि राज्य सरकार द्वारा आदेश पारित करने के लिए विहित समय के भीतर कोई आदेश पारित नहीं किया गया है वहां केंद्रीय सरकार, आदेश पारित करने से पूर्व राज्य सरकार को मामले में सुने जाने या अभ्यावेदन करने का अवसर देगी।

36. **पुनरीक्षण आवेदन पर आदेश.**–(i) नियम 35 के अधीन पुनरीक्षण के लिए कोई आवेदन प्राप्त करने पर उसकी प्रतियां राज्य सरकार या अन्य प्राधिकारी को और सभी आलिप्त पक्षकारों को, उनमें यह मांग करते हुए भेजी जाएगी कि वे इस संसूचना के जारी करने की तारीख से तीन मास के भीतर अपनी टिप्पणियां भेज और राज्य सरकार या अन्य प्राधिकारी और आलिप्त पक्षकार, केंद्रीय सरकार को टिप्पणियां भेजते समय टिप्पणियों की एक प्रति अन्य पक्षकारों को भी साथ-साथ पृष्ठांकित करेंगे।

(2) उपनियम (1) के अधीन किसी पक्षकार से प्राप्त टिप्पणियां अन्य पक्षकारों को संसूचना जारी करने की तारीख से एक मास के भीतर ऐसी अतिरिक्त टिप्पणियां भेजने के लिए, जो वे करना चाहे भेजी जाएंगी और अतिरिक्त टिप्पणियां करने वाले पक्षकार उन्हें अन्य सभी पक्षकारों को भेजेंगे।

(3) पुनरीक्षण आवेदन, उपनियम (1) और उपनियम (2) में निर्दिष्ट टिप्पणियों तथा प्रति टिप्पणियों वाली संसूचनाएं मामले का अभिलेख गठित करेंगी।

(4) केंद्रीय सरकार, उपनियम (3) में निर्दिष्ट अभिलेख पर विचार करने के पश्चात्, आदेश को पुष्ट, उपांतरित या अपास्त कर सकेगी या उस संबंध में ऐसा अन्य आदेश पारित कर सकेगी, जो केंद्रीय सरकार न्याय संगत और समुचित समझे।

(5) केंद्रीय सरकार, इस नियम में किसी बात के होते हुए भी, पुनरीक्षण हेतु आवेदन का अंतिम निपटारा होने तक पर्याप्त कारणों से उस आदेश का निष्पादन, जिसके विरूद्ध कोई पुनरीक्षण आवेदन किया गया है, स्थगित कर सकेगी।

## अध्याय 11 : सहयुक्त खनिज

37. **सह-युक्त खनिज.**–धारा 6 के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित सहयुक्त खनिजों का समूह होगा, अर्थात् –

(क) एपेटाइट, बेरिल, कैस्सिटेराइट, कोलमबाइट, एमराल्ड, फैल्सपार, लेपिडोलाइट, , पिचब्लेंड, स्मार्सकाइट, स्कीलाइट, टोपाज, टैन्टेलाइट, टूर्मालिन।

(ख) लौह, मैंगनीज, टाइटेनियम, वेनेडियम और निकेल खनिज।

(ग) सीसा, जस्ता, कॉपर, कैडेमियम, आर्सेनिक ऐंटीमनी, बिस्मुथ, कोबाल्ट निकेल, मोलीबेडनम और युरेनियम खनिज और स्वर्ण और चांदी, आर्सनोपाइराइट, चाल्कोपाइराइट, पाइराइट, पायरोटाइट और पेंटलेंडाइट।

(घ) क्रोमियम, ओसमिरीडियम, प्लेटिनम और निकेल खनिज।

(ङ.) केनाइट, सिलिमेनाइट, कोरंडम, डयूमोर्टियराइट और टोपाज।

(च) स्वर्ण, टेल्यूरियम, सिलेनियम और पायराइट।

(छ) फ्लूराइट, चालकोसाइट, सिलेनियम और जिंक के खनिजों, सीसा एवं चांदी।

(ज) टिन एवं टंगस्टन खनिज।

(झ) चूना-पत्थर, और मैंग्नेसाइट।

(ञ) लेमेनाइट, मोनाजाइट, जिर्कोन, रूटाइल, ल्यूकोजीन, गारनेट एवं सिलिमेनाइट।

(ट) कॉपर और लौह सल्फाइड।

(ठ) मैंग्नेसाइट और क्रोमाइट

(ड) मैंग्नेटाइट और एपेटाइट।

(ढ) सेलेसाइट और फास्फेटिक नोड्यूल्स।

**अध्याय 12 : खनिज मूल्यांकन**

**38.** **विक्रय मूल्य-** विक्रय मूल्य, विक्रय बीजक में यथा उपदर्शित क्रेता द्वारा संदेय सकल रकम है जहां विक्रय संव्यवहार आधार पर पृथक होता है और विक्रय के लिए करों को छोड़कर, यदि कोई हैं, एकमात्र आधार कीमत होती है ।

**स्पष्टीकरण-** विक्रय मूल्य की गणना करने के प्रयोजन के लिए, स्वामित्व, जिला खनिज प्रतिष्ठान को किए गए संदाय और राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास को किए गए संदायों की बाबत सकल राशि में से कोई कटौती नहीं की जाएगी ।

**39.** **स्वामित्व का संदाय** - (1) यदि खान बहिस्राव का प्रक्रमण पट्टा क्षेत्र के भीतर किया जाता है, तो स्वामित्व पट्टा क्षेत्र से हटाए गए प्रसंस्कृत खनिज पर प्रभार्य होगा ।

(2) यदि खान बहिस्राव को पट्टा क्षेत्र से हटाकर प्रसंस्करण संयंत्र में ले जाया जाता है, जो पट्टा क्षेत्र से बाहर अवस्थित है, तो रॉयल्टी अप्रसंस्कृत खान बहिस्राव पर प्रभार्य होगी और प्रसंस्कृत उत्पाद पर नहीं ।

(3) जहां कहीं भी अधिनियम में यह विनिर्दिष्ट किया गया है कि किसी खनिज के संबंध में स्वामित्व का संदाय मूल्यानुसार किया जाएगा, वहां स्वामितव की गणना, भारतीय खान ब्यूरो द्वारा यथाप्रकाशित हटाए गए/खपत वाले मास के लिए, ऐसे खनिज ग्रेड/सांद्र की औसत विक्रय कीमत की विनिर्दिष्ट प्रतिशतता के आधार पर की जाएगी ।

(4) जहां कहीं भी अधिनियम में यह विनिर्दिष्ट किया गया है कि किसी भी खनिज के संबंध में स्वामित्व का संदाय, लंदन धातु विनिमय अथवा लंदन बुलियन बाजार संगम कीमत के आधार पर किया जाना है वहां स्वामित्व की गणना, मास के लिए ऐसे खनिज की, यथास्थिति निकाले गए अयस्क में शामिल धातु अथवा वास्तव में उत्पादित कुल उपोत्पाद के लिए, भारतीय खान ब्यूरो द्वारा यथाप्रकाशित उस मास के लिए धातु की औसत विक्रय कीमत की विनिर्दिष्ट प्रतिशतता के आधार पर की जाएगी ।

(5) जहां कहीं भी अधिनियम में यह विनिर्दिष्ट किया गया है कि किसी खनिज को स्वामित्व का संदाय टनभार आधार पर किया जाना है वहां स्वामित्व की गणना, पट्टा क्षेत्र से हटाए गए अथवा उपयोग में लाए गए खनिज उत्पाद के रूप में तथा स्वामित्व की विनिर्दिष्ट दर पर की जाएगी।

**40.** **अनंतिम मूल्यांकन और समायोजन-** (1)खनन पट्टा क्षेत्र से खनिज को हटाने अथवा उसका उपयोग करते समय, पट्टेदार उक्त खनिज ग्रेड की नवीनतम उपलब्ध औसत विक्रय कीमत के आधार पर स्वामित्व, जिला खनिज प्रतिष्ठान का संदाय, राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास को संदाय की जाने वाली रकम की गणना करेगा, और सरकार को इसके लिए अनंतिम भुगतान के रूप में उसकी संदाय करेगा ।

(2) भारतीय खान ब्यूरो द्वारा मास के लिए खनिजों की औसत विक्रय कीमत के प्रकाशन के पश्चात्, अनंतिम संदाय के लिए संदेय वास्तविक रकम का सम्यक समायोजन किया जा सकता है :

परंतु यदि किसी विशेष खनिज ग्रेड/सांद्र के लिए, भारतीय खान ब्यूरो द्वारा किसी विशेष मास के लिए राज्य के संबंध में औसत विक्रय कीमत का प्रकाशन नहीं किया जाता है, तो उस मास से जिसके लिए निर्धारित किया जाता है, पूर्ववर्ती छह मास में भारतीय खान ब्यूरो द्वारा उस विशेष राज्य के लिए उस खनिज ग्रेड/सांद्र के लिए प्रकाशित नवीनतम उपलब्ध सूचना का उपयोग किया जाएगा, जिसके न हो सकने पर उस खनिज ग्रेड/सांद्र के लिए अखिल भारतीय नवीनतम सूचना का उपयोग किया जाएगा ।

**41.** **शुष्क आधार पर प्रभार्य स्वामित्व**.–(1) धात्विक अयस्क के मामले में जहां ऐसे अयस्क में निहित धातु पर स्वामित्व प्रभार्य होता है, स्वामित्व को, लंदन धातु एक्सचेंज अथवा लंदन बुलियन बाजार संगम द्वारा प्रकाशित कीमतों पर शुष्क आधार पर प्रभारित किया जाएगा ।

**42.** **औसत विक्रय कीमत की गणना-** (1) खनिज ग्रेड/सांद्र के औसत विक्रय कीमत की गणना हेतु खान बाह्य कीमत का उपयोग किया जाएगा ।

(2) खनिज ग्रेड अथवा सांद्र की खान बाह्य कीमत निम्नलिखित होगी :

(क) जहां निर्यात हुआ हो, वहां खनिज की "जहाज पर मुफ्त" (फ्री ऑन बार्ड) कीमत में से खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर, सड़क द्वारा परिवहन प्रभार, लदाई और बिनालदाई प्रभार, रेलवे भाड़ा (यदि लागू हो) पत्तन हैंडलिंग प्रभार/निर्यात प्रभार, सैम्पलिंग और विश्लेषण प्रभार, स्टॉकिंग यार्ड पर प्लाट हेतु किराया, पत्तन में हथलाई प्रभार, स्टीवडोरिंग और ट्रिमिंग प्रभार, खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर खर्च किए गए समय समय पर भारतीय खान ब्यूरो द्वारा अधिसूचित कोई अन्य आकस्मिक प्रभार, पर किए गए वास्तविक खर्च को घटाकर उसे निर्यात की गई कुल मात्रा से विभाजित किया जाएगा ।

(ख) जहां घरेलू बिक्री हुई हो, वहां खनिज की विक्रय कीमत में से परिवहन, लदाई, बिना लदाई, स्टॉकिंग यार्ड में प्लॉट के लिए किराया, सैम्पलिंग और विश्लेषण प्रभार और खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर समय-समय पर भारतीय खान ब्यूरो द्वारा यथाअधिसूचित कोई अन्य प्रभार पर खर्च किए गए वास्तविक व्यय को घटाकर उसे विक्रय की गई कुल मात्रा से विभाजित किया जाएगा ।

(ग) जहां विक्रय संबंधित पक्षों के बीच हुई हो और/अथवा जहां बिक्री आर्मस लेंथ आधार पर न की गई हो, तो इस बिक्री को इस नियम के उद्देश्य हेतु बिक्री के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी, और ऐसे मामले में उप-खंड (घ) लागू होगा ।

(घ) जहां विक्रय नहीं हुआ हो, वहां राज्य विशेष के खनिज ग्रेड/सांद्र के संबंध में भारतीय खान ब्यूरो द्वारा मासिक आधार पर प्रकाशित औसत विक्रय मूल्य:

परंतु यह कि यदि भारतीय खान ब्यूरो द्वारा किसी विशेष मास के लिए राज्य हेतु किसी विशेष खनिज ग्रेड/सांद्र के लिए सूचना प्रकाशित न की गई हो, तो भारतीय खान ब्यूरो द्वारा उस राज्य विशेष के लिए उस खनिज ग्रेड/सांद्र के लिए रिपोर्टिंग मास से ठीक छः मास पूर्व प्रकाशित पिछली उपलब्ध सूचना का उपयोग किया जाएगा, ऐसा न होने पर खनिज ग्रेड/सांद्र के लिए अखिल भारतीय नवीनतम सूचना का उपयोग किया जाएगा ।

(3) माह के लिए किसी खनिज ग्रेड/सांद्र की औसत विक्रय कीमत, उपर्युक्त उपाबंधो के अनुसार संगणित, गैर-कैप्टिव खानों की खान बाह्य कीमत का भारित औसत होगा, जिसमें भार प्रत्येक खान बाह्य कीमत से संबंधित खनन पट्टा क्षेत्र से प्रेषित की गई खनिज ग्रेड/सांद्र के मात्रा की होगी।

**43. औसत विक्रय कीमत का प्रकाशन.**—भारतीय खान ब्यूरो, खनिज संरक्षण विकास नियम, 1988 के अंतर्गत यथाअपेक्षित मासिक विवरणी प्रस्तुत की नियत तारीख से 45 दिन के भीतर राज्य में, मास में खनन पट्टा से निकाले गए प्रत्येक खनिज ग्रेड/सांद्र के संबंध में औसत विक्रय मूल्य को प्रकाशित करेगा ।

**44. धातु की औसत विक्रय कीमत.**—भारतीय खान ब्यूरो प्रत्येक माह, नीचे निर्दिष्ट तरीके से भारतीय रुपए में धातु की औसत विक्रय कीमत प्रकाशित करेगा ।

(i) एल्युमिनियम, तांबा, सीसा, निकेल, टिन और जिंक के संबंध में, मास के सभी दिनों के दौरान उपलब्ध उक्त धातु के लिए लंदन धातु एक्सचेंज की व्यवस्थित कीमत को, उस करंसी, जिसमें कीमत अभिप्राप्त हुई है के लिए उस दिन के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की संदर्भ दर से गुणा किया जाएगा ।

(ii) स्वर्ण और चांदी के संबंध में, लंदन बुलियन बाजार संगम की नीलामी कीमत ली जाएगी ।

(iii) जहां उस दिन की भारतीय रिज़र्व बैंक की संदर्भ दर उपलब्ध नहीं है जिसमें लंदन धातु एक्सचेंज/लंदन बुलियन बाजार संगम की कीमत उपलब्ध है, वहां इससे ठीक पहले दिन के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की संदर्भ दर का उपयोग किया जाएगा ।

(iv) ऊपर यथानिर्दिष्ट, भारतीय रुपए में आकलित, धातु की दैनिक कीमतों के संबंध में माह के लिए साधारण औसत को, भारतीय खान ब्यूरो द्वारा, उस महीने के लिए उक्त धातु की औसत विक्रय कीमत के रूप में प्रकाशित किया जाएगा ।

**45. एल्युमिना और एल्युमिनियम निष्कर्षण, चूनापत्थर, टंगस्टन में उपयोग किए जाने हेतु धातुकर्मीय ग्रेड बॉक्साइट के लिए औसत विक्रय कीमत की गणना करने का सूत्र.**—(1) राज्य सरकार, निम्न तरीके से धातुकर्मीय बॉक्साइट की औसत विक्रय कीमत निकालेगा:

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| औसत विक्रय कीमत | = | 52.9/100 | x | शुष्क आधार पर बॉक्साइट में $Al_2O_3$ की प्रतिशत | X | आईबीएम द्वारा यथाप्रकाशित माह के लिए भारतीय रुपए में औसत एल्युमिनियम कीमत |

(2) चूनापत्थर की औसत विक्रय कीमत को प्रकाशित करने के लिए आईबीएम द्वारा निम्न प्रक्रिया अपनाई जायगी :-

(क) माह के लिए अखिल भारत के लिए संगणित गैर-कैप्टिव कीमतों का भारित औसत; अथवा

(ख) मास हेतु राज्य के लिए भारित औसत कैप्टिव कीमत का 115%,जो भी उच्चतर हो ।

(3) टंगस्टन सांद्र की औसत विक्रय कीमत को प्रकाशित करने के लिए आईबीएम द्वारा निम्न प्रक्रिया अपनाई जाएगी :

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| औसत विक्रय कीमत | = | मास के लिए प्रति मिट्रिक टन $WO_3$ का न्यूनतम कीमत + माह के लिए $WO_3$ प्रति मिट्रिक टन का उच्चतम कीमत / 2 | X | माह के लिए आरबीआई संदर्भ दर का औसत |

टंगस्टन सांद्र की औसत विक्रय कीमत को संकलित करने के लिए आईबीएम द्वारा यूएसजीएस की खनिज उद्योग सर्वेक्षण में उपलब्ध मासिक कीमत को लिया जाएगा।

46. **खान बहिस्राव के संबंध में औसत विक्रय कीमत.**—(1) यथा आवश्यक माने जाने वाले भूवैज्ञानिक अध्ययनों और पट्टेधारी द्वारा खनन पट्टा में दिए गए डाटा/सूचना के आधार पर, भारतीय खान ब्यूरो राज्य के लिए खान बहिस्राव में लंप के और मौजूद फाइन्स के औसत प्रतिशत का पता लगाएगा । भारतीय खान ब्यूरो द्वारा ऐसे एकमुश्त और फाइन्स के ऐसे औसत प्रतिशत को आवश्यकतानुसार संशोधित किया जा सकता है ।

(2) भारतीय खान ब्यूरो द्वारा, किसी भी खनिज के लिए ऐसे औसत प्रतिशत को आकलित करने हेतु प्रयोग किए गए डाटा स्रोत और पद्धति को प्रकाशित किया जाएगा ।

(3) लंपस और फाइन्स के औसत प्रतिशत और माह के लिए उस खनिज ग्रेड के तथा लंपस और फाइन्स के औसत विक्रय कीमत का उपयोग करके, भारतीय खान ब्यूरो प्रत्येक माह, प्रत्येक राज्य के लिए, जहां कहीं अपेक्षित हो, खान बहिस्राव के सभी ग्रेडों की औसत विक्रय कीमत को प्रकाशित करेगा ।

47. **महानियंत्रक द्वारा निदेश जारी करने का अधिकार.**—महानियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, इस अध्याय के प्रावधानों को लागू करने के लिए जब कभी अपेक्षित हो, आवश्यक निर्देश जारी कर सकेंगे ।

**अध्याय XIII : संदाय**

48. **फीस और निक्षेप कैसे किया जाना चाहिए** : इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन भुगतान की जाने वाली कोई राशि, नियम 35 के उप-नियम (1) के अधीन पुनरीक्षण याचिका के संबंध में संदेय राशि को छोड़कर, उस रीति से संदत्त की जाएगी जो राज्य सरकार इस बारे में विनिर्दिष्ट करें ।

49. **ब्याज का संदाय.**–राज्य सरकार, अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाए गए नियमों में अंतर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किसी किराए, रॉयल्टी अथवा फीस पर, नियम 35 के उप-नियम (2) के अधीन संदेय फीस को छोड़कर, इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बने नियमों अथवा किसी खनिज रियायत की शर्तों और निबंधनों के अधीन उस सरकार को शोध्य अन्य रकम पर, ऐसी रॉयल्टी, किराया, फीस अथवा अन्य राशि के भुगतान के संदाय के लिए उस सरकार द्वारा नियत तारीख की समाप्ति की तारीख से साठवें दिन से, जब तक कि ऐसी रॉयल्टी, किराया, फीस अथवा अन्य राशि का संदाय नहीं किया जाता है, 24 प्रतिशत वार्षिक की दर पर साधारण ब्याज प्रभारित कर सकेगी।

50. **धारा 9ख और धारा 9ग के अधीन भुगतान.**–यहां उल्लिखित भुगतानों के अतिरिक्त, किसी खनन पट्टा अथवा किसी पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति-खनन-पट्टा के धारक को क्रमश: धारा 9ख और धारा 9ग तथा उससे संगत नियमों के उपाबंधों के अनुसरण में जिला खनिज फाउंडेशन तथा राष्ट्रीय खनिज गवेषण न्यास को धनराशि का संदाय करना होगा।

51. **खनिज (नीलामी) नियम, 2015 के नियम 13 के अधीन भुगतान.**–यहां उल्लिखित भुगतानों के अतिरिक्त, किसी खनन पट्टाधारी अथवा किसी पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति-सह-खनन पट्टाधारी को खनिज (नीलामी) नियम, 2015 के नियम 8 के अधीन लागू धनराशि मासिक आधार पर राज्य सरकार को संदाय करनी होगी ।

**अध्याय-XIV : प्रतिकर**

52. **सतही अधिकारों आदि के स्वामी को प्रतिकर का भुगतान.**–(1) कोई खनिज रियायत धारी, उस भूमि के सतह के दखलकार को, जिस पर वह रियायत धारी है, इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा यथा निर्धारित ऐसे वार्षिक प्रतिकर का भुगतान उप-नियम (2) से (4) में उपबंधित रीति से करने के दायित्वधीन होगा ।

(2) कृषि भूमि के मामले में, वार्षिक प्रतिकर की रकम की गणना, पूर्ववर्ती तीन वर्ष के लिए उसी प्रकार की भूमि पर खेती से शुद्ध वार्षिक आय के औसत के आधार पर की जाएगी।

(3) गैर-कृषि भूमि के मामले में, वार्षिक प्रतिकर की रकम की गणना, पूर्ववर्ती तीन वर्ष के लिए, उसी प्रकार की भूमि के लिए वार्षिक भाड़ा मूल्य के औसत के आधार पर की जाएगी।

(4) उपनियम (1) में निर्दिष्ट वार्षिक प्रतिकर, ऐसी तारीख पर या उससे पहले संदेय होगी, जो राज्य सरकार इस बारे में विनिर्दिष्ट करे।

**53. क्षति के मुआवजे का आकलन** : (1) खनिज रियायत की समाप्ति, व्यपगत, समर्पण अथवा निरस्त होने के परिणाम स्वरूप खनन प्रचालन के बंद हो जाने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा आवीक्षण सर्वेक्षण अथवा पूर्वेक्षण अथवा खनन संक्रियाओं, जैसा भी मामला हो, के द्वारा भूमि को पहुंचाई गई कोई भी हानि, यदि कोई हो, का आकलन किया जाएगा तथा सतही भूमि के दखलकार को खनिज रियायत धारक द्वारा देय मुआवजे की राशि का, जैसा भी मामला हो, निर्धारण किया जाएगा।

(2) प्रत्येक ऐसे आकलन खनिज रियायत की समाप्ति, व्यपगत, समर्पण अथवा निरस्त होने के परिणाम स्वरूप खनन प्रचालन के बंद हो जाने के तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर किया जाएगा और इसे इस बारे में राज्य सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा नियुक्त अधिकारी द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा।

**अध्याय-XV : शास्ति**

**54. दंड** : इन नियमों के किसी उपाबंध का कोई उल्लंघन दंडनीय होगा जिसमें एक अवधि के लिए कारावास जो दो वर्ष तक का हो सकता है अथवा जुर्माना जो पांच लाख रुपए तक का हो सकता है अथवा दोनों, और लगातार उल्लंघन किए जाने के मामले में अतिरिक्त जुर्माना, जो इस प्रकार के पहले उल्लंघन के लिए दोष सिद्ध होने के बाद इस प्रकार के उल्लंघनों के जारी रहने के दौरान प्रत्येक दिन के लिए पचास हजार रुपए तक हो सकता है।

**अध्याय-XVI : निरसन और व्यावृत्ति**

**55. निरसन और व्यावृत्ति** : (1) इन नियमों के प्रारंभ होने पर, खनिज रियायत नियम, 1960 उन सभी खनिजों के लिए लागू नहीं रहेंगे जिनके लिए इस प्रवर्तन से पूर्व किए गए अथवा किए जाने के लिए विलोपित चीजों के सिवाय खनिज (परमाणु तथा हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों को छोड़कर) रियायत नियम, 2015 लागू है।

(2) इन नियमों का प्रारंभ होने पर, उन खनिजों के संबंध में जिन पर ये नियम लागू होते है, इस अधिनियम अथवा किसी अन्य दस्तावेज के अधीन बनाए गए नियमों में खनिज रियायत नियम, 1960 का किसी भी प्रसंग को खनिज (परमाणु और हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिज को छोड़कर) रियायत नियम, 2015 जहां तक यह उसके संदर्भ में विरुद्ध नहीं है, प्रतिस्थापित माना जाएगा।

**अध्याय-XVII : प्रकीर्ण**

**56. पट्टों का समामेलन.**—राज्य सरकार, खनिज विकास के हित में और लिखित में अभिलेखित कारणों से किसी पट्टाधारी द्वारा धारित दो अथवा अधिक समीपस्थ पट्टों के समामेलन की अनुज्ञा दे सकती हैं।

परंतु, कि समामेलित पट्टों की अवधि उस पट्टे के साथ सह-समाप्त होगी, जिसकी अवधि पहले समाप्त होगी।

**57. खनिज रियायत के अधीन प्रदत्त क्षेत्र का विस्तार.**—किसी खनिज रियायत के अधीन प्रदत्त क्षेत्र के विस्तार में, खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (ञ) में यथा परिभाषित 'खान' की परिभाषा के अधीन आने वाली सभी संक्रियाओं के लिए अपेक्षित गैर-खनिजयुक्त क्षेत्र भी शामिल होगा।

**58. प्रकट त्रुटियों को सुधारने की शक्ति.**—इस नियमों के अधीन सरकार अथवा किसी अन्य प्राधिकरण अथवा अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश में लिपिकीय अथवा अंक गणितीय त्रुटि तथा संयोगवश कोई भूल अथवा चूक के कारण उसमें उत्पन्न किसी त्रुटि को आदेश की तारीख से दो वर्ष के भीतर सरकार, प्राधिकरण अथवा अधिकारी, जैसा भी मामला हो, द्वारा संशोधित किया जाएगा :

परंतु, किसी व्यक्ति से संबंधित कोई प्रतिकूल संशोधन आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक उस व्यक्ति को सुनवाई का समुचित अवसर न दिया गया हो।

**59. सरकार को अनुज्ञप्तियों और पट्टों की प्रतियां तथा वार्षिक विवरणियां प्रदान किया जाना.**—(1) अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन प्रदत्त अथवा नवीकृत प्रत्येक खनिज रियायत की एक प्रति प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा ऐसे अनुदान अथवा नवीकरण के दो माह के भीतर महानियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो तथा महानिदेशक, खान सुरक्षा महानिदेशालय को प्रदान की जाएगी।

(2) इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन प्रदत्त अथवा नवीकृत सभी खनिज रियायतों की एक समेकित वार्षिक विवरणी प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा महानियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो को, उसके द्वारा यथा निर्दिष्ट प्ररूप में, जिस वर्ष से विवरणी संबंधित है, उसके जून मास की 30 तारीख के बाद नहीं, प्रदान की जाएगी और उसी समय राज्य सरकार द्वारा उस विवरणी की एक प्रति महानिदेशक, खान सुरक्षा महानिदेशालय को भी प्रदान की जाएगी ।

60. **पट्टा कर्ता , पट्टेदार को कतिपय सूचना प्रदान करेगा.—जहां कोई क्षेत्र, खनिज**-रियायत के अधीन पूर्व में धारित किया गया है वहा वह व्यक्ति जिसने ऐसी रियायत, अनुदत्त की है, नये रियायत धारक, को उस क्षेत्र में छोड़े गये समस्त कार्यो सहित सभी योजनाओं की मूल अथवा प्रमाणित प्रतिलिपियां उपलब्ध कराएगा ।

61. **नाम, राष्ट्रीयता आदि में परिवर्तन की सूचना दिया जाना.**—(1) खनिज रियायत के लिए आवेदक या उसका धारक, राज्य सरकार को साठ दिन के भीतर उसके नाम, राष्ट्रीकता अथवा राज्य सरकार को दिए गए अन्य विवरण में हुए किसी परिवर्तन की, सूचना देगा ।

(2) यदि खनिज रियायत धारक, बिना पर्याप्त कारणों के उपनियम (1) में निर्दिष्ट सूचना देने में असफल रहता है, तो राज्य सरकार, पांच लाख रुपए तक का जुर्माना लगा सकती है और उप-नियम (1) के उपाबंधों के लगातार उल्लंघन के मामले में राज्य सरकार खनिज रियायत निरस्त कर सकती है ।

परंतु, रियायत धारक को यथास्थिति, उसको अपना पक्ष रखने के लिए यथोचित अवसर दिये बिना ऐसा कोई आदेश नहीं दिया जाएगा ।

62. **राज्य सरकार के माध्यम से केंद्रीय सरकार का पूर्व अनुमोदन अथवा केंद्रीय सरकार से छूट प्राप्त किया जाना.**-जहां किसी मामले में, अधिनियम या इसके अधीन बने नियमों के अधीन, केंद्रीय सरकार का पूर्व-अनुमोदन या केंद्रीय सरकार से छूट अध्यपेक्षित है, तो ऐसे अनुमोदन के लिए आवेदन, राज्य सरकार के माध्यम से, केंद्रीय सरकार को दिया जाएगा ।

63. **विद्यार्थियों के प्रशिक्षण हेतु सुविधाएं.**—(1) खान का प्रत्येक स्वामी, अभिकर्ता अथवा प्रबंधक केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित, खनन भू-विज्ञान एवं खनिज प्रसंस्करण संस्थानों के अनुसंधानकर्ताओं या विद्यार्थियों को अनुसंधान अथवा उनके द्वारा प्रचालित खानों और संयंत्रों का व्यवहारिक प्रशिक्षण अर्जित करने के लिए अनुज्ञा देगा और समस्त आवश्यक सुविधाएं जो ऐसे विद्यार्थियों के प्रशिक्षण के लिए अध्यपेक्षित है, प्रदान करेगा ।

(2) खनन, या भू-विज्ञान अथवा खनिज प्रसंस्करण शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों से अनुसंधान अथवा प्रशिक्षण हेतु आवेदनों को, खान के स्वामी अभिकर्ता या प्रबंधक को प्राचार्य या संस्थान के प्रमुख के माध्यम से अग्रेषित किया जाएगा ।

(3) खान के किसी स्वामी एजेंट या प्रबंधक, द्वारा अनुसंधान या व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिए सुविधाएं देने से इंकार के मामलों को, भारतीय खानों के ब्यूरो के महानियंत्रक को 30 दिनों के भीतर विनिश्चय लेने के लिए भेजा जाएगा ।

64. **भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण और परमाणु ऊर्जा विभाग को भू-भौतिकी आंकडे प्रदाय किया जाना.**—(1) खनिज रियायत धारक निम्न पूर्ति करेगा-

(क) आवीक्षण अथवा पूर्वेक्षण अथवा खनन संक्रियाओं के उपक्रम के दौरान एकत्रित किए गए पूर्वेक्षण या खनन क्षेत्रों या अभियांत्रिकी और भू-जल सर्वेक्षणों से संबंधित समस्त भू-भौतिकी आंकडे, जैसे विषमता द्योतक मानचित्र, खंडों, योजनाओं संरचनाओं समोच्च नक्शे, लट्ठो को, महानिदेशक, भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण, कोलकाता और उस राज्य जिस राज्य में आवीक्षण या पूर्वेक्षण या खनन संक्रियाएं चलाई जाती हैं भू-विज्ञान और खनन निदेशक (चाहे जिस नाम से हो) देगा ।

(ख) परमाणु खनिज के प्रासंगिक अन्वेषणों संबंधी समस्त सूचनाएं, जो आवीक्षण अथवा पूर्वेक्षण अथवा खनन संक्रियाओं के उपक्रम के दौरान उसके द्वारा खोजी और एकत्रित की गई हो, निदेशक, परमाणु खनिज खोज और अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद को और राज्य, जिसमें आवीक्षण या पूर्वेक्षण या खनन संक्रियाएं चलाई गई हो के भू-विज्ञान और खनन के निदेशक, (जिस भी नाम से बुलाया जाए) को भेजी जाएगी ।

(2) उपनियम (1) में संदर्भित आकडे अथवा सूचनाएं, खनिज रियायत की कालावधि के प्रारंभ होने की तारीख से गणना किए गए प्रत्येक वर्ष में दी जाएगी ।

65. **परमाणु खनिजों से संबंधित विशेष उपबंध.**—(1) इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी पूर्वेक्षण अथवा खनन संक्रियाएं निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगी–

(क) यदि खनिज रियायत का कोई धारक, रियायत के अधीन अनुदत्त क्षेत्र में किसी परमाणु खनिज की खोज करता है, जो रियायत में विनिर्दिष्ट नहीं है, तो ऐसे खनिज की खोज को, ऐसे खनिज की खोज की तारीख से तीस दिनों के भीतर निदेशक, परमाणु खनिज खोज और अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद को सूचित किया जाएगा;

(ख) रियायत धारक, ऐसे परमाणु खनिज को प्राप्त या व्ययन नहीं करेगा और धारा 11ख के अधीन बने नियम में विनिर्दिष्ट तरीके से उसका निपटान किया जाएगा;

(ग) ऐसे पूर्वेक्षण खनन संक्रियाओं के अनुषंग में प्राप्त परमाणु खनिजों की मात्राएं संगृहीत और पृथकत: स्टेक की जाएंगी और इस आशय की रिपोर्ट प्रत्येक तीन मास में सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग, मुम्बई और निदेशक, परमाणु खनिज खोज और अनुसंधान, निदेशालय, हैदराबाद को रियायतधारी द्वारा ऐसी और कार्रवाई करने के लिए भेजी जाएगी जो परमाणु खनिज खोज और अनुसंधान, निदेशालय या परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा निर्देशित की जाए ।

66. **क्षेत्र में एक से अधिक खनिज के लिए पट्टे की कालावधि.—**जहां नीलामी के जरिए अनुदत्त क्षेत्र में एक से अधिक खनिज पाए जाते हैं, वहां सभी खनिजों के लिए पट्टे की कालावधि उस पट्टे की कालावधि के साथ समाप्त होगी, जिसके लिए मूलत: पट्टा अनुदत्त किया गया था ।

67. **जहां पूर्वेक्षण संक्रियाएं की जानी है, अधिसूचना जारी करना.–**(1) जहां पूर्वेक्षण संक्रियाएं भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण, भारतीय खान ब्यूरो, केंद्रीय सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के परमाणु-खनिज प्रभाग, किसी भी राज्य के खनन और भू-विज्ञान निदेशालय (चाहे किसी नाम से पुकारा जाता हो) अथवा मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एक सरकारी कंपनी, द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 (2013 का 18) की धारा 2 के खंड (145) के अंतर्गत किया जाना है और केंद्रीय सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए अधिसूचित ऐसी किसी संस्था को राज्य सरकार, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना जारी करके क्षेत्र का विवरण देते हुए तथा कालावधि जिसके लिए पूर्वेक्षण संक्रियाएं की जानी है, जारी की जाएगी ।

(2) राज्य सरकार उप-नियम (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना के संबंध में किसी क्षेत्र अथवा उसके भाग के लिए किसी अन्य व्यक्ति को खनिज रियायत का अनुदान नहीं करेगी ;

(3) राज्य सरकार, उप-नियम (1) के अधीन जारी किसी अधिसूचना को वापस ले सकेगी, यदि पूर्वेक्षण संक्रियाएं, अधिसूचना में उल्लेखित अवधि की समाप्ति से पूर्व पूरी हो गई हों ।

68. **राज्य सरकारों द्वारा पूर्वेक्षण अथवा खनन संक्रियाएं.—**(1) राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार के साथ पूर्व परामर्श के पश्चात् और धारा 18 के अधीन बने नियमों के अनुसार राज्य के भीतर किसी भी क्षेत्र में, जो किसी खनिज रियायत के अधीन पहले से धारित नहीं है, अधिनियम की पहली अनुसूची के भाग-ग में सूचीबद्ध किसी भी खनिज का आवीक्षण, पूर्वेक्षण अथवा खनन संक्रियाएं कर सकती है;

परंतु ऐसे मामले में राज्य सरकार सरकारी राजपत्र में, क्षेत्र का विवरण तथा कालावधि, जिसके लिए ऐसी संक्रियाएं, किया जाना प्रस्तावित की गई है, देते हुए अधिसूचना जारी करेगी;

परंतु यह और कि यदि राज्य सरकार, अधिसूचना में उल्लेखित समयावधि के भीतर आवीक्षण, पूर्वेक्षण या खनन संक्रिया का कार्य करने में विफल रहती है तो इस प्रकार जारी की गई अधिसूचना उक्त समयावधि के समाप्त होने पर व्यपगत हो जाएगी जब तक कि नई अधिसूचना द्वारा समयावधि को बढ़ाया न गया हो ।

69. **सतह से नीचे परिसीमा.—**खनन पट्टा के अंतर्गत क्षेत्र की परिसीमा सतह से नीचे पृथ्वी के केन्द्र की ओर नीचे की तरफ उर्ध्वाधर होंगी ।

70. **लंबित आवेदन.—**इन नियमों के प्रारंभ होने पर लंबित आवेदन, जो अधिनियम और उसके अधीन बने नियमों के असंगत नहीं है, को इन नियमों के उपाबंधों के अनुसार निपटाया जाएगा ।

## अनुसूची-I

(नियम 5 (1) देखें)

**आवीक्षण अनुज्ञा के धारक द्वारा पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के अनुदान हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले आवेदन का रूप विधान**

सेवा में,

[पता]

मैं/हम यह अनुरोध करता हूँ/करते हैं कि मुझे/हमें इन नियमों के अंतर्गत पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति अनुदत्त की जाए।

| क्र. सं.<br>(1) | मद ब्यौरे<br>(2) | विशिष्टियां<br>(3) |
|---|---|---|
| 1. | आवेदक का नाम<br>(फर्म अथवा व्यक्तियों की अन्य एसोसिएशन की स्थिति में, फर्म अथवा व्यक्तियों की एसोसिएशन, जैसी भी स्थिति हो, में शामिल प्रत्येक व्यक्ति का नाम लिखें।) | |
| 2. | आवेदक का पता<br>(फर्म अथवा व्यक्तियों की अन्य एसोसिएशन की स्थिति में, फर्म अथवा व्यक्तियों की एसोसिएशन, जैसी भी स्थिति हो, में शामिल प्रत्येक व्यक्ति का पता लिखें।) | |
| 3. | आवेदक की स्थिति<br>• व्यक्ति<br>• फर्म<br>• व्यक्तियों की अन्य संगम<br>• कंपनी | |
| 4. | आवीक्षण अनुज्ञा संख्या | |
| 5. | आवीक्षण अनुज्ञा विलेख के निष्पादन की तारीख और इसकी समाप्ति की तारीख | |
| 6. | संदेय आवेदन फीस (यथानुपात आधार पर एक हजार रुपए/- प्रति वर्ग कि.मी. की दर से गणना की जाए) | |
| 7. | बैंक का नाम, डिमांड ड्राफ्ट या चालान संख्या और तारीख जिसके माध्यम से आवेदन फीस का भुगतान किया गया | |
| 8. | खनिज (खनिजों) जिसके पूर्वेक्षण का आवेदक इच्छुक है। | |
| 9. | अवधि जिसके लिए पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति अपेक्षित है। | |
| 10. | क्षेत्र का विस्तार (हेक्टेयर में) जिसके लिए पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति अपेक्षित है। | |
| 11. | क्षेत्र का विवरण | |
| 11.1 | जिला | |
| 11.2 | ग्राम | |
| 11.3 | तालुका (तहसील) | |
| 11.4 | खसरा संख्या | |
| 11.5 | क्षेत्र का भू-कोर्डिनेट | |
| 11.6 | भारतीय सर्वेक्षण टोपोशीट संख्या | |
| 12. | जहां भूमि पर आवेदक का स्वामित्व नहीं है क्या वहां आवेदक ने पूर्वेक्षण कार्य शुरू करने हेतु क्षेत्र पर सतही अधिकार या भूस्वामी की सहमति हासिल कर ली है ? | हां /नहीं |
| 13. | क्या आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र में पड़ता है<br>यदि हां, तो निम्नलिखित विवरण दिया जाय | हां/नहीं |
| 13.1 | वन प्रभाग, ब्लॉक और रेंज | |
| 13.2 | वन की विधिक स्थिति (नामत: आरक्षित, संरक्षित, अवर्गीकृत आदि) | |
| 13.3 | क्या यह राष्ट्रीय उद्यान अथवा वन्य जीव अभयारण्य का भाग है | |

| | | |
|---|---|---|
| 13.4 | चिन्हित क्षेत्र वाला वन मानचित्र संलग्न करें। यदि वन मानचित्र उपलब्ध नहीं है तो सभी वनाकृतियों को दर्शाते हुए पैमाना पर बने क्षेत्र को स्केच योजना पर चिन्हित होना चाहिए | |
| 14. | राज्य में क्षेत्र का खनिजवार विवरण जो आवेदक व्यक्तिगत या संयुक्त रूप से :-<br>(क) पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति-सह खनन पट्टा के अधीन पहले से ही धारित है,<br>(ख) पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति-सह खनन पट्टा के लिए आवेदन किया है परंतु अनुदत्त नहीं किया गया है; और<br>(ग) पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति-सह खनन पट्टा के लिए साथ-साथ आवेदन किया गया है। | |
| 15. | क्या आवेदक ने आवीक्षण अनुज्ञा के अंतर्गत धारित क्षेत्र पर आवीक्षण संक्रियाए की है और खनिज (खनिज अन्तर्वस्तु का साक्ष्य) नियम, 2015 के अनुरूप भू वैज्ञानिक रिपोर्ट तैयार की है? | हां/नहीं |
| 16. | क्या आवेदन फार्म के साथ भू-वैज्ञानिक रिपोर्ट संलग्न की गई है ? | हां/नहीं |
| 17. | क्या आवेदक ने आवीक्षण अनुज्ञा की निबंधनों एवं शर्तों का कोई उल्लंघन किया है ? | हां/नहीं |
| 18. | क्या आवेदक, अधिनियम के उपबंधों के अधीन अपात्र हुआ है ? | हां/नहीं |
| 19. | क्या आवेदक ने, अधिनियम की धारा 10क की उप-धारा (2) के खंड(ख) के उपखंड (iv) में निर्दिष्ट समयावधि में आवेदन किया है ? | हां/नहीं |
| 20. | क्या आवेदक, किसी भी न्यायालय द्वारा अवैध खनन का दोषी पाया गया है ? | हां/नहीं |

मै/हम एतद्द्वारा घोषण करता हूँ/करते हैं कि उपर्युक्त दिए गए विवरण सही हैं और मैं/हम सटीक योजना एवं निष्पादन प्रतिभूति, जैसे भी आपके द्वारा वांछित हो; सहित कोई भी अन्य विवरण प्रस्तुत करने हेतु तैयार हूँ/हैं।

भवदीय

**आवेदक के हस्ताक्षर**

स्थान :

दिनांक:

**आवेदको के लिए अनुदेश:**

(क) आवेदक, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित रूप विधान में खनन देयता जैसे कि अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत देय रॉयल्टी, अनिवार्य किराया अथवा सतही किराए, यदि कोई हो, के भुगतान के संबंध में उस सरकार अथवा उस सरकार द्वारा किसी अधिकारी अथवा प्राधिकारी का एक वैध मंजूरी प्रमाण-पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत करेगा।

परंतु कि यदि आवेदक एक फर्म या व्यक्तियों की एसोसिएशन है तो फर्म के सभी हिस्सेदारों अथवा एसोसिएशन के सभी सदस्यों, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा ऐसा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा ;

परंतु यह और कि जहां किसी व्यक्ति ने राज्य सरकार की संतुष्टि के अनुसार एक हल्फनामा यह उल्लेख करते हुए दिया हो कि उसके पास पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति-सह-खनन पट्टा अथवा खनन पट्टा नहीं है और न ही उसके पास था, तब उसे वैध मंजूरी प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।

परंतु यह भी कि मंजूरी प्रमाण पत्र मिलने से ऐसा प्रमाण पत्र का धारक खनन देयता, जो अधिनियम या उसके अधीन बने नियमों के अंतर्गत बाद में उसके द्वारा देय जाते है, के भुगतान से मुक्त नहीं होगा।

(ख) आवेदक एक कंपनी होने की स्थिति में, आवेदन, आवेदक के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित होना चाहिए। आवेदक, एक व्यक्ति होने की स्थिति में, आवेदन आवेदक के द्वारा स्वयं हस्ताक्षरित होना चाहिए। फर्म अथवा व्यक्तियों की एसोसिएशन होने की स्थिति में फर्म या एसोसिएशन के सभी व्यक्ति आवेदन पर हस्ताक्षर करेंगे।

(ग) आवेदन के साथ आवेदक (एक कंपनी के मामले में) का प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का कार्पोरेट प्राधिकृतीकरण संलग्न होना चाहिए। ऐसे कार्पोरेट प्राधिकृतीकरण में किसी परिवर्तन के संबंध में राज्य सरकार को तत्काल सूचित किया जाएगा।

## अनुसूची –II

(नियम 5(2), 6(2), 7(2), 8(1) व 10 (2) देखें)

**आवेदन की प्राप्ति से संबंधित पावती का रूप विधान**

सरकार [राज्य का नाम]

[दिनांक]

संदर्भ:

[आवेदक/आवेदकों का नाम व पता]............................................................. द्वारा [आवेदन का प्रयोजन].................के लिए [आवेदन प्राप्ति की तारीख ].......................को निम्नलिखित अनुलग्नकों के साथ आवेदन प्राप्त किया ।

संलग्नक:

(1)...............

(2)...............

स्थान:

दिनांक:

आवेदन प्राप्त करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर एवं पदनाम

## अनुसूची-III

[नियम 5(4), 7(4) देखें]

मौजूदा आवीक्षण अनुज्ञा धारक/मौजूदा पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति धारक द्वारा पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति/खनन पट्टा के लिए आवेदन की प्रस्तुति हेतु राज्य सरकार से समय का विस्तार करने के लिए आवेदन का रूप विधान ।

सेवा में,

[पता]

मैं/हम अपने पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति/खनन पट्टा के लिए आवेदन करने के लिए समय का विस्तार करने का अनुरोध करता हूँ/करते हैं ।

| क्रम सं. | मद का विवरण | विवरण |
|---|---|---|
| 1. | आवेदक का नाम पता सहित<br>(फर्म अथवा व्यक्तियों की अन्य एसोसिएशन की स्थिति में, फर्म अथवा व्यक्तियों की एसोसिएशन, जैसी भी स्थिति हो, में शामिल प्रत्येक व्यक्ति का नाम और पता लिखें ।) | |
| 2. | आवीक्षण अनुज्ञा /पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति संख्या | |
| 3. | आवीक्षण अनुज्ञा /पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के निष्पादन की तारीख तथा उसकी समाप्ति की तारीख | |
| 4. | पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति खनन पट्टा हेतु आवेदन को प्रस्तुत करने के लिए समय विस्तार कराने का (के) कारण | |
| 5. | समय का विस्तार कराने की अवधि | |

मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि उपर्युक्त दिया गया विवरण सही है और आपके द्वारा यथावांछित किसी अन्य विवरण को प्रस्तुत करने हेतु तत्पर हूँ/हैं।

भवदीय

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान:

दिनांक:

(क) आवेदक, के लिए अनुदेश एक कंपनी होने की स्थिति में, आवेदन, आवेदक के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित होना चाहिए । आवेदक, एक व्यक्ति होने की स्थिति में, आवेदन आवेदक के द्वारा स्वयं हस्ताक्षरित होना चाहिए । फर्म अथवा व्यक्तियों की एसोसिएशन होने की स्थिति में फर्म या एसोसिएशन के सभी व्यक्ति आवेदन पर हस्ताक्षर करेगें ।

(ख) आवेदन के साथ, आवेदक (एक कंपनी के मामले में) का प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का कार्पोरेट प्राधिकृतीकरण संलग्न होना चाहिए । ऐसे कार्पोरेट प्राधिकृतीकरण में किसी परिवर्तन के संबंध में राज्य सरकार को तत्काल सूचित किया जाएगा ।

## अनुसूची-IV

**[नियम 5(10)(ग), 7(10)(ख) और 8(3) (क) देखें]**

**निष्पादन सुरक्षा के लिए बैंक गारंटी का प्रारूप**

[तारीख]

**[बैंक की संदर्भ सं.]**

सेवा में,

**राज्यपाल (राज्य का नाम)**

(पता)

यत:

क. **[नाम]** कंपनी अधिनियम, [1956/2013] के अधीन भारत में निगमित, जिसकी कॉरपोरेट पहचान संख्या (आवेदक का सीआईएन), जिनका पंजीकृत कार्यालय (पंजीकृत कार्यालय का पता), भारत में है और कारोबार का प्रमुख स्थान [कारोबार के प्रमुख स्थान का पता, यदि रजिस्ट्रीकृत कार्यालय से भिन्न हो] है **("आवेदक")** को (निष्पादन बैंक प्रत्याभूति की समाप्ति की तारीख) ("समाप्ति तारीख") तक वैध निष्पादन सुरक्षा के तौर पर भारतीय रुपए [आंकड़े] [भारतीय रुपए (शब्दों में)] के बराबर की रकम के लिए बिना शर्त एवं अप्रतिसंहरणीय बैंक प्रत्याभूति देना आवश्यक है ।

केवल कंपनियों के लिए उल्लिखित, प्रपत्र में व्यक्तियों/अन्य आवेदकों को भी शामिल किया जाएगा ।

ख. **राज्यपाल (राज्य का नाम), ("राज्य")** को [रियायत का विवरण] **(संयुक्त रूप से "रियायत प्रलेख")** के संबंध में मूल प्रलेखों के संदर्भ में-पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति/खनन पट्टा, खान विकास और उत्पादन रियायत प्रलेख के दिनांकित [दिनांक] कुछ दायित्वों के निर्वहन के लिए निष्पादन सुरक्षा प्रस्तुत करना अपेक्षित है ।

ग. हम **[बैंक का नाम] ("बैंक")** आवेदक के अनुरोध पर इसमें अंतर्विष्ट निबंधनों एवं शर्तों पर राज्य की मांग पर रियायत प्रलेख के अधीन आवेदक के दायित्वों को सुरक्षित करने हेतु भारतीय रुपए [आंकड़ें] (भारतीय रुपए [शब्दों में] **("प्रत्याभूति रकम")** से अनधिक की रकम राज्य को संदाय करने का वचन देते है।

अत: अब, बैंक एतदद्वारा गारंटी मात्रा में आवेदक की ओर से यह अप्रतिसंहरणीय और शर्त रहित संदाय बैंक प्रत्याभूति **("प्रत्याभूति")** राज्य के पक्ष में जारी करता है:

1. बैंक इस उद्देश्य से राज्य से प्राप्त प्रथम लिखित मांग की प्राप्ति पर तत्काल राज्य को उसमें विनिर्दिष्ट राशि हेतु ऐसी मांग के लिए राज्य सरकार द्वारा बैंक वजहों अथवा कारणों को दर्शाने अथवा साबित करने की राज्य की आवश्यकता के बिना और किसी भी मामले पर राज्य और आवेदक के मध्य किसी विवाद अथवा मतभेद के बावजूद वह राशि अथवा राशियां (एक अथवा अधिक दावों के माध्यम से) जो कि कुल की प्रत्याभूति मात्रा से अधिक न हो, बिना किसी आपत्ति, आरक्षण, केवियट, विरोध अथवा आश्रय के बिना शर्त रहित तथा स्थायी तौर पर संदाय करने का वचन देता है । संपूर्ण और स्पष्ट होने के तहत बैंक के दायित्वों के संबंध में किसी न्यायालय अथवा अधिकरण के समक्ष लंबित किसी मामले अथवा कार्यवाही में आवेदक द्वारा उत्पन्न किसी विवाद अथवा विवादों के होते हुए भी मांगी गई राशि का संदाय राज्य को करने का वचन देता है ।

2. बैंक यह स्वीकारता है कि राज्य को बैंक द्वारा संदाय की जाने वाली रकम की राज्य द्वारा ऐसी कोई भी मांग रियायत प्रलेख के अधीन राज्य को आवेदक द्वारा संदाय की जाने वाली रकम के संबंध में अंतिम, बाध्यकारी और निर्णायक प्रमाण होगा ।

3. बैंक इसके द्वारा राज्य की उपर्युक्त राशि अथवा आवेदक से उसके किसी अंश की मांग की आवश्यकता को हटाता है और साथ ही इस प्रत्याभूति के अधीन संदाय हेतु बैंक की किसी लिखित मांग को प्रस्तुत करने से पूर्व आवेदक के विरूद्ध अपने विधिक उपचार का राज्य द्वारा अपनाने को आवश्यक बनाने के बैंक के किसी अधिकार को भी हटाता है।

4. इसके अतिरिक्त बैंक बिना किसी शर्त के राज्य से सहमति रखता है कि राज्य को छूट होगी कि, बिना बैंक की सहमति के और इस प्रत्याभूति के अधीन बैंक के किसी दायित्व को किसी रूप में प्रभावित किए बिना समय-समय पर :

(i) भिन्न होगा और/अथवा रियायत प्रलेख के निबंधनों और शर्तो को उपांतरित करेगा;

(ii) विस्तृत करेगा और/अथवा रियायत प्रलेख के अधीन आवेदक के कर्तव्यों के निष्पादन हेतु समय को स्थिगित करेगा, अथवा

(iii) रियायत प्रलेख के निबंधनों और शर्तो के अधीन आवेदक के विरूद्ध राज्य द्वारा अपनाए जाने वाले किसी अधिकारों से प्रविरत रहना अथवा प्रवृत्त करना।

और बैंक को ऐसे किसी कृत्य के कारण अथवा राज्य की ओर से हुए लोप अथवा आवेदक के राज्य द्वारा किसी अनुग्रह अथवा किसी अन्य कारण जो प्रतिभूतियों से संबंधित नियम के अधीन बैंक को उसके कर्तव्यों से मुक्त नहीं करेगा बल्कि इस उपबंध हेतु, इस प्रत्याभूति के अधीन बैंक को उसके कर्तव्यों से मुक्त करने का प्रभाव होगा।

5. इसके तहत किया गया कोई भी संदाय किसी वर्तमान एवं भविष्य कर, उद्ग्रहन, इमपोस्ट, शुल्क, प्रभारों, फीस, कमीशनों, कटौतियों अथवा किसी भी प्रकृति की रोकों, के कारण से, किसी कटौतियों से मुक्त होगा।

6. बैंक सहमति देता है कि राज्य अपने विकल्प पर आवेदक के विरूद्ध प्रथम दृष्टया कार्यवाही के बिना प्रथम दृष्टांत में प्रमुख ऋणदाता के तौर पर, बैंक के विरूद्ध इस प्रत्याभूति को लागू करने का हकदार होगा।

7. बैंक और सहमति देता है कि इसमें निहित प्रत्याभूति, रियायत प्रलेख में विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान पूरी तरह प्रभाव में एवं लागू रहेगी और यह कि यह तब तक लागू रहेगा जब तक आवेदक के सुरक्षा निष्पादन के संबंध में कथित रियायत प्रलेख के आधार पर अथवा उसके अधीन सभी कर्तव्यों की पूरी तरह पूर्ति नहीं हो जाती और उसके दावों की संतुष्टि अथवा पूर्ति या जब तक राज्य यह प्रमाणित नहीं करता कि सुरक्षा निष्पादन के संबंध में अनुबंध की नियम एवं शर्तों का पूरी तरह एवं उचित रूप में आवेदक द्वारा पालन किया गया है और तदनुसार इस प्रत्याभूति का निर्वहन किया गया है। इसमें अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जब तक समाप्ति की तारीख तक अथवा उसके पूर्व लिखित में बैंक पर इस प्रत्याभूति के अधीन कोई मांग अथवा दावा नहीं पेश किया जाता बैंक को तदनंतर इस प्रत्याभूति के अधीन सभी दायित्वों से मुक्त रखा जाएगा।

8. इस प्रत्याभूति के अधीन बैंक द्वारा किया गया संदाय इस आधार पर संदाय हेतु बैंक के दायित्वों की वैध पूर्ति मानी जाएगी और राज्य ऐसा संदाय करने के लिए बैंक के विरूद्ध कोई दावा पेश नहीं कर पाएगा।

9. यह प्रत्याभूति भारत की विधि के अधीन है। इस प्रत्याभूति अथवा इसकी विषय वस्तु के कारण राज्य में [संबंधित राज्य] उत्पन्न किसी वाद, कार्रवाई अथवा अन्य कोई कार्रवाई दिल्ली के न्यायालयों के विशेष अधिकार क्षेत्र के अधीन होगी।

10. बैंक के पास इस प्रत्याभूति को राज्य के पक्ष में जारी करने का अधिकार है। इस प्रत्याभूति का बैंक के गठन में परिवर्तन के फलस्वरूप निर्वहन नहीं किया जा सकेगा।

11. बैंक लिखित में राज्य की पूर्व सहमति के अलावा इस प्रत्याभूति को इसके जारी के दौरान प्रति संहरन न करने का वचनबद्ध है।

12. राज्य, बैंक को पूर्व सूचना द्वारा, किसी अन्य विभागों, मंत्रालयों अथवा अन्य सरकारी एजेंसियों को इस प्रत्याभूति के अधीन अधिकार दे सकेगा, जो राज्यपाल के नाम पर लागू होंगे। खंड-12 में उपबंधित के सिवाय, यह प्रत्याभूति समनुदेशनीय अथवा हस्तांतरणीय नहीं होगी।

13. इसमें अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,

क. इस बैंक प्रत्याभूति के अधीन बैंक का दायित्व प्रत्याभूति रकम से अधिक नहीं होगा।

ख. यह बैंक प्रत्याभूति समाप्ति की तारीख तक मान्य होगी।

14. बैंक इस बैंक प्रत्याभूति के अधीन प्रत्याभूति की रकम अथवा उसके किसी अंश के संदाय का केवल सिर्फ और केवल तभी उत्तरदायी है यदि राज्य समाप्ति तारीख को अथवा उसके पूर्व बैंक को लिखित दावा अथवा मांग पेश करता है।

तारीख (दिवस) को बैंक हेतु (महीने) (वर्ष) का दिन

गवाही में जिसके बैंक ने, अपने प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा, अपना हस्ताक्षर और मोहर किया है।

.......................

(हस्ताक्षर)

............................

(नाम और पदनाम)

**अनुसूची-V**

**[नियम 5(11) और 9(1) देखें]**

**पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति का प्रपत्र**

**यह विलेख पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति ("अनुज्ञप्ति") के अनुदान के लिए निम्नलिखित द्वारा और उनके बीच निष्पादित किया जाता है :**

**पक्षकार :**

1. **राज्यपाल [राज्य के], [राज्य के खान और भूविज्ञान विभाग] ("राज्य सरकार") की ओंर से**

**और**

2. **[अनुज्ञप्तिधारक का नाम]** कंपनी अधिनियम **[1956/2013]** के अधीन भारत में निगमित कॉरपोरेट पहचान संख्या **[सीआईएन]** महित, जिनका पंजीकृत कार्यालय [पंजीकृत कार्यालय का पता] भारत में है और कारोबार का प्रमुख स्थान **[कारोबार के प्रमुख स्थान का पता, यदि पंजीकृत कार्यालय से भिन्न हो] अथवा** [कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, जिसके पास आयकर स्थाई लेखा संख्या **[संख्या]** है, जो **[पता]** का निवासी है]] अथवा [अनुसूची क में सूचीबद्ध व्यक्ति जो **[फर्म/व्यक्तियों का एसोसिएशन]** के रूप में **[फर्म अथवा व्यक्तियों का एसोसिएशन का नाम]** के नाम से संगठित है] और जिनमें सभी भारतीय नागरिक और भारत के निवासी है।] **("अनुज्ञप्तिधारक")**

**पृष्ठभूमि :**

क. अनुज्ञप्तिधारक [जिसने पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति-सह-खनन पट्टा लेने के लिए इलेक्ट्रोनिक नीलामी में भाग लिया हो, जिसकी अनुपालना में अनुज्ञप्तिधारक पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति-सह-खनन पट्टे की प्रथम अवस्था के रूप में पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति लेने के लिए पात्र बना हो] अथवा जिसे [तारीख] को आवीक्षण अनुज्ञा दिया गया हो, जिसके लिए अनुज्ञप्तिधारक ने खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 ('अधिनियम") और पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति देने के लिए उसके अंतर्गत बने नियमों के तहत अपेक्षाएं पूर्ण कर ली हों]।

ख. तदनुसार, अनुज्ञप्ति के लिए भुगतान किए जाने, निगरानी करने और निष्पादित किए जाने वाले यहां इसके पश्चात् सुरक्षित एवं निहित शुल्क, रॉयल्टी, प्रसंविदा और करारों पर विचार करने पर अनुज्ञप्तिधारक को अनुज्ञप्ति का अनुदान करने के लिए राज्य सरकार अब यह अनुज्ञप्ति निष्पादित कर रही है।

**1. परिभाषाएं**

इस अनुज्ञप्ति में प्रयुक्त अभिव्यक्तियों के वहीं अर्थ होंगे जैसे अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों में वर्णित किए गए हैं।

**2. अनुज्ञप्ति का अनुदान**

राज्य सरकार एतद्वारा अनुज्ञप्तिधारक को निम्नलिखित खनिज(जों), [खनिजों के नाम] के संबंध में पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति निष्पादित करने की तारीख से आरंभ [समयावधि] अवधि हेतु पूर्वेक्षण कार्यों को प्रचालित करने के लिए अनुसूची ख ("अनुज्ञप्ति क्षेत्र") में वर्णित क्षेत्र के लिए अनुज्ञप्ति अनुदान करती है।

**3. अधिकार और दायित्व**

3.1. राज्य सरकार और अनुज्ञप्तिधारक के अधिकार और दायित्व, खनिज (परमाणु और हाइड्रो कार्बन ऊर्जा खनिजों को छोड़कर) रियायत नियम, 2015 की सीमाओं के बिना सहित, इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट के अनुरूप होंगे।

3.2. पहले वर्णित सामान्यता की पूर्वधारणा के बिना,

(क) अनुज्ञाप्तिधारक :

(i) इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों और अन्य लागू कानून के प्रावधानों का सदैव अनुपालन करेगा,

(ii) अनुज्ञप्तिधारक द्वारा रॉयल्टी और अन्य अपेक्षित भुगतानों का तत्काल भुगतान करेगा।

(iii) अनुज्ञप्तिधारक को इस अनुज्ञप्ति द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने से उत्पन्न हुए सभी नुकसान, चोट या व्यवधान के संबंध में लागू विधि के अनुसार कानूनी प्राधिकारी द्वारा यथा आकलित ऐसे मुआवजे का भुगतान करना होगा और इस संबंध में किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा पहुंचाए गए ऐसे किसी नुकसान, चोट या व्यवधान और सभी प्रकार की लागतें और खर्चे संबंधी सभी दावों के प्रति राज्य सरकार को क्षतिपूर्ति करेगा और उसे पूर्णत: और पूरी तरह से सुरक्षित रखेगा;

(iv) पर्यावरण सुरक्षा के लिए अपने खर्च पर वृक्षारोपण, खनिज भूमि का सुधार, प्रदूषण नियंत्रण यंत्रों का उपयोग, और केंद्र या राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए जाने वाले जैसे अन्य उपाय करेगा ।

(v) इस अनुज्ञप्ति के तहत होने वाले प्रचालनों के दौरान होने वाली मृत्युकर दुर्घटना या गंभीर शारीरिक चोट या सम्पत्ति को गंभीर रूप से पहुंचाई गई क्षति या गंभीर रूप से प्रभावित करने या जीवन या सम्पत्ति को होने वाले खतरे की किसी घटना की रिपोर्ट अविलम्ब उपायुक्त/कलेक्टर को भेजेगा ।

(vi) अनुज्ञप्ति क्षेत्र के किसी भाग में तौल अथवा मापे जाने वाले अथवा तौल किए गए अनुज्ञप्ति क्षेत्र से समय-समय पर प्राप्त किए गए सभी खनिजों के संबंध में उपायुक्त/कलेक्टर को [दिनों की संख्या] पूर्व सूचना दी जाएगी ताकि ऐसे माप-तौल के दौरान वह अथवा उसकी ओर से कोई व्यक्ति हर समय उपस्थित रह सके।

(vii) अनुज्ञप्तिधारक द्वारा किए गए कार्य की पूर्ण रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा और इस अनुज्ञप्ति के तहत संचालित कार्यों के दौरान इस अनुज्ञप्ति के अंतर्गत समाविष्ट क्षेत्र का भूविज्ञान और खनिज संसाधनों के संबंध में अनुज्ञप्तिधारक को प्राप्त होने वाली सभी सूचनाओं को प्रस्तुत करेगा ।

(viii) इस अनुज्ञप्ति के संबंध में लागू स्टांप शुल्क और पंजीकरण प्रभारों का भुगतान करेगा।

**(ख) राज्य सरकार :**

(i) को उक्त भूमि में, पर या उसके बीच में से किन्हीं उद्देश्यों के लिए आवश्यक या लाभदायक माने जाने वाली सड़कों, ट्राम मार्गों या रज्जूमार्गों के बनाने और उक्त भूमि में से ऐसे पत्थरों, मिट्टी या अन्य खनिजों को प्राप्त करने, जो ऐसी सड़कों, ट्राममार्गों या रज्जूमार्गों के बनाने, मरम्मत करने या अनुरक्षण करने से उत्पन्न हुए हों और आवश्यकता होने पर सभी उद्देश्यों एवं अवसरों के लिए ऐसी सड़कों, ट्राममार्गों, रेलमार्गों और रज्जूमार्गों के ऊपर या उनके साथ-साथ सदैव गमन और पुनरागमन आदि की सीमाओं के बिना, सहित अनुज्ञप्तिधारक को यहाँ स्पष्ट रूप से किए गए समस्त अधिकारों और अनुज्ञप्ति के अलावा सभी या किन्हीं उद्देश्यों के लिए इस अनुज्ञप्ति क्षेत्र में किसी व्यक्ति या व्यक्तियों, जिन्हें भी इसमें प्रवेश करने की स्वतंत्रता हो, को कभी भी प्रवेश करने और स्वीकृति देने या पट्टा अंतरण करने का अधिकार होगा।

(ii) ऐसी किसी निष्पादन प्रतिभूति की शर्तो के अनुसार अनुज्ञप्तिधारक द्वारा दी गई निष्पादन प्रतिभूति को विनियोजित करने और अनुज्ञप्तिधारक से निष्पादन प्रतिभूति की पुन: पूर्ति करने के लिए निदेश देने का अधिकार होगा । यदि इस अनुज्ञप्ति के निरस्तीकरण और अनुज्ञप्तिधारक द्वारा पूर्ण किए गए सभी दायित्वों को पूर्ण करने के बाद किसी प्रतिभूति निक्षेप के माध्यम से यह निष्पादन प्रतिभूति दी गई है, तो ऐसा प्रतिभूति निक्षेप अनुज्ञप्तिधारक को समुचित कटौतियों के बाद लौटा दिया जाएगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि इस प्रतिभूति निक्षेप पर कोई ब्याज देय नहीं होगा; और

(iii) अनुज्ञप्तिधारक द्वारा प्रसंविदा के अनुसार इस संबंध में निष्पादित या किए जाने वाले कोई कार्य या कार्यो को करने का अधिकार होगा परंतु जिन्हें इस संबंध में वर्णित अवधि के भीतर कार्यान्वित या निष्पादित नहीं किया गया है, को करने या निष्पादित करने का अधिकार होगा और इसके लिए और अनुज्ञप्तिधारक को ऐसे सभी खर्चों का राज्य सरकार को भुगतान करना होगा, जो ऐसे कार्यों को करने या उनके निष्पादन पर खर्च किए गए हों।

3.3 यदि राज्य सरकार किसी खनिज (जों) के संबंध में अपने अग्रक्रय के अधिकार का प्रयोग करने की इच्छा रखती है, तो राज्य सरकार को ऐसे खनिजों के औसत विक्रय मूल्य, जो अग्रक्रय के समय प्रचलित आईबीएम की वर्तमान यथाप्रकाशित दरें हैं, का भुगतान करना होगा।

3.4 युद्ध या आपातकाल (जिसकी मौजूदगी के लिए भारत के राष्ट्रपति पूर्णत: निर्णायक होंगे और इस आशय की भारत के राजपत्र में अधिसूचना निष्कर्षत: साक्ष्य होगी) की स्थिति की मौजूदगी की दशा में राज्य सरकार को केन्द्र सरकार की सहमति से समय-समय पर और उक्त अवधि के दौरान सदैव इस अनुज्ञप्ति क्षेत्र या इस अनुज्ञप्ति के तहत प्रचालनों से संबंधित या अनुज्ञप्तिधारक की कर्मशाला, संयंत्र, मशीनरी और सम्पत्तियों पर तुरंत कब्जा करने और अनुज्ञप्तिधारक की कर्मशाला, संयंत्र मशीनरी और सम्पित्त या अनुज्ञप्ति के तहत प्रचालनों पर नियंत्रण करने का अधिकार (अनुज्ञप्तिधारक/अनुज्ञप्तिधारकों को लिखित रूप में सूचित करने पर अमल किया जाना) होगा और ऐसे कब्जे या नियंत्रण के दौरान अनुज्ञप्तिधारक ऐसी कर्मशाला, संयंत्र, संपत्तियों और खनिजों में संलिप्तिकरण के उपयोग के संबंध में केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा या उनकी ओर से दिए गए सभी निर्देशों की पुष्टि एवं अनुपालना करनी होगी, बशर्ते कि ऐसे उचित मुआवजे, जिसका निर्धारण राज्य सरकार द्वारा समझौते के अंतर्गत तयशुदा शर्तों के अनुसार किया गया हो, जो उसकी/उनकी संलिप्तता के कारण या इस उपबंध द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग के परिणामस्वरूप हानि या नुकसान हुआ हो, का अनुज्ञप्तिधारक को भुगतान करना होगा और बशर्ते यह भी कि ऐसी शक्ति का उपयोग इस उपबंध की एतद्वारा प्रदत्त या प्रभावित शर्तों और प्रावधानों की उक्त शर्त का निर्धारण नहीं करेगा।

3.5 किसी नुकसान, जो अनुज्ञप्तिधारक के प्रस्तावित प्रचालन से उत्पन्न होना संभावित है, के लिए मुआवजे के प्रस्ताव की प्राप्ति के बाद, उक्त भूमि के किसी भाग के भूतल का कब्जाधारी राज्य सरकार के पास आरक्षित या इस अनुज्ञप्ति द्वारा प्रदत्त अधिकारों और शक्तियों के उपयोग करने पर अपनी सहमति के लिए इंकार कर सकता हैं, अनुज्ञप्तिधारक इस विषय की रिपोर्ट राज्य सरकार को देगा और वह उसे प्रस्तावित किए गए मुआवजे की राशि को जमा कराएगा और यदि राज्य सरकार संतुष्ट हो जाती है कि मुआवजे की राशि उचित है या यदि वह संतुष्ट नहीं होती है और अनुज्ञप्तिधारक राज्य सरकार द्वारा उचित ठहराई गई ऐसी कोई उचित राशि जमा कराता है, तो राज्य सरकार कब्जाधारी को अनुज्ञप्तिधारक के उक्त भूमि पर प्रवेश करने की अनुमति और इस अनुज्ञप्ति के उद्देश्य के लिए यथा आवश्यक ऐसे प्रचालनों को संचालित करने की अनुमति का आदेश जारी करेगी । ऐसे मुआवजे की राशि के आंकलन में राज्य सरकार भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुन: स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के सिद्धातों से निदेशित होगी ।

3.6 अनुज्ञप्तिधारक को दिया जाने के लिए अपेक्षित प्रत्येक नोटिस अनुज्ञप्तिधारक द्वारा यथानामित व्यक्ति को लिखित में दिया जाएगा और ऐसे नामांकन की सूचना राज्य सरकार को लिखित में देनी होगी। यदि ऐसा कोई नामांकन नहीं किया जाता है तो यह नोटिस अनुज्ञप्तिधारक को पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से अनुज्ञप्तिधारक को अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन में दर्शाये गए पते पर भेजा जाएगा या भारत में उस पते पर भेजा जाएगा जो अनुज्ञप्तिधारक ने समय-समय पर धारित किया हो और ऐसी प्रत्येक सेवा अनुज्ञप्तिधारक पर उचित और वैध सेवा मानी जाएगी और उसके द्वारा इस पर कोई प्रश्न या चुनौती खड़ी नहीं की जाएगी।

3.7 यदि खनिज (परमाणु और हाइड्रो कार्बन ऊर्जा खनिजों को छोड़कर) रियायत नियम, 2015 के तहत कार्यवाही की अनुपालना में केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार के आदेशों को संशोधित करने समीक्षा करने या निरस्त होने की दशा में, अनुज्ञप्तिधारक इन परिस्थितियों में, अनुज्ञप्तिधारक को प्रदत्त शक्तियों और विशेषाधिकारों के उपयोग में अनुज्ञप्तिधारक उसे हुई किसी क्षति के लिए मुआवजा पाने का हकदार नहीं होगा ।

4. **शासी कानून**

इस अनुज्ञप्ति और इसके निर्वचन संबंधी सभी प्रश्नों का समाधान भारत के कानूनों के अनुसार होगा। इस अनुज्ञप्ति के संबंध में किसी विवाद की दशा में और अनुज्ञप्तिधारक तथा राज्य सरकार के संबंधों को प्रभावित करने वाले सभी मामलों में याचिका संबंधी वाद **[शहर का नाम]** के सिविल न्यायालय में दायर किए जाएंगे और यहां यह स्पष्ट रूप से सहमति व्यक्त की जाती है कि ऊपर बताए न्यायालय के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर कोई भी पक्षकार कोई मुकदमा या अपील दायर या ऐसी कोई भी कार्यवाही नहीं करेगा।

इसके साक्ष्य में इसे कार्यान्वित करने हेतु **[दिनांक]** को **[स्थान का नाम]** पर उपस्थित हुए।

**अनुसूची क- व्यक्तियों की सूची**

| क्रम सं. | नाम | पेन संख्या | पता |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**अनुसूची ख: पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति का क्षेत्र**

**(उपलब्ध कराए जाने वाले भू-कोर्डिनेट सहित क्षेत्र का विवरण)**

## अनुसूची-VI

(नियम 7(1) देखें)

**पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के धारक द्वारा खनन पट्टा के अनुदान हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले आवेदन का प्रपत्र**

सेवा में,

[पता]

मैं/हम यह अनुरोध करता हूँ/करते हैं कि मुझे/हमे इन नियमों के अंतर्गत खनन पट्टा अनुदत्त किया जाए।

| क्र.सं. (1) | मद विवरण (2) | विवरण (3) |
|---|---|---|
| 1. | आवेदक का नाम और पता<br>(फर्म अथवा व्यक्तियों की अन्य एसोसिएशन की स्थिति में, फर्म अथवा व्यक्तियों की एसोसिएशन, जैसी भी स्थिति हो, में शामिल प्रत्येक व्यक्ति का नाम लिखे।) | |
| 2. | आवेदक का पूरा पता<br>(फर्म अथवा व्यक्तियों की एसोसिएशन की स्थिति में, फर्म अथवा व्यक्तियों की अन्य एसोसिएशन, जैसी भी स्थिति हो, में शामिल प्रत्येक व्यक्ति का पता लिखे।) | |
| 3. | आवेदक की स्थिति<br>• व्यक्ति<br>• फर्म<br>• व्यक्तियों का अन्य एसोसिएशन<br>• कंपनी | |
| 4. | पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति संख्या/संयुक्त अनुज्ञप्ति संख्या | |
| 5. | पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति/संयुक्त अनुज्ञप्ति विलेख के पंजीकरण की तिथि और इसकी समाप्ति की तिथि | |
| 6. | संदेय आवेदन शुल्क (यथा अनुपात आधार पर पांच लाख रु. प्रति वर्ग कि.मी. की दर से गणना की जाए) | |
| 7. | बैंक का नाम, डिमांड ड्राफ्ट या चालान संख्या और तिथि जिसके द्वारा आवेदन शुल्क का भुगतान किया गया | |
| 8. | खनिज (खनिजों) जिसके खनन पट्टा का आवेदक इच्छुक है। | |
| 9. | उठाए जाने वाले खनिज के उपयोग करने का तरीका (कैप्टिव या नॉन-कैप्टिव) | |
| 10. | क्षेत्र का विस्तार (हेक्टेयर में) जिसके लिए खनन पट्टा अपेक्षित है। | |
| 11. | क्षेत्र का विवरण | |
| 11.1 | जिला | |
| 11.2 | ग्राम | |
| 11.3 | तालुका (तहसील) | |
| 11.4 | खसरा संख्या | |
| 11.5 | विभेदी भौगोलिक पोजिशनिंग प्रणाली के अनुसार क्षेत्र का भू-कोर्डिनेट | |
| 11.6 | भारतीय सर्वेक्षण टोपोशीट संख्या | |
| 12. | जहां भूमि पर आवेदक का स्वामित्व नहीं है क्या वहां आवेदक ने खनन कार्य शुरू करने हेतु क्षेत्र पर सतही अधिकार या भूस्वामी की सहमति हासिल कर ली है ? | हां /नहीं |
| 13. | क्या आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र में पड़ता है<br>यदि हां, तो निम्नलिखित विवरण दिया जाय | हां/नहीं |
| 13.1 | वन प्रभाग, ब्लॉक और रेंज | |
| 13.2 | वन की विधिक स्थिति (नामत: आरक्षित, संरक्षित, अवर्गीकृत आदि) | |
| 13.3 | क्या यह राष्ट्रीय उद्यान अथवा वन्य जीव अभयारण्य का भाग है | |
| 13.4 | चिन्हित क्षेत्र वाला वन मानचित्र संलग्न करे। यदि वन मानचित्र उपलब्ध नहीं है तो सभी वनाकृतियों को दर्शाते हुए पैमाना पर बने स्केच योजना पर क्षेत्र को चिन्हित होना चाहिए | |

| | | |
|---|---|---|
| 13.5 | खनन की प्रस्तावित विधि.–भूमिगत/ओपनकास्ट | भूमिगत/विवृत |
| 14. | राज्य में क्षेत्र का खनिजवार विवरण जो आवेदक व्यक्तिगत या संयुक्त रूप से :-<br>(क) खनन पट्टा के तहत पहले से ही धारित है,<br>(ख) खनन पट्टा के लिए आवेदन किया है परंतु अनुदत्त नहीं किया गया; और<br>(ग) साथ-साथ आवेदन किया जा रहा है। | |
| 15. | क्या आवेदक ने पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के या संयुक्त अनुज्ञप्ति, जैसी भी स्थिति हो, के अंतर्गत धारित क्षेत्र पर पूर्वेक्षण संक्रियाएं की है और खनिज (खनिज अन्तर्वस्तु का साक्ष्य) नियम, 2015 के अनुरूप भू वैज्ञानिक रिपोर्ट तैयार की है? | हां/नहीं |
| 16. | क्या आवेदन फार्म के साथ भूवैज्ञानिक रिपोर्ट संलग्न की गई है ? | हां/नहीं |
| 17. | क्या आवेदक ने आवीक्षण अनुज्ञा के निबंधनों एवं शर्तों का कोई उल्लंघन किया है ? | हां/नहीं |
| 18. | क्या आवेदक, अधिनियम के प्रावधानों के तहत अपात्र हुआ है ? | हां/नहीं |
| 19. | क्या आवेदक, ने अधिनियम की धारा 10क की उप-धारा (2) के खंड(ख) के उपखंड (iv) में निर्दिष्ट समयावधि में आवेदन किया है ? | हां/नहीं |
| 20. | क्या आवेदक को किसी न्यायालय द्वारा अवैध खनन का दोषी पाया गया है ? | हां/नहीं |

मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि उपर्युक्त दिए गए विवरण सही है और मैं/हम सटीक योजना एवं प्रतिभूति निक्षेप, जैसे भी आपके द्वारा वांछित हो; सहित कोई भी अन्य विवरण प्रस्तुत करने हेतु तैयार हूँ/हैं।

भवदीय

**आवेदक के हस्ताक्षर**

स्थान :

दिनांक:

**आवेदको के लिए अनुदेश:**

(क) आवेदक, अपने आवेदन के साथ राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में खनन देयता जैसे कि अधिनियम अथवा उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत देय रॉयल्टी या अनिवार्य किराया और सतही किराए, यदि कोई हो, के भुगतान के संबंध में उस सरकार अथवा उस सरकार द्वारा किसी अधिकारी अथवा प्राधिकारी का एक वैध मंजूरी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा ।

परंतु कि यदि आवेदक एक फर्म या व्यक्तियों की एसोसिएशन है तो फर्म के सभी हिस्सेदारों अथवा एसोसिएशन के सभी सदस्यों, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा ऐसा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा ;

परंतु यह और कि जहां किसी व्यक्ति ने राज्य सरकार की संतुष्टि के अनुसार एक हल्फनामा यह उल्लेख करते हुए दिया हो कि उसके पास खनिज रियायत न तो है और न ही थी, तो उसे वैध मंजूरी प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी ।

परंतु यह भी कि मंजूरी प्रमाण पत्र मिलने से ऐसा प्रमाण पत्र का धारक, खनन दायित्वों, जो अधिनियम या उसके तहत बने नियमों के अंतर्गत बाद में उसके द्वारा देय हो जाते है, के भुगतान से मुक्त नहीं होगा ।

(ख) आवेदक एक कंपनी होने की स्थिति में आवेदन, आवेदक के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए । आवेदक, एक व्यक्ति होने की स्थिति में, आवेदन आवेदक के द्वारा स्वयं हस्ताक्षरित होना चाहिए । फर्म अथवा व्यक्तियों की एसोसिएशन होने की स्थिति में फर्म या एसोसिएशन के सभी व्यक्ति आवेदन पर हस्ताक्षर करेंगे ।

(ग) आवेदन के साथ आवेदक (जो एक कंपनी है) के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का कार्पोरेट प्राधिकृतीकरण संलग्न होना चाहिए । ऐसे कार्पोरेट प्राधिकृतीकरण में किसी परिवर्तन के संबंध में राज्य सरकार को तत्काल सूचित किया जाएगा ।

**अनुसूची-VII**

**[नियम 7(11), 8(4), 9(2),12(1)घ]**

**खनन पट्टा का प्रपत्र**

**यह विलेख खनन पट्टा ("पट्टा") के अनुदान के लिए निम्नलिखित द्वारा और उनके बीच निष्पादित किया जाता है :**

**पक्षकार :**

1. **राज्यपाल [राज्य के], [राज्य के खान और भूविज्ञान विभाग] ("राज्य सरकार") की ओर से**

**और**

2. [पट्टाधारक का नाम] कंपनी अधिनियम [1956/2013] के अधीन भारत में निगमित कॉरपोरेट पहचान संख्या [सीआईएन] सहित, जिनका पंजीकृत कार्यालय [पंजीकृत कार्यालय का पता] भारत में है और कारोबार का प्रमुख स्थान [कारोबार के प्रमुख स्थान का पता, यदि पंजीकृत कार्यालय से भिन्न हो] **अथवा** [कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, जिसके पास आयकर स्थाई लेखा संख्या [संख्या] है, जो [पता] का निवासी है]] **अथवा** [अनुसूची क में सूचीबद्ध व्यक्ति जो [फर्म/व्यक्तियों का एसोसिएशन] के रूप में [फर्म अथवा व्यक्तियों का एसोसिएशन का नाम] के नाम से संगठित है] और जिनमें सभी भारतीय नागरिक और भारत के निवासी है।] **("पट्टाधारक")**

**पृष्ठभूमि :**

ग. पट्टाधारक [जिसने खनन पट्टा लेने के लिए इलेक्ट्रोनिक नीलामी में भाग लिया हो, जिसकी अनुपालना में पट्टाधारक खनन पट्टा लेने के लिए पात्र बना हो] या [पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति-सह-खनन पट्टा लेने के लिए इलेक्ट्रोनिक नीलामी में भाग लिया हो जिसकी अनुपालना में पट्टा धारक पट्टा के अनुदान के लिए पात्र बना हो] अथवा जिसे [तारीख] को पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति का अनुदान दिया गया हो, जिसके लिए पट्टाधारक ने खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 ('अधिनियम") और उसके अंतर्गत बने नियमों के तहत खनन पट्टा के अनुदान के लिए अपेक्षाएं पूर्ण कर ली हों]।

घ. तदनुसार, पट्टेदार द्वारा पट्टे के लिए भुगतान किए जाने, पालन करने और निष्पादित किए जाने वाले यहां इसके पश्चात् सुरक्षित एवं निहित शुल्क, रॉयल्टी, प्रसंविदा और करारों पर विचार करने पर पट्टाधारक को पट्टा अनुदान करने के लिए राज्य सरकार अब यह विलेख निष्पादित कर रही है।

1. **परिभाषाएं**

इस पट्टे में प्रयुक्त अभिव्यक्तियों के वहीं अर्थ होंगे जैसे अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों में वर्णित किए गए हैं।

2. **पट्टा का अनुदान**

2.1 राज्य सरकार एतद्वारा पट्टाधारक को निम्नलिखित खनिज(जों), [खनिजों के नाम] ('खनिजों') के संबंध में इस विधिवत रूप से निष्पादित खनन पट्टा विलेख के पंजीकरण होने की तारीख से आरंभ 50 वर्ष की अवधि हेतु खनन संक्रियाएं करने के लिए अनुसूची ख [('पट्टा क्षेत्र "')] में वर्णित क्षेत्र के लिए पट्टा प्रदान करती है ।

2.2 पट्टा पट्टा क्षेत्र में या उसके अधीन स्थित (मौजूद) खनिजों की सभी उन खान संस्तरों/शिरा सीवनों से संबंधित होगा ।

2.3 पट्टाधारक इसमें निहित सभी संविदा और करारों को निष्पादित करने तथा पट्टाधारक द्वारा किए जाने वाली पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए संदेय अपेक्षित अन्य भुगतान करने और रॉयल्टी का भुगतान करने पर पट्टा क्षेत्र पर कब्जा ले सकता है और दी गई अवधि के दौरान राज्य सरकार से या उसके द्वारा बिना किसी कानूनी हस्तक्षेप के अथवा किसी व्यक्ति द्वारा बिना किसी अधिकार हेतु दावा के पट्टा क्षेत्र के परिसर में अधिकारों का प्रयोग कर सकता हो ।

**3. अधिकार और दायित्व**

3.1. राज्य सरकार और पट्टाधारक के अधिकार और दायित्व, खनिज [परमाणु और हाइड्रो कार्बन ऊर्जा खनिजों को छोड़कर] रियायत नियम, 2015 और खान विकास व उत्पादन करार [तिथि] की सीमाओं के बिना सहित, इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट के अनुरूप होंगे।

3.2. पहले वर्णित सामान्यता की पूर्वधारणा के बिना,

(क) पट्टाधारक :

(i) इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों और अन्य लागू कानून के प्रावधानों का सदैव अनुपालन करेगा,

(ii) पट्टाधारक द्वारा रॉयल्टी और अन्य अपेक्षित भुगतानों का तत्काल भुगतान करेगा।

(iii) पट्टाधारक को इस पट्टा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने से उत्पन्न हुए सभी नुकसान, चोट या व्यवधान के संबंध में लागू विधि के अनुसार कानूनी प्राधिकारी द्वारा यथा आकलित ऐसे मुआवजे का भुगतान करना होगा और इस संबंध में किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा पहुंचाए गए ऐसे किसी नुकसान, चोट या व्यवधान और सभी प्रकार की लागतें और खर्चे संबंधी सभी दावों के प्रति राज्य सरकार को क्षतिपूर्ति करेगा और उसे पूर्णत: और पूरी तरह से सुरक्षित रखेगा;

(iv) पर्यावरण सुरक्षा के लिए अपने खर्च पर वृक्षारोपण, खनिज भूमि का सुधार, प्रदूषण नियंत्रण यंत्रों का उपयोग, और केंद्र या राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए जाने वाले जैसे अन्य उपाय करेगा ।

(v) इस पट्टा के तहत होने वाले प्रचालनों के दौरान होने वाली मृत्युकर दुर्घटना या गंभीर शारीरिक चोट या सम्पत्ति को गंभीर रूप से पहुंचाई गई क्षति या गंभीर रूप से प्रभावित करने या जीवन या सम्पत्ति को होने वाले खतरे की किसी घटना की रिपोर्ट अविलम्ब उपायुक्त/कलेक्टर को भेजेगा ।

(vi) पट्टा क्षेत्र के किसी भाग में तौल अथवा मापे जाने वाले अथवा तौल किए गए पट्टा क्षेत्र से समय-समय पर प्राप्त किए गए सभी खनिजों के संबंध में उपायुक्त/कलेक्टर को [दिनों की संख्या] पूर्व सूचना दी जाएगी ताकि ऐसे माप-तौल के दौरान वह अथवा उसकी ओर से कोई व्यक्ति हर समय उपस्थित रह सके।

(vii) पट्टाधारक द्वारा किए गए कार्य की पूर्ण रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा और इस पट्टा के तहत संचालित कार्यों के दौरान इस पट्टा के अंतर्गत समाविष्ट क्षेत्र का भूविज्ञान और खनिज संसाधनों के संबंध में पट्टाधारक को प्राप्त होने वाली सभी सूचनाओं को प्रस्तुत करेगा ।

(viii) इस पट्टा के संबंध में लागू स्टांप शुल्क और पंजीकरण प्रभारों का भुगतान करेगा।

**(ख) राज्य सरकार :**

(i) को उक्त भूमि में, पर या उसके बीच में से किन्हीं उद्देश्यों के लिए आवश्यक या लाभदायक माने जाने वाली सड़कों, ट्राम मार्गों या रज्जूमार्गों के बनाने और उक्त भूमि में से ऐसे पत्थरों, मिट्टी या अन्य खनिजों को प्राप्त करने, जो ऐसी सड़कों, ट्राममार्गों या रज्जूमार्गों के बनाने, मरम्मत करने या अनुरक्षण करने से उत्पन्न हुए हों और आवश्यकता होने पर सभी उद्देश्यों एवं अवसरों के लिए ऐसी सड़कों, ट्राममार्गों, रेलमार्गों और रज्जूमार्गों के ऊपर या उनके साथ-साथ सदैव गमन और पुनरागमन आदि की सीमाओं के बिना, सहित पट्टाधारक को यहाँ स्पष्ट रूप से किए गए समस्त अधिकारों और पट्टा के अलावा सभी या किन्हीं उद्देश्यों के लिए इस पट्टा क्षेत्र में किसी व्यक्ति या व्यक्तियों, जिन्हें भी इसमें प्रवेश करने की स्वतंत्रता हो, को कभी भी प्रवेश करने और स्वीकृति देने या पट्टा अंतरण करने का अधिकार होगा।

(ii) ऐसी किसी निष्पादन प्रतिभूति की शर्तों के अनुसार पट्टाधारक द्वारा दी गई निष्पादन प्रतिभूति को विनियोजित करने और अनुज्ञप्तिधारक से निष्पादन प्रतिभूति की पुन: पूर्ति करने के लिए निदेश देने का अधिकार होगा । यदि इस अनुज्ञप्ति के निरस्तीकरण और पट्टाधारक द्वारा पूर्ण किए गए सभी दायित्वों को पूर्ण करने के बाद किसी प्रतिभूति निक्षेप के माध्यम से यह निष्पादन प्रतिभूति दी गई है, तो ऐसा प्रतिभूति निक्षेप पट्टाधारक को समुचित कटौतियों के बाद लौटा दिया जाएगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि इस प्रतिभूति निक्षेप पर कोई ब्याज देय नहीं होगा; और

(iii) पट्टाधारक द्वारा प्रसंविदा के अनुसार इस संबंध में निष्पादित या किए जाने वाले कोई कार्य या कार्यों को करने का अधिकार होगा। परंतु जिन्हें इस संबंध में वर्णित अवधि के भीतर कार्यान्वित या निष्पादित नहीं किया गया है, को करने या निष्पादित करने का अधिकार होगा और इसके लिए और पट्टाधारक को ऐसे सभी खर्चों का राज्य सरकार को भुगतान करना होगा, जो ऐसे कार्यों को करने या उनके निष्पादन पर खर्च किए गए हों।

3.3 यदि राज्य सरकार किसी खनिज (जों) के संबंध में अपने अग्रक्रय के अधिकार का प्रयोग करने की इच्छा रखती है, तो राज्य सरकार को ऐसे खनिजों के औसत विक्रय मूल्य, जो अग्रक्रय के समय प्रचलित आईबीएम की वर्तमान यथाप्रकाशित दरें हैं, का भुगतान करना होगा।

3.4 युद्ध या आपातकाल (जिसकी मौजूदगी के लिए भारत के राष्ट्रपति पूर्णत: निर्णायक होंगे और इस आशय की भारत के राजपत्र में अधिसूचना निष्कर्षत: साक्ष्य होगी) की स्थिति की मौजूदगी की दशा में राज्य सरकार को केन्द्र सरकार की सहमति से समय-समय पर और उक्त अवधि के दौरान सदैव इस पट्टा क्षेत्र या इस पट्टा के तहत प्रचालनों से संबंधित या पट्टाधारक की कर्मशाला, संयंत्र, मशीनरी और सम्पत्तियों पर तुरंत कब्जा करने और पट्टाधारक की कर्मशाला, संयंत्र मशीनरी और सम्पित्त या अनुज्ञप्ति के तहत प्रचालनों पर नियंत्रण करने का अधिकार (पट्टाधारक/पट्टाधारकों को लिखित रूप में सूचित करने पर अमल किया जाना) होगा और ऐसे कब्जे या नियंत्रण के दौरान पट्टाधारक ऐसी कर्मशाला, संयंत्र, संपत्तियों और खनिजों में संलिप्तिकरण के उपयोग के संबंध में केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा या उनकी ओर से दिए गए सभी निर्देशों की पुष्टि एवं अनुपालना करनी होगी, बशर्ते कि ऐसे उचित मुआवजे, जिसका निर्धारण राज्य सरकार द्वारा समझौते के अंतर्गत तयशुदा शर्तों के अनुसार किया गया हो, जो उसकी/उनकी संलिप्तता के कारण या इस उपबंध द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग के परिणामस्वरूप हानि या नुकसान हुआ हो, का पट्टाधारक को भुगतान करना होगा और बशर्ते यह भी कि ऐसी शक्ति का उपयोग इस उपबंध की एतद्वारा प्रदत्त या प्रभावित शर्तों और प्रावधानों की उक्त शर्त का निर्धारण नहीं करेगा।

3.5 किसी नुकसान, जो पट्टाधारक के प्रस्तावित प्रचालन से उत्पन्न होना संभावित है, के लिए मुआवजे के प्रस्ताव की प्राप्ति के बाद, उक्त भूमि के किसी भाग के भूतल का कब्जाधारी राज्य सरकार के पास आरक्षित या इस पट्टा द्वारा प्रदत्त अधिकारों और शक्तियों के उपयोग करने पर अपनी सहमति के लिए इंकार कर सकता हैं, पट्टाधारक इस विषय की रिपोर्ट राज्य सरकार को देगा और वह उसे प्रस्तावित किए गए मुआवजें की राशि को जमा कराएगा और यदि राज्य सरकार संतुष्ट हो जाती है कि मुआवजे की राशि उचित है या यदि वह संतुष्ट नहीं होती है और पट्टाधारक राज्य सरकार द्वारा उचित ठहराई गई ऐसी कोई उचित राशि जमा कराता है, तो राज्य सरकार कब्जाधारी को पट्टाधारक के उक्त भूमि पर प्रवेश करने की अनुमति और इस पट्टा के उद्देश्य के लिए यथा आवश्यक ऐसे प्रचालनों को संचालित करने की अनुमति का आदेश जारी करेगी । ऐसे मुआवजे की राशि के आंकलन में राज्य सरकार भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुन: स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के सिद्धांतों से निदेशित होगी ।

3.6 पट्टाधारक को दिया जाने के लिए अपेक्षित प्रत्येक नोटिस पट्टाधारक द्वारा यथानामित व्यक्ति को लिखित में दिया जाएगा और ऐसे नामांकन की सूचना राज्य सरकार को लिखित में देनी होगी। यदि ऐसा कोई नामांकन नहीं किया जाता है तो यह नोटिस पट्टाधारक को पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से पट्टाधारक को पट्टा के लिए आवेदन में दर्शाये गए पते पर भेजा जाएगा या भारत में उस पते पर भेजा जाएगा जो पट्टाधारक ने समय-समय पर धारित किया हो और ऐसी प्रत्येक सेवा पट्टाधारक पर उचित और वैध सेवा मानी जाएगी और उसके द्वारा इस पर कोई प्रश्न या चुनौती खड़ी नहीं की जाएगी।

3.7 यदि खनिज (परमाणु और हाइड्रो कार्बन ऊर्जा खनिजों को छोड़कर) रियायत नियम, 2015 के तहत कार्यवाही की अनुपालना में केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार के आदेशों को संशोधित करने समीक्षा करने या निरस्त होने की दशा में, पट्टाधारक इन परिस्थितियों में, पट्टाधारक को प्रदत्त शक्तियों और विशेषाधिकारों के उपयोग में पट्टाधारक उसे हुई किसी क्षति के लिए मुआवजा पाने का हकदार नहीं होगा ।

4. **शासी कानून**

इस अनुज्ञप्ति और इसके निर्वचन संबंधी सभी प्रश्नों का समाधान भारत के कानूनों के अनुसार होगा। इस पट्टा के संबंध में किसी विवाद की दशा में और पट्टाधारक तथा राज्य सरकार के संबंधों को प्रभावित करने वाले सभी मामलों में याचिका संबंधी वाद **[शहर का नाम]** के सिविल न्यायालय में दायर किए जाऐंगे और यहा यह स्पष्ट रूप से सहमति व्यक्त की जाती है कि ऊपर बताए न्यायालय के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर कोई भी पक्षकार कोई मुकदमा या अपील दायर या ऐसी कोई भी कार्यवाही नहीं करेगा।

इसके साक्ष्य में इसे कार्यान्वित करने हेतु **[दिनांक]** को **[स्थान का नाम]** पर उपस्थित हुए।

**अनुसूची क- व्यक्तियों की सूची**

| क्रम सं. | नाम | पेन संख्या | पता |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**अनुसूची ख: पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति का क्षेत्र**

**(उपलब्ध कराए जाने वाले भू-कोर्डिनेट सहित क्षेत्र का विवरण)**

## अनुसूची-VIII

[नियम 11(1) (ख) देखें]

**अयस्क और चल खनिजों की अधिकतम मात्रा**

| श्रेणी | खनिज/अयस्क | बिना भुगतान के ले जा सकने वाली मात्रा | रायल्टी के भुगतान द्वारा ले जा सकने वाली अधिकतम मात्रा |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| श्रेणी-I | एस्बेसटोज, ग्रेफाइट, नेटिव सलफर एन्टीमनी अयस्क का कोलुम्बाइट-सांद्रण, अर्मेनिक, विसमुथ, क्रोमियम, तांबा, मीसा, निकिल, टिन, टाइटेनियम, टंगस्टन जस्ता | 250 कि.ग्रा. | 10 टन |
| श्रेणी-II | अदृश्यमान स्वर्ण मे निहित स्वर्णमय शैल और ग्रेवल,कैडमियम, कोबाल्ट, मरकरी, मोलिबेडेनम, सिल्वर, हिलियम, वेनेडियम, बेराइट, वाइटमेन, बोरेक्स, एमेरी, ग्रोमुलेराइट के निष्कषण के उद्देश्यार्थ धातुमय अयस्क | 05टन | 200 टन |
| श्रेणी-III | एन्टीमनी, आर्सेनिक, विसमथ, क्रोमियम, तांबा, सीसा निकल, टिन, टाइटेनियम, टंगस्टन, जिंक, जस्ता के निष्कर्षण के उद्देश्यार्थ धातुमय अयस्क और कैडमियम, कोबाल्ट, मरकरी, मोलिबेडेमन, सिल्वर, हिलियम और वेनेडियम, चूनापत्थर, लौह पायराइट, बॉक्साइट से निहित मिश्रित अयस्क तथा एल्युमिनियम लौह व मैंग्नीज के निष्कर्षण के उद्देश्यार्थ धातुमय अयस्क | 10 टन | 200 टन |
| श्रेणी- IV | चूनापत्थर, मिलेमिनाइट, कायनाइट, मैग्नेमाइट, मर्पेन्टाइन, वर्मिकुलाइट | 50 टन | 200 टन |
| श्रेणी- V | उपर्युक्त अविनिर्दिष्ट सभी अन्य खनिज | 10 टन | 200 टन |

## अनुसूची-IX

(नियम 23(3) देखें)

**हस्तांतरण के आवेदन का प्रारूप**

सेवा में,

**[पता]**

मैं/हम खनन पट्टा/पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति-सह-खनन पट्टे के हस्तांतरण कराने के लिए अनुरोध करता हूँ/करते हैं।

| क्रम सं. | मद का ब्यौरा | विवरण |
|---|---|---|
| 1. | अंतरणकर्ता का नाम | |
| 2 | अंतरणकर्ता का पता | |
| 3. | अंतरिती का नाम | |
| 4 | अंतरिती का पता | |
| 5. | खनन पट्टा/खनन पट्टा संख्या | |
| 6. | खनन पट्टा/संयक्त अनुज्ञप्ति के पंजीकरण होने की तिथि | |
| 7. | क्या अंतरिती अधिनियम और नियमों के अधीन निर्मित प्रावधानों के अनुपालन में खनन पट्टा/खनन पट्टा | हां/नहीं |

| | | |
|---|---|---|
| | को धारित करने हेतु पात्र है? | |
| 8. | अतरिती द्वारा पहले से किए गए पूर्वेक्षण कार्यों और प्रचालनों के दौरान सृजित आंकड़ा व रिपोर्टों के संबंध में विचार करने के साथ-साथ विचारणीय संदेय | |
| 9. | क्या अंतरिती समय-समय पर लागू होने वाले किसी कानून के तहत सभी शर्तों और दायित्वों को स्वीकारने हेतु सहमत है जो अंतरणकर्ता ऐसे खनन पट्टा/खनन पट्टा के संबंध में शर्ताधीन था । | हां/नहीं |

मैं /हम एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि उपर्युक्त दिया गया विवरण सही है और आपके द्वारा वांछित किसी अन्य विवरण को प्रस्तुत करने हेतु तत्पर हूँ/हैं।

अंतरिती और अंतरणकर्ता खनन पट्टा/पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति-सह-खनन पट्टा के हस्तांतरण के संबंध में धारा 12 क और खनिज (परमाणु और हाइड्रो कार्बन ऊर्जा खनिज को छोड़कर) रियायत नियम, 2015 के प्रावधानों का अनुपालन करने की भी घोषणा करते हैं ।

भवदीय

अंतरणकर्ता

...................

अंतरिती

स्थान...................

दिनांक.................

**आवेदकों के लिए अनुदेश**

(क) आवेदक एक कंपनी होने की स्थिति में आवेदन आवेदक के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए । आवेदक एक व्यक्ति होने की स्थिति में, आवेदन आवेदक के द्वारा स्वयं हस्ताक्षरित होना चाहिए । फर्म अथवा व्यक्तियों की एसोसिएशन होने की स्थिति में, फर्म अथवा एसोसिएशन के सभी व्यक्ति आवेदन पर हस्ताक्षर करेंगे ।

(ख) आवेदन के साथ आवेदक (जो एक कंपनी है) का प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का कार्पोरेट प्राधिकृतीकरण संलग्न होना चाहिए । ऐसे कार्पोरेट प्राधिकृतीकरण में किसी परिवर्तन के संबंध में राज्य सरकार को तत्काल सूचित किया जायेगा ।

(ग) खनन पट्टा/खनन पट्टा को धारित करने के लिए अंतरिती की पात्रता की संपुष्टि हेतु अधिनियम और नियमों के अधीन निर्मित प्रावधानों की अनुपालना में आवेदन के साथ साक्ष्य दस्तावेज संलग्न होने चाहिए ।

**अनुसूची-X**

(नियम 23(7) देखें)

**हस्तांतरण का विलेख**

**भाग-क**

**संयुक्त अनुज्ञप्ति के लिए हस्तांतरण विलेख का प्रपत्र**

हस्तांतरण विलेख (**"विलेख"**) [वर्ष] के [माह] के इस [दिन] निम्नलिखित के बीच निष्पादित किया जाता है:

1. **(व्यक्ति का नाम, पता सहित व व्यवसाय)** (यहां इसके पश्चात् **"अंतरणकर्ता"** के रूप में उल्लेखित जिसकी अभिव्यक्ति में जहां संदर्भ में ऐसा स्वीकार्य है, उसके उत्तराधिकारियों, निष्पादकों, प्रशासकों, प्रतिनिधियों और अनुज्ञात समनुदेशिती को शामिल माना जाएगा); अथवा

(व्यक्ति का नाम, पता सहित व व्यवसाय) और (व्यक्ति का नाम, पता सहित व व्यवसाय) (यहां इसके पश्चात् से **"अंतरणकर्ता"** के रूप में उल्लेखित जिसकी अभिव्यक्ति में जहां संदर्भ में ऐसा स्वीकार्य है, उसके उनके उत्तराधिकारियों, निष्पादकों, प्रशासकों, प्रतिनिधियों और उनके अनुज्ञात समनुदेशिती को शामिल मानी जाएगा); अथवा

(व्यक्ति का नाम सभी साझेदारो के पते सहित) भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 (1932 का 9) के अंतर्गत पंजीकृत फर्म (फर्म का नाम) के नाम के रूप में साझेदारी में व्यवसाय कर रहे हैं तथा जिनका पंजीकृत कार्यालय [पता] मे हों (यहां इसके पश्चात् **"अंतरणकर्ता"** के

रूप में उल्लेखित जिसकी अभिव्यक्ति में जहां संदर्भ में ऐसा स्वीकार्य है, सभी उक्त साझेदारों उसके उनके उत्तराधिकारियों, निष्पादकों, प्रशासकों, विधिक प्रतिनिधियों और अनुज्ञात समनुदेशिती को शामिल माना जाएगा ) अथवा

प्रथम भाग की (कंपनी का नाम) एक कंपनी जो (अधिनियम, जिसके तहत निगमित हुई) के तहत पंजीकृत है और जिसका पंजीकृत कार्यालय [पता] (यहां इसके पश्चात् से **"अंतरणकर्ता"** के रूप में उल्लेखित जिसकी अभिव्यक्ति में जहां संदर्भ में ऐसा स्वीकार्य है, उसके उत्तराधिकारी और अनुज्ञात समनुदेशिती को शामिल माना जाएगा);

और

2. (व्यक्ति का नाम, पता सहित व व्यवसाय) (यहा इसके पश्चात् **"अंतरिती"** के रूप में उल्लेखित जिसकी अभिव्यक्ति में जहां संदर्भ में ऐसा स्वीकार्य है, उसके उत्तराधिकारियों, निष्पादकों, प्रशासकों, प्रतिनिधियों और अनुज्ञात समनुदेशिती को शामिल माना जाएगा); अथवा

(व्यक्ति का नाम, पता सहित व व्यवसाय) और (व्यक्ति का नाम, पता सहित व व्यवसाय) (यहां इसके पश्चात् **"अंतरिती"** के रूप में उल्लेखित जिसकी अभिव्यक्ति में जहां संदर्भ में ऐसा स्वीकार्य है, उसके उनके उत्तराधिकारियों, निष्पादकों, प्रशासकों, प्रतिनिधियों और उनके अनुज्ञात समनुदेशिती को शामिल माना जाएगा); अथवा

(सभी साझेदारों के नाम और पते) भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 (1932 का 9) के अंतर्गत पंजीकृत फर्म (फर्म का नाम) के नाम के रूप में साझेदारी में व्यवसाय कर रहे है तथा जिनका पंजीकृत कार्यालय [पता] में हों (यहां इसके पश्चात् **"अंतरिती"** के रूप में उल्लेखित जिसकी अभिव्यक्ति में जहां संदर्भ में ऐसा स्वीकार्य है, उक्त साझेदारों, उसके उनके उत्तराधिकारियों, निष्पादकों, विधिक प्रतिनिधियों और अनुज्ञात समनुदेशिती को शामिल माना जाएगा) ; अथवा

दूसरे भाग की (कंपनी का नाम) एक कंपनी जो (अधिनियम, जिसके तहत निगमित हुई) के तहत पंजीकृत है और जिसका पंजीकृत कार्यालय [पता] (यहां इसके पश्चात् से **"अंतरिती"** के रूप में उल्लेखित जिसकी अभिव्यक्ति में जहां संदर्भ में ऐसा स्वीकार्य है, उसके उत्तराधिकारियों और अनुज्ञात समनुदेशिती को शामिल माना जाएगा);

और

3. गर्वनर (राज्य) (यहां इसके पश्चात् **"राज्य सरकार"** के रूप में उल्लेखित जिसकी अभिव्यक्ति में जहां संदर्भ में ऐसा स्वीकार्य है, उत्तराधिकारियों और अनुज्ञात समनुदेशिती को शामिल माना जाएगा) का तीसरा भाग ।

**जबकि** :

(क) अंतरणकर्ता को (तिथि) को नीलामी के माध्यम से "**राज्य सरकार**" द्वारा संयुक्त अनुज्ञप्ति (**"संयुक्त अनुज्ञप्ति"**) अनुदत्त की गई है और खनन पट्टा की एक प्रति यहां **अनुबंध-क** में संलग्न है ।

(ख) संयुक्त अनुज्ञप्ति के निबंधनों के अनुसार अंतरणकर्ता, अवधि के लिए और पूर्वेक्षण शुल्क और रॉयल्टी के भुगतान और लागू कानूनों के उल्लंघन में, संयुक्त अनुज्ञप्ति को हस्तांतरित न करने की प्रसंविदा सहित अंतरणकर्ता के प्रसंविदा और पालन और निष्पादन तथा संयुक्त अनुज्ञप्ति की शर्तों के अनुपालन के अधीन है । अवधि के लिए अन्वेषण पैरामीटर के अनुसार खनिज अंतर्वस्तु का साक्ष्य सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त अनुज्ञप्ति (**अनुबंध ख** में अधिक विशेष रूप से वर्णित) के अंतर्गत क्षेत्र में भूवैज्ञानिक गवेषण करने का पात्र होगा ।

(ग) अंतरणकर्ता ने अपने अंतरण आवेदन पत्र, दिनांक [दिनांक] के अनुसरण में, राज्य सरकार से, अंतरिती को संयुक्त अनुज्ञप्ति अंतरित करने के संबंध में अनुमोदन देने का अनुरोध किया है ।

(घ) राज्य सरकार ने, दिनांक (दिनांक) उसके पत्र के अनुसार इस विलेख में निहित निबंधनों और शर्तों का अंतरिती द्वारा अनुपालन करने के अध्यधीन अंतरणकर्ता के अंतरण आवेदन को अनुमोदित किया है ।

**अब यह दस्तावेज निम्नानुसार साक्षी है :**

1. इस दस्तावेज में प्रयुक्त परंतु परिभाषित नहीं किए गए शब्दों, का जब तक कि प्रसंग में अन्यथा अपेक्षित न हो, वही अर्थ होगा जो उन्हें संयुक्त अनुज्ञप्ति अथवा खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 और उसके तहत बने नियम, जैसा भी मामला हो, में दिया है ।

2. अंतरिती एतद्वारा राज्य सरकार के साथ प्रसंविदा करता है कि खनन पट्टा के अंतरण और समनुदेशन से के तथा पश्चात्, अंतरिती खनन पट्टा के प्रसविदाओं, अनुबंधों और अंतर्विष्ट शर्तों द्वारा आबद्ध होगा तथा उन्हें संपन्न करने, पालन करने तथा अनुरूप चलने के लिए उत्तरदायी होगा तथा सभी संबंध में उसी रीति के अध्यधीन होगा जैसे कि अंतरिती को खनन पट्टा अनुदत्त किया गया हो और उसने मूलरूप से निष्पादित किया हो।

3. इसे एतद्वारा सहमति प्राप्त हुई है और अंतरणकर्ता को एक पक्ष और अंतरिती को दूसरा पक्ष घोषित किया गया है :

3.1 अंतरिती और अंतरणकर्ता यह घोषित करते हैं कि अंतरिती संयुक्त पट्टा अनुदत्त करने के लिए अंतरणकर्ता द्वारा दिए जाने वाले सभी अपेक्षित पात्रता शर्तों को पूरा करेंगे और आगे भी पूरी करते रहेंगे।

3.2 अंतरणकर्ता और अंतरिती घोषित करते हैं कि उन्होंने यह सुनिश्चित किया है कि क्षेत्र के ऊपर खनिज संबंधी अधिकार, जिसके लिए खनन पट्टा का अंतरण किया जा रहा है, राज्य सरकार में निहित है।

3.3 अंतरिती यह स्वीकार करते हैं कि उन्हें खनन पट्टा की प्रति प्राप्त हो गई है, और उसने उसे पढ़ और समझ लिया है तथा प्रसंविदा, सहमति और सुनिश्चित करता है कि खनन पट्टा के सभी प्रावधानों द्वारा बाध्य होंगे जैसाकि वे वहां मूल पक्ष हैं।

3.4 अंतरणकर्ता यह घोषित करते हैं कि उसने किसी अन्य रीति से खनन पट्टा का अंतरण नहीं किया है जिसे अब अंतरण किया जा रहा है और कोई अन्य व्यक्ति या शक्तियों का कोई अधिकार स्वतय या हित नहीं है जिसके अधीन वर्तमान खनन पट्टा अंतरण किया जा रहा है।

3.5 अंतरिती एतद्वारा यह घोषित करते हैं कि उसने सभी शर्तों और दायित्वों को स्वीकार कर लिया है जो इस खनन पट्टा के संबंध में अंतरणकर्ता के थे।

3.6 अंतरिति इसके अतिरिक्त यह घोषण करते हैं कि वह/यह आर्थिक रूप से और सीधे ही पूर्वेक्षण संक्रिया करेंगे।

3.7 अंतरणकर्ता ने 65 मीटर चौड़ी बेल्ट के आस-पास सभी गवेषण योजनाओं और छोड़े गए गड्ढों की मूल या प्रमाणीकृत प्रति अंतरिती को दे दी है।

3.8 अंतरिती एतद्वारा अतिरिक्त घोषणा करता है कि इस अंतरण के परिणामस्वरूप, संपूर्ण क्षेत्र जो खनिज रियायत के तहत उसके द्वारा उपयोग की जा रही थी, खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 अथवा उसके तहत बने नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं है।

3.9 अंतरणकर्ता ने खनन पट्टे के संबंध में इस दिनांक तक सभी पूर्वेक्षण और सरकार को अन्य देय का भुगतान कर दिया है।

इसके साक्ष्य के रूप में पक्षकारों ने इस तारीख और पहले उपर्युक्त लिखित वर्ष में हस्ताक्षर कर दिए हैं।

राज्य सरकार के लिए उसकी ओर से

-----------------------------------

नाम:

पदनाम:

अतंरितक के लिए उसकी ओर से

-----------------------------

नाम:

अतंरिती के लिए उसकी ओर से

-------------------------------

नाम:

**भाग-ख**

**खनन पट्टा हेतु हस्तांतरण विलेख का प्रपत्र**

हस्तांतरण विलेख (**"विलेख"**) [वर्ष] के [माह] के इस [दिन] निम्नलिखित के बीच निष्पादित किया जाता है:

1 **(व्यक्ति का नाम, पता सहित व व्यवसाय)** (यहां इसके पश्चात् **"अंतरणकर्ता"** के रूप में उल्लेखित जिसकी अभिव्यक्ति में जहां संदर्भ में ऐसा स्वीकार्य है, उसके उत्तराधिकारियों, निष्पादकों, प्रशासकों, प्रतिनिधियों और अनुज्ञात समनुदेशिती को शामिल माना जाएगा); अथवा

(व्यक्ति का नाम, पता सहित व व्यवसाय) और (व्यक्ति का नाम, पता सहित व व्यवसाय) (यहां इसके पश्चात् से **"अंतरणकर्ता"** के रूप में उल्लेखित जिसकी अभिव्यक्ति में जहां संदर्भ में ऐसा स्वीकार्य है, उसके उनके उत्तराधिकारियों, निष्पादकों, प्रशासकों, प्रतिनिधियों और उनके अनुज्ञात समनुदेशिती को शामिल माना जाएगा); अथवा

(व्यक्ति का नाम सभी साझेदारो के पते सहित) भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 (1932 का 9) के अंतर्गत पंजीकृत फर्म (फर्म का नाम) के नाम के रूप में साझेदारी में व्यवसाय कर रहे हैं तथा जिनका पंजीकृत कार्यालय [पता] में हों (यहां इसके पश्चात् **"अंतरणकर्ता"** के रूप में उल्लेखित जिसकी अभिव्यक्ति में जहां संदर्भ में ऐसा स्वीकार्य है, सभी उक्त साझेदारों उसके उनके उत्तराधिकारियों, निष्पादकों, प्रशासकों, विधिक प्रतिनिधियों और अनुज्ञात समनुदेशिती को शामिल मानी जाएगा ) अथवा

प्रथम भाग की (कंपनी का नाम) एक कंपनी जो (अधिनियम, जिसके तहत निगमित हुई) के तहत पंजीकृत है और जिसका पंजीकृत कार्यालय [पता] (यहां इसके पश्चात् से **"अंतरणकर्ता"** के रूप में उल्लेखित जिसकी अभिव्यक्ति में जहां संदर्भ में ऐसा स्वीकार्य है, उसके उत्तराधिकारी और अनुज्ञात समनुदेशिती को शामिल माना जाएगा);

और

2. (व्यक्ति का नाम, पता सहित व व्यवसाय) (यहां इसके पश्चात् **"अंतरिती"** के रूप में उल्लेखित जिसकी अभिव्यक्ति में जहां संदर्भ में ऐसा स्वीकार्य है, उसके उत्तराधिकारियों, निष्पादकों, प्रशासकों, प्रतिनिधियों और अनुज्ञात समनुदेशिती को शामिल माना जाएगा); अथवा

(व्यक्ति का नाम, पता सहित व व्यवसाय) और (व्यक्ति का नाम, पता सहित व व्यवसाय) (यहां इसके पश्चात् **"अंतरिती"** के रूप में उल्लेखित जिसकी अभिव्यक्ति में जहा संदर्भ में ऐसा स्वीकार्य है, उसके उनके उत्तराधिकारियों, निष्पादकों, प्रशासकों, प्रतिनिधियों और उनके अनुज्ञात समनुदेशिती को शामिल माना जाएगा); अथवा

(सभी साझेदारों के नाम और पते) भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 (1932 का 9) के अंतर्गत पंजीकृत फर्म (फर्म का नाम) के नाम के रूप में साझेदारी में व्यवसाय कर रहे है तथा जिनका पंजीकृत कार्यालय [पता] मे हों (यहां इसके पश्चात् **"अंतरिती"** के रूप में उल्लेखित जिसकी अभिव्यक्ति में जहां संदर्भ में ऐसा स्वीकार्य है, उक्त साझेदारों, उसके उनके उत्तराधिकारियों, निष्पादकों, विधिक प्रतिनिधियों और अनुज्ञात समनुदेशिती को शामिल माना जाएगा) ; अथवा

दूसरे भाग की (कंपनी का नाम) एक कंपनी जो (अधिनियम, जिसके तहत निगमित हुई) के तहत पंजीकृत है और जिसका पंजीकृत कार्यालय [पता] (यहां इसके पश्चात् से **"अंतरिती"** के रूप में उल्लेखित जिसकी अभिव्यक्ति में जहां संदर्भ में ऐसा स्वीकार्य है, उसके उत्तराधिकारियों और अनुज्ञात समनुदेशिती को शामिल माना जाएगा);

और

3. गर्वनर (राज्य) (यहां इसके पश्चात् **"राज्य सरकार"** के रूप में उल्लेखित जिसकी अभिव्यक्ति में जहां संदर्भ में ऐसा स्वीकार्य है, उत्तराधिकारियों और अनुज्ञात समनुदेशिती को शामिल माना जाएगा) का तीसरा भाग ।

**जबकि :**

(क) अंतरणकर्ता को राज्य सरकार द्वारा खनन पट्टा प्रदान किया जाएगा जिसके संबंध में राज्य सरकार और अंतरणकर्ता ने यह निष्पादित किया है.—(क) खनन पट्टा (सामूहिक "रियायत दस्तावेज") के संबंध में उप रजिस्ट्रार के कार्यालय में [पता] खान विकास और उत्पादन करार, दिनांक [तिथि] और; (ख) पट्टा विलेख दिनांक [तिथि] को निष्पादित किया और पंजीकरण सं. [संख्या] दिनांक [तिथि] को पंजीकृत किया गया और इसकी एक प्रति यहां **अनुबंध-क** में संलग्न है ।

(ख) रियायत दस्तावेज के संबंध में, अंतरणकर्ता रियायत दस्तावेज (**अनुबंध ख** में अधिक विशेष रूप से वर्णन) की अनुसूची में वर्णित भूमि में खनिजों (खनिजों के नाम) के संबंध में खानों की खोज करने, जीतने और कार्य करने का हकदार है, जो किराया और रायल्टी के भुगतान और अंतरण कर्ता के प्रसंविदा की निगरानी एवं कार्य निष्पादन तथा प्रयोज्य कानूनों के उल्लंघन में, खनन पट्टा को अंतरण न करने की प्रसंविदा सहित रियायत दस्तावेज की शर्तो के अध्यधीन है।

(ग) अंतरणकर्ता ने अपने अंतरण आवेदन पता, दिनांक [दिनांक] के अनुसार, राज्य सरकार से, अंतरणकर्ता को खनन पट्टा अंतरित करने के संबंध में अनुमोदन का अनुरोध किया है ।

(घ) राज्य सरकार ने, अपने पत्र दिनांक (दिनांक) के अनुसार इस दस्तावेज में शामिल निबंधन और शर्तों के अंतरिती द्वारा अनुपालन करने के अध्यधीन अंतरणकर्ता के अंतरण आवेदन को अनुमोदित किया है।

**अब यह दस्तावेज निम्नानुसार साक्षी देते है :**

1. इस दस्तावेज में पूंजीकृत शब्दों का प्रयोग किया गया है परंतु परिभाषित नहीं किया गया है जब तक कि प्रसंग में अन्यथा अपेक्षित न हो, रियायत दस्तावेजों में उसके संबंध में बताए गए अर्थ के अनुसार होगा।

2. अंतरिती एतद्द्वारा राज्य सरकार के साथ प्रसंविदा करता है कि खनन पट्टे के अंतरण और समनुदेशन से तथा पश्चात्, अंतरिती रियायत दस्तावेजों में निहित सभी प्रसंविदाओं, अनुबंधों और शर्तों के प्रावधानों द्वारा आबद्ध होगा तथा उन्हें संपन्न करने, पालन करने तथा अनुरूप चलने के लिए उत्तरदायी होगा तथा सभी संबंध में उसी रीति के अध्यधीन होगा जैसे कि अंतरिती को पट्टे के अधीन खनन पट्टा अनुदत्त किया गया हो और उसने मूलरूप से रियायत दस्तावेज निष्पादित किया हो।

3. इसे एतद्द्वारा सहमति प्राप्त हुई है और अंतरणकर्ता को एक पक्ष और अंतरिती को दूसरा पक्ष घोषित किया गया है :

3.1 अंतरिती और अंतरणकर्ता यह घोषित करते हैं कि अंतरिती खनन पट्टा अनुदत्त करने के लिए अंतरणकर्ता द्वारा दिए जाने वाले सभी अपेक्षित पात्रता शर्तों को पूरा करेंगे और आगे भी पूरी करते रहेंगे।

3.2 अंतरणकर्ता और अंतरिती घोषित करते हैं कि उन्होंने यह सुनिश्चित किया है कि क्षेत्र के ऊपर खनिज संबंधी अधिकार, जिसके लिए खनन पट्टा का अंतरण किया जा रहा है, राज्य सरकार में निहित है।

3.3 अंतरिती यह स्वीकार करते हैं कि उन्हें रियायत दस्तावेज की प्रति प्राप्त हो गई है, और उसने उसे पढ़ और समझ लिया है तथा प्रसंविदा, सहमति और सुनिश्चित करता है कि रियायत दस्तावेज के सभी प्रावधानों द्वारा बाध्य होंगे जैसाकि वे वहां मूल पक्ष हैं।

3.4 अंतरणकर्ता यह घोषित करते हैं कि उसने किसी अन्य रीति से खनन पट्टा का अंतरण नहीं किया है जिसे अब अंतरण किया जा रहा है और कोई अन्य व्यक्ति या शक्तियों का कोई अधिकार स्वतय या हित नहीं है जिसके अधीन वर्तमान खनन पट्टा अंतरण किया जा रहा है।

3.5 अंतरिती एतद्द्वारा यह घोषित करते हैं कि उसने सभी शर्तों और दायित्वों को स्वीकार कर लिया है जो इस खनन पट्टा के संबंध में अंतरणकर्ता के थे।

3.6 अंतरणकर्ता ने 65 मीटर चौड़ी बेल्ट के आस-पास सभी गवेषण योजनाओं और छोड़े गए गड्ढों की मूल या प्रमाणीकृत प्रति अंतरिती को दे दी है।

3.7 अंतरिती एतद्द्वारा अतिरिक्त घोषणा करता है कि इस अंतरण के परिणामस्वरूप, संपूर्ण क्षेत्र जो खनिज रियायत के तहत उसके द्वारा उपयोग की जा रही थी, खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 अथवा उसके तहत बने नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं है।

3.8 अंतरणकर्ता ने खनन पट्टे के संबंध में इस दिनांक तक सभी पूर्वेक्षण और सरकार को अन्य देय का भुगतान कर दिया है।

इसके साक्ष्य के रूप में पक्षकारों ने इस तारीख और पहले उपर्युक्त लिखित वर्ष में हस्ताक्षर कर दिए हैं।

राज्य सरकार के लिए उसकी ओर से

-----------------------------------

नाम:

पदनाम:

अंतरणकर्ता के लिए उसकी ओर से

-----------------------------

नाम:

अंतरिती के लिए उसकी ओर से

-------------------------------

नाम:

## अनुसूची-XI

[नियम 35(1) (ख) देखें]

**आदेश के संशोधन या पारित करने हेतु आवेदन का प्रपत्र**

सेवा में,

**[पता]**

मैं/हम अपेक्षित समयावधि के भीतर पारित नहीं हुए आदेश के संशोधन/पारित कराने हेतु निम्नलिखित आवेदन प्रस्तुत करता हूँ/करते हैं।

| क्र. सं. | मद विवरण | विवरण |
|---|---|---|
| 1. | आवेदक का नाम<br>(फर्म अथवा व्यक्तियों की एसोसिएशन की स्थिति में, फर्म अथवा व्यक्तियों की एसोसिएशन, जैसी भी स्थिति हो, में शामिल प्रत्येक व्यक्ति का नाम लिखे।) | |
| 2. | आवेदक का पता<br>(फर्म अथवा व्यक्तियों की एसोसिएशन की स्थिति में, फर्म अथवा व्यक्तियों की एसोसिएशन, जैसी भी स्थिति हो, में शामिल प्रत्येक व्यक्ति का पता लिखे।) | |
| 3. | आवेदक की स्थिति<br>• व्यक्ति<br>• फर्म<br>• व्यक्तियों का अन्य एसोसिएशन<br>• कंपनी | |
| 4. | आवेदन का उद्देश्य<br>(पारित आदेश की समीक्षा/अपेक्षित समयावधि के भीतर पारित नहीं हुए आदेश को पारित कराने हेतु अनुरोध) | |
| 5. | आदेश की समीक्षा की स्थिति में, आवेदक को जारी आदेश की सूचना की तिथि अथवा-आदेश को पारित कराने हेतु अनुरोध की स्थिति में ऐसा आदेश पारित कराने के लिए समयावधि की समाप्त तिथि | |
| 6. | संदेय आवेदन | |
| 7. | बैंक का नाम, डिमांड ड्राफ्ट या चालान संख्या और तिथि जिसके द्वारा आवेदन शुल्क का भुगतान किया गया | |
| 8. | खनिज या खनिजों के नाम जिसके लिए आवेदन किया है। | |
| 9. | आवेदित क्षेत्र का विवरण | |
| 10. | क्या निर्धारित समय के अंदर आवेदन किया है ? | |
| 11. | यदि नहीं, तो निर्धारित समय सीमा के अंदर आवेदन नहीं प्रस्तुत करने तथा विलम्ब में छूट लेने के कारण | हां/नहीं |
| 12. | पक्षकार/पक्षकारों के नाम व पूरा पता जिन पर मुकदमा चला | |
| 13. | याचिका से सम्बद्ध की प्रतियों की संख्या<br>(यदि पक्षकार पर मुकदमा नहीं चला है तो याचिका को तीन प्रतियों में प्रस्तुत किया जाना है। इसके अलावा मुकदमे वाले प्रत्येक पक्षकार के लिए एक अतिरिक्त प्रति संलग्न की जानी है) | |
| 14. | पुनरीक्षण का आधार | |

मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि उपर्युक्त दिए गए विवरण सही है और आपके द्वारा वांछित किसी अन्य विवरण को प्रस्तुत करने हेतु तैयार हूँ/हैं।

भवदीय

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान :

दिनांक:

**आवेदकों के लिए अनुदेश**

(क) आवेदक एक कंपनी होने की स्थिति में, आवेदन, आवेदक के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित होना चाहिए। आवेदक, एक व्यक्ति होने की स्थिति में, आवेदन आवेदक के द्वारा स्वयं हस्ताक्षरित होना चाहिए। फर्म अथवा व्यक्तियों की एसोसिएशन होने की स्थिति में फर्म या एसोसिएशन के सभी व्यक्ति आवेदन पर हस्ताक्षर करेंगे।

(ख) आवेदन के साथ आवेदक (एक कंपनी के मामले में) का प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का कार्पोरेट प्राधिकृतीकरण संलग्न होना चाहिए। ऐसे कार्पोरेट प्राधिकृतीकरण में किसी परिवर्तन के संबंध में राज्य सरकार को तत्काल सूचित किया जाएगा।

[फा. सं. 1/18/2015-एम.VI]

आर. श्रीधरन, अपर सचिव

## MINISTRY OF MINES

## NOTIFICATION

New Delhi, the 4th March, 2016

**G.S.R. 279(E).**—In exercise of the powers conferred by Section 13, of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

### CHAPTER I: PRELIMINARY

1. **Short title and commencement..**—(1) These rules may be called the Minerals (Other than Atomic and Hydro Carbons Energy Minerals) Concession Rules, 2016.

(2) These rules shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions..**—(1) In these rules, unless the context otherwise requires, .

(a) "Act" means the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957);

(b) "composite licence" means a prospecting licence-cum-mining lease as defined in the Act;

(c) "illegal mining" means any reconnaissance or prospecting or mining operation undertaken by any person or a company in any area without holding a mineral concession as required under sub-section (1) of Section 4;

Explanation.–For the purpose of this clause, .—

(a) violation of any rules, other than the rules made under Section 23C, within the mining lease area by a holder of a mining lease shall not include illegal mining; and

(b) any area granted under a mineral concession shall be considered as an area held with lawful authority by the holder of such mineral concession, while determining the extent of illegal mining.

(d) "mineral concession" means a reconnaissance permit, a non-exclusive reconnaissance permit, a prospecting licence, a prospecting licence-cum-mining lease, or a mining lease, as applicable;

(e) "railway" and "railway administration" have the meanings respectively assigned to them in the Indian Railways Act, 1989 (24 of 1989);

(f) "run-of-mine" means the raw unprocessed or uncrushed material in its natural state obtained after blasting or digging, from the mineralised zone of a lease area;

(g) "Schedule" means a Schedule appended to these rules;

(h) "scheme of prospecting" means a scheme prepared in compliance with the Minerals (Evidence of Mineral Contents) Rules, 2015 in the format specified by Indian Bureau of Mines from time to time;

(i) "section" means a Section of the Act; and

(j) "value of estimated resources" means an amount equal to the product of,-

(i) the estimated quantity of mineral resources for which the prospecting licence, prospecting licence-cum-mining lease or mining lease, as the case may be, is granted, expressed in metric tonne; and

(ii) the average price per metric tonne of such mineral as published by Indian Bureau of Mines for the relevant State for a period of twelve months immediately preceding the month of computation of the value of estimated resources.

(2) The words and expressions used herein but not defined herein shall have the same meaning as assigned to them in the Act or the rules made thereunder.

3. **Applicability**..—These rules shall apply to all minerals, except (i) minor minerals defined under clause (e) of Section 3; and (ii) minerals listed in Part A and Part B of the First Schedule to the Act.

4. **Saving of Act 33 of 1962**..—Nothing in these rules shall affect the provisions of the Atomic Energy Act, 1962 (33 of 1962) and the rules made thereunder in respect of licensing relating to atomic minerals listed in Part B of the First Schedule to the Act.

## CHAPTER II: RIGHTS OF EXISTING HOLDERS OF MINERAL CONCESSIONS

5. **Rights of the holder of a reconnaissance permit**..—(1) The holder of a reconnaissance permit which was granted prior to January 12, 2015 may, upon fulfilment of the conditions specified in sub-clause (i) to sub-clause (iv) of clause (b) of sub-section (2) of Section 10A, make an application to the State Government for grant of a prospecting licence in the format specified in **Schedule I** within a period of three months after the expiry of the reconnaissance permit or within such further period not exceeding six months as may be extended by the State Government pursuant to sub-rule (4).

(2) The State Government shall send an acknowledgement of receipt of the application submitted under sub-rule (1) to the applicant in the format specified in **Schedule II** within a period of three days of receipt of the application thereof:

Provided that the holder of such reconnaissance permit who has already made an application to the State Government for grant of a prospecting licence before the commencement of these rules, shall not be required to submit a fresh application and his pending application shall be treated as an application made under this rule subject to the payment of fee specified in sub-rule (3).

(3) Applications for grant of a prospecting licence under sub-rule (1) shall be accompanied by a non-refundable fee of rupees one thousand per square kilometre on a *pro rata* basis of the area over which the prospecting licence is applied for.

(4) Pursuant to sub-clause (iv) of clause (b) of sub-section (2) of Section 10A, the holder of a reconnaissance permit may, request for an extension of time for submission of the application referred under sub-rule (1) by submitting an application in writing to the State Government in the format specified in **Schedule III**, which the State Government shall accept or reject within a period of thirty days from the date of receipt thereof.

(5) The State Government shall have the right to seek any additional information, document or clarification from an applicant with respect to the application made under sub-rule (1).

(6) The State Government shall, subject to being satisfied that the conditions specified in sub-clause (i) to sub-clause (iv) of clause (b) of sub-section (2) of Section 10A have been complied with, within a period of sixty days from the date of receipt of the duly completed application,:

(a) communicate through an order its decision to grant the prospecting licence for any mineral other than those specified in the First Schedule to the Act; or

(b) forward the application to the Central Government for its previous approval for grant of a prospecting licence for any mineral specified in Part C of the First Schedule to the Act.

(7) In case of applications received under sub-rule (1) which have not complied with the conditions specified in sub-clause (i) to sub-clause (iv) of clause (b) of sub-section (2) of Section 10A, the State Government may, after giving the applicant an opportunity of being heard and for reasons to be recorded in writing, communicate to the applicant, its refusal to grant the prospecting licence.

(8) Where the previous approval of the Central Government under clause (b) of sub-rule (6) has been sought, the application shall be disposed of by the Central Government within a period of one hundred and twenty days from the date of receipt of such application and the decision of the Central Government shall be communicated to the State Government.

(9) The State Government shall, within a period of sixty days from the date of receipt of the decision of the Central Government under clause (b) of sub-rule (6), communicate the decision, of the Central Government, to grant or refuse to grant the prospecting licence, as the case may be, to the applicant through a written order.

(10) Upon issuance of an order under clause (a) of sub-rule (6) or sub-rule (9) for grant of a prospecting licence, the applicant for such prospecting licence shall:

(a) obtain all consent, approval, permit, no-objection as may be required under applicable laws for commencement of prospecting operations;

(b) submit a scheme of prospecting; and

(c) provide a performance security to the State Government in the form of a bank guarantee in the format specified in **Schedule IV** or as a security deposit for an amount equivalent to 0.25% of the value of estimated resources, and such performance security may be invoked by the State Government in accordance with the terms and conditions of the prospecting licence.

(11) The State Government shall execute the prospecting licence deed with the applicant in the format specified in **Schedule V** within ninety days of fulfilment of the conditions specified in sub-rule (10), and if no such licence deed is executed within the said period due to any default on the part of the applicant, the State Government may revoke the order granting the licence and in that event the fee paid under sub-rule (3) shall be forfeited to the State Government.

(12) The State Government may, for reasons to be recorded in writing and communicated to the applicant, reduce the area applied for at the time of grant of the prospecting licence.

(13) The date of the commencement of the period for which a prospecting licence is granted shall be the date on which the prospecting licence deed is executed under sub-rule (11).

6. **Renewal of a prospecting licence..**—(1) An application for the renewal of a prospecting licence shall be made ninety days before the expiry of the prospecting licence and shall be accompanied by a statement containing-

(a) reasons for seeking renewal;

(b) a report containing details of the prospecting operations undertaken by the applicant in the format as prescribed under the rules made under Section 18;

(c) the details of expenditure incurred;

(d) the numbers of man days for which the work was undertaken; and

(e) the justification for the additional period required to complete the prospecting work.

(2) The State Government shall send an acknowledgement of receipt of the renewal application to the holder of the prospecting licence in **Schedule II** within a period of three days of receipt thereof.

(3) Applications for renewal of prospecting licence under sub-rule (1) shall be accompanied by a non-refundable fee of rupees one thousand per square kilometre on a *pro rata* basis of the area over which the renewal of the prospecting licence is applied for.

(4) The State Government may condone delay in submission of an application for renewal of a prospecting licence made after the expiry of the time limit prescribed in sub-rule (1):

Provided that the application for the renewal has been made before the expiry of the prospecting licence.

(5) An application for the renewal of a prospecting licence shall be disposed of by the State Government before the expiry of the period of prospecting licence.

7. **Rights of a holder of a prospecting licence to obtain a mining lease..**—(1) The holder of a prospecting licence granted (i) prior to January 12, 2015, or (ii) pursuant to rule 5 may, upon fulfilment of the conditions specified in sub-clause (i) to sub-clause (iv) of clause (b) of sub-section (2) of Section 10A, make an application to the State Government for grant of a mining lease in the format specified in **Schedule VI**, within a period of three months after the expiry of the prospecting licence, or within such further period not exceeding six months as may be extended by the State Government.

(2) The State Government shall send an acknowledgement of receipt of the application submitted under sub-rule (1) to the applicant in **Schedule II**, within a period of three days of receipt of the application:

Provided that the holder of prospecting licence who has made an application within the time limits specified in sub-clause (iv) of clause (b) of sub-section (2) of Section 10A to the State Government for grant of a mining lease before commencement of these rules shall not be required to submit a fresh application subject to the payment of fee specified in sub-rule (3).

(3) Application for grant of mining lease under sub-rule (1) shall be accompanied by a non-refundable fee of rupees five lacs per square kilometre on a *pro rata* basis of the area over which the mining lease is applied for.

(4) Pursuant to sub-clause (iv) of clause (b) of sub-section (2) of Section 10A, an existing prospecting licence holder may request for an extension of time for submission of the application referred under sub-rule (1) by submitting an application in writing to the State Government in the format specified in **Schedule III**. The State Government shall accept or reject such request within a period of thirty days from the date of receipt thereof.

(5) The State Government shall have the right to seek any additional information, document or clarification from such applicant with respect to the application under sub-rule (1).

(6) The State Government shall, on being satisfied that the conditions specified in sub-clause (i) to sub-clause (iv) of clause (b) of sub-section (2) of Section 10A have been complied with, within a period of sixty days from the date of receipt of the duly completed application,:

(a) communicate through an order its decision to grant the mining lease for any mineral other than those specified in the First Schedule to the Act, or

(b) forward the application to the Central Government for its previous approval for grant of a mining lease for any mineral specified in Part C of the First Schedule to the Act.

(7) In case of applications received under sub-rule (1) which have not complied with the conditions specified in sub-clause (i) through (iv) of clause (b) of sub-section (2) of Section 10A, the State Government may, after giving the applicant an opportunity of being heard and for reasons to be recorded in writing and communicated to the applicant, refuse to grant a mining lease.

(8) Where previous approval of the Central Government as required under clause (b) of sub-rule (6) has been sought, the application for such an approval shall be disposed of by the Central Government within a period of one hundred and twenty days from the date of receipt thereof and the decision of the Central Government shall be duly communicated to the State Government.

(9) The State Government shall, within a period of sixty days from the date of receipt of the decision of the Central Government as per sub-rule (8), communicate the decision, of the Central Government, to grant or refuse to grant the mining lease, as the case may be, to the applicant through a written order.

(10) Upon issuance of an order under clause (a) of sub-rule (6) or sub-rule (9) for grant of a mining lease, the applicant for such mining lease shall:

(a) obtain all consent, approval, permit, no-objection as may be required under applicable laws for commencement of mining operations;

(b) provide a performance security to the State Government in the form of a bank guarantee as per the format specified in **Schedule IV** or as a security deposit, for an amount equivalent to 0.50% of the value of estimated resources, which performance security may be invoked by the State Government as per the terms and conditions of Mine Development and Production Agreement and the mining lease deed. The performance security shall be adjusted every five years so that it continues to correspond to 0.50% of the reassessed value of estimated resources;

(c) satisfy the conditions with respect to a mining plan specified in clause (b) of sub-section (2) of Section 5; and

(d) sign an Mine Development and Production Agreement with the State Government as per the format specified by the Central Government after compliance of conditions specified in clause (a), (b) and (c) of this sub-rule.

(11) The State Government shall execute a mining lease deed with the applicant in the format specified in **Schedule VII** within ninety days of fulfilment of the conditions specified in sub-rule (10), and if no such deed is executed within the said period due to any default on the part of the applicant, the State Government may revoke the order granting the lease and in that event the fee paid under sub-rule (3) shall be forfeited to the State Government.

(12) The State Government may, for reasons to be recorded in writing and communicated to the applicant, reduce the area applied for at the time of grant of the mining lease.

(13) The mining lease executed under sub-rule (11) shall be registered within a period of thirty days from the date of its execution; and the date of the commencement of the period for which a mining lease is granted shall be the date on which a duly executed mining lease deed is registered.

8. **Rights under the provisions of clause(c) of sub-section (2) of Section 10A.-**

(1) The applicant in whose favour:

(a) the State Government has issued a letter of intent (by whatever name called) in writing before January 12, 2015, for grant of a mining lease for minerals not specified in the First Schedule to the Act; or

(b) the Central Government has communicated the previous approval in writing before January 12, 2015, under sub-section (1) of Section 5, for grant of a mining lease for minerals specified in Part C of the First Schedule to the Act.

shall submit a letter of compliance to the State Government, of the conditions mentioned in the letter of intent or the conditions mentioned in the previous approval granted by the Central Government, as the case may be; and the State Government shall send an acknowledgement of receipt of the letter of compliance to the applicant in **Schedule II** within a period of three days of receipt thereof.

(2) After receipt of letter of compliance under sub-rule (1), the State Government shall issue an order for grant of the mining lease within a period of sixty days from the date of receipt of such letter subject to verification of fulfilment of the conditions mentioned in the letter of intent or previous approval of the Central Government, as the case may be:

Provided that in case the conditions as mentioned in the (i) letter of intent issued by the State Government, or (ii) previous approval granted by the Central Government are not fulfilled, the State Government shall, after giving the applicant an opportunity of being heard and for reasons to be recorded in writing and communicated to the applicant within a period of sixty days from the date of receipt of letter of compliance, refuse to grant a mining lease for non-compliance of conditions mentioned in the letter of intent or the previous approval of the Central Government, as the case may be.

(3) Upon issuance of an order of grant of mining lease under sub-rule (2), the applicant shall:

(a) furnish a performance security to the State Government in the form of a bank guarantee in the format specified in **Schedule IV** or as a security deposit for an amount equivalent to 0.50% of the value of estimated resources, which may be invoked by the State Government as per the terms and conditions of the Mine Development and Production Agreement, published by the Government of India in the Ministry of Mines, vide Part I, Section-I of the Gazette of India, dated the 2nd July, 2015, and the mining lease deed. The performance security shall be adjusted every five years to correspond to 0.50% of the reassessed value of estimated resources; and

(b) sign a Mine Development and Production Agreement with the State Government in the format specified by the Central Government after compliance of conditions specified in this sub-rule.

(4) Where an order for grant of mining lease has been issued under sub-rule (2), the mining lease shall be executed with the applicant in the format specified in **Schedule VII** and registered on or before 11th January, 2017, failing which the right of such an applicant under clause (c) of sub-section (2) of Section 10A for grant of a mining lease shall be forfeited and in such cases, it would not be mandatory for the State Government to issue any order in this regard.

(5) The State Government may, for reasons to be recorded in writing and communicated to the applicant, reduce the area applied for at the time of grant of the mining lease.

(6) The date of the commencement of the period for which a mining lease is granted shall be the date on which a duly executed mining lease deed is registered.

## CHAPTER III: MINERAL CONCESSIONS GRANTED THROUGH AUCTION

9. **Composite licence and mining lease granted through auction.**—(1) The prospecting licence deed of the composite licence granted to a successful bidder under sub-rule (3) of rule 18 of the Mineral (Auction) Rules, 2015 shall be in the format specified in **Schedule V**.

(2) The mining lease deed to be executed by:

(a) a successful bidder under sub-rule (6) of rule 10 of the Mineral (Auction) Rules, 2015; or

(b) the holder of a composite licence under sub-rule (9) of rule 18 of the Mineral (Auction) Rules, 2015,

shall be in the format specified in **Schedule VII**.

10. **Renewal of a prospecting licence of the composite licence** - (1) An application for renewal of a prospecting licence of the composite licence for the purpose of completing prospecting operations shall be made at least ninety days before the expiry of the prospecting licence stage of the composite licence and shall be accompanied by a statement containing-

(a) reasons for seeking renewal;

(b) a report of the details of prospecting operations undertaken by the applicant in the format as prescribed under the rules under Section 18;

(c) the details of expenditure incurred;

(d) the numbers of man days for which the work was undertaken; and

(e) the justification for the additional period required to complete the prospecting work.

(2) The State Government shall send an acknowledgement of receipt of the application of renewal application to the applicant in **Schedule II** within a period of three days of receipt of the renewal application.

(3) Such application shall be accompanied by a non-refundable fee of rupees one thousand per square kilometre on a *pro rata* basis of the area over which the renewal of the prospecting licence is applied for.

(4) The State Government may condone delay in submission of an application for renewal of a prospecting licence stage of the composite licence made after the time limit prescribed in sub-rule (1), provided that the application for the renewal has been made before the expiry of the prospecting licence stage of the composite licence.

(5) An application for the renewal of a prospecting licence shall be disposed of by the State Government before the expiry of the period of prospecting licence.

## CHAPTER IV: TERMS AND CONDITIONS OF MINERAL CONCESSIONS

11. **Terms and conditions of a prospecting licence and composite licence..**— (1) Every prospecting licence holder or a composite licence holder shall, in addition to the conditions specified therein, be subject to the following conditions:

(a) the licencee may win and carry for purposes other than commercial purposes:

(i) such quantity of the minerals within the limits specified under column (3) of **Schedule VIII** without any payment; or

(ii) such quantity of the minerals not exceeding the limits specified under column (4) of **Schedule VIII**, on payment of royalty specified in the Second Schedule to the Act:

Provided that the licensee may win and carry away for purposes other than commercial purpose any quantity of limestone not exceeding 500 tonnes for testing its use in any industry specified by the Central Government in this behalf, on payments of royalty specified in the Second Schedule to the Act:

Provided further that if any quantity in excess of the quantities specified in this clause is won and carried away, the State Government may recover the value of the excess quantity of minerals won and carried away and also impose penalty under Section 21;

(b) the licencee may, with the written permission of the State Government, carry away quantities of minerals in excess of the limits specified in **Schedule VIII**, on payment of royalty specified in the Second Schedule to the Act, for chemical, metallurgical, ore-dressing and other test purposes;

(c) If the licencee holding a prospecting licence or a composite licence, is convicted of illegal mining and there are no interim orders of any court of law suspending the operation of the order of such conviction in appeals pending against such conviction in any court of law, the State Government may, without prejudice to any other proceedings that may be taken under the Act or the rules made thereunder, after giving such licencee an opportunity of being heard and for reasons to be recorded in writing and communicated to the licencee, cancel such prospecting licence and forfeit whole or part of the performance security;

(d) the licencee shall, within sixty days from the date of discovery of any mineral specified in Part B of the First Schedule to the Act, apply to the Secretary, Department of Atomic Energy, Mumbai, through the State Government, for grant of a licence to handle such minerals under the provisions of the Atomic Energy Act, 1962 (33 of 1962) and the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957) and the rules made thereunder and the Department of Atomic Energy shall intimate the State Government regarding the issue of the licence in this regard;

(e) the licencee shall restore, to the extent possible, the landform affected by prospecting operations;

(f) the licencee shall comply with the provisions of the Act and the rules made thereunder including rules made under Section 18;

(g) every licencee shall maintain an accurate and faithful account of all expenses incurred by him on prospecting operations and also the quantity and other particulars of all minerals obtained during such operations and their despatch;

(h) every licencee shall clear undergrowth, brushwood and trees only with the prior written approval of the Deputy Commissioner or Collector, as the case may be, in order to make and use any drains, water courses or water on the said lands for such purposes as may be necessary for effectually carrying on the prospecting operations and for the workmen employed thereon. The licencee shall always ensure that such use shall not diminish or interfere with the supply of water to which any cultivated land, building or watering place, for livestock has been accustomed and shall ensure that its prospecting operations do not foul or pollute streams, springs or wells;

(i) the licencee shall have the right to erect and bring upon the said lands all such temporary huts, sheds, structures, steam and other engines, machinery, conveniences, chattels and effects as may be deemed proper and necessary for effectually carrying on its prospecting operations or for the employment of workmen thereon;

(j) save in the case of land over which the licencee has been granted a mining lease on or before the expiry or termination of the licence, as the case may be, the licencee shall within six months after the expiry or termination of the licence or date of abandonment, whichever is earlier, securely plug any borehole and fill up or fence any holes or excavations that may have been made in the lands to the extent required by the Deputy Commissioner or Collector, as the case may be. The licencee shall also restore the surface of the land and all buildings thereon which may have been damaged or destroyed in the course of its prospecting operations, provided that it shall not be required to restore the surface of the land or any building in respect of which full and proper compensation has already been paid by it;

(k) failure on the part of the licencee to fulfil any of the terms and conditions hereunder or under the prospecting licence shall not give the Central Government or State Government any claim against the licencee or be deemed a breach of the licence, in so far as such failure is considered by the relevant Government to arise from force majeure. In the event of any delay by the licencee to fulfill any of the terms and conditions hereunder or under the prospecting licence on account of a force majeure event, the period of such delay shall be added to the period fixed by these rules or the prospecting licence.

In this clause the expression "force majeure" means act of God, war, insurrection, riot, civil commotion, strike, earth quake, tide, storm, tidal wave, flood, lightning, explosion, fire, earthquake and any other happening which the licencee could not reasonably prevent or control; and

(l) the licencee shall, on the expiry or termination of the licence or the abandonment of the prospecting operations, whichever is earlier, remove expeditiously at his own cost, all buildings, structures, plant, engines machinery, implements, utensils and other property and effects erected or brought by the licencee and standing or situated on the said lands together with all minerals won by the licencee and situated on the said land, provided that it shall not be required to remove any of the above from any part of the said lands which may be comprised in any mining lease granted to the licencee during the subsistence of the prospecting licence.

(2) The licencee shall report to the State Government the discovery of any mineral not specified in the licence within a period of sixty days from the date of such discovery, and consequent upon such reporting the newly discovered mineral except those minerals specified in Part A and Part B of the First Schedule to the Act shall be deemed to have been included in the composite licence:

Provided that the holder of a prospecting licence granted otherwise than through auction, shall have no right over the discovered mineral and such mineral shall not be included in the licence.

(3) A prospecting licence or a composite licence may contain such other conditions as the State Government may deem fit to impose, namely:-

(a) compensation for damage to land in respect of which the licence has been granted;

(b) indemnity to Government against the claim of a third party for any damage, injury or disturbance caused to him by the licencee;

(c) restrictions regarding felling of trees on unoccupied and unreserved Government land;

(d) restrictions on prospecting operations in any area prohibited by any competent authority;

(e) operations in forest land;

(f) conditions regarding entry on occupied land;

(g) facilities to be given by the licencee for working other minerals in the licenced area or adjacent areas;

(h) filing of civil suits or petitions relating to disputes arising out of the area under prospecting licence:

Provided that in case of a composite licence, the State Government shall specify such conditions in the tender document for auction for grant of composite licence.

(4) The State Government may, either with the previous approval of the Central Government or at the instance of the Central Government, impose such further conditions as may be necessary in the interest of conservation and development of minerals.

(5) In the case of breach of any condition imposed on any holder of prospecting licence or composite licence under the Act and the rules made thereunder, the State Government may, by order in writing, cancel the licence and/or forfeit in whole or part, the amount of performance security deposited by the holder of prospecting licence or composite licence, as applicable, under the Act and the rules made thereunder:

Provided that no such order shall be made without giving the licencee a reasonable opportunity of representing his case.

(6) The minimum area for grant of a prospecting licence or composite licence shall not be less than the minimum area for which a mining lease may be granted in accordance with the sub-rule (5) of rule 12 and the maximum area shall be in accordance with Section 6 as applicable to a prospecting licence.

12. **Terms and conditions of a mining lease..**— (1) Every mining lease shall be subject to the following conditions:

(a) in addition to the payments to be made by the lessee under *Chapter XIII* of these rules, the lessee shall pay for every year, except the first year of the lease, such yearly dead rent at the rates specified in the Third Schedule of the Act and if the lease permits the working of more than one mineral in the same area, the State Government shall not charge separate dead rent in respect of each mineral:

Provided that the lessee shall be liable to pay: (i) the aggregate of royalty in respect of all minerals; or (ii) the dead rent as specified in the Third Schedule to the Act prescribed for the highest value mineral, whichever is higher;

(b) the lessee shall also pay for the surface area used by him for the purposes of mining operations, surface rent and water rate at such rate not exceeding the land revenue, water and cess assessable on the land, as may be specified by the State Government from time to time;

(c) the lessee shall commence mining operations within two years from the date of execution of the lease deed and shall thereafter conduct such operations in a proper, skillful and workman-like manner.

**Explanation:** For the purpose of this clause, mining operations shall include the erection of machinery, laying of a tramway or construction of a road or any other operation undertaken for the purpose of winning of minerals;

(d) the lessee shall not carry on or allow to be carried on, any mining operations at any point within a distance of fifty meters from any railway line, except under and in accordance with the previous written permission of the railway administration concerned or under or beneath any ropeway or ropeway trestle or station, except under and in accordance with the written permission of the authority owning the ropeway or from any reservoir, canal or other public works, or buildings, except under and in accordance with the previous written permission of any officer authorised by the State Government in this behalf. The said distance of fifty meters shall be measured in the case of railway, reservoir or canal, horizontally from the outer toe of the bank or the outer edge of the cutting, as the case may be, and in case of a building, horizontally from the plinth thereof;

(e) the lessee shall not, in the case of village roads (including any track shown in the revenue record as village road), allow any working to be carried on within a distance of ten meters of the outer edge of the cutting except with the previous permission of the Deputy Commissioner or Collector or any other officer duly authorised by the State Government in this behalf and otherwise than in accordance with such directions, restrictions and additions, either general or special, which may be attached to such permission;

(f) the lessee shall keep accurate and faithful accounts showing the quantity and other particulars of (i) all minerals obtained and dispatched from the mine, and (ii) waste material excavated from the mine, the number and nationality of persons employed therein, and complete plans of the mine, and shall allow any officer authorised by the Central Government or the State Government in this behalf to examine at any time any accounts, plans and records maintained by him and shall furnish the Central or the State Government with such information and returns as it or any officer authorised by it in this behalf may require;

(g) the lessee shall keep accurate records of all trenches, pits and drillings made by the lessee in the course of mining operations carried on by the lessee under the lease and shall allow any officer authorised by the Central or the State Government to inspect the same. Such records shall contain the following particulars, namely:

(i) the subsoil and strata through which such trenches, pits or drillings pass;

(ii) details of any mineral encountered; and

(iii) such other particulars as the Central or the State Government may from time to time require;

(h) the lessee shall allow any officer authorised by the Central or the State Government to enter upon any building, excavation or land comprised in the lease for the purpose of inspecting the same;

(i) the State Government shall at all times have the right of pre-emption of the minerals won from the land in respect of which the lease has been granted:

Provided that the average sale price as published by IBM prevailing at the time of pre-emption shall be paid to the lessee for all such minerals;

(j) the lessee shall store and maintain accounts properly within the lease area of the unutilized or non-saleable subgrade ores or minerals for future beneficiation;

(k) in respect of any mineral which in relation to its use for certain purposes is notified as a mineral other than a minor mineral and in relation to its use for other purposes as a minor mineral, the lessee who holds a lease for extraction of such minerals under these rules whether or not it is specified as a mineral other than minor mineral in the lease deed, shall not use or sell the mineral or deal with it in whatsoever manner or knowingly allow anyone to use or sell the mineral or deal with it in whatsoever manner as a minor mineral:

Provided that if on an application made to the State Government in this behalf by the lessee, the State Government, in consultation with Indian Bureau of Mines, is satisfied that having regard to the inferior quality of such mineral, it cannot be used for any of the purposes by reason of which use it can be called a mineral other than minor mineral or that there is no market for such mineral as a mineral other than minor mineral, the State Government may by order permit the lessee to dispose of the mineral in such quantity and in such manner as may be specified therein as a minor mineral;

(l) the lessee shall, in the matter of employment, give preference to the tribals and to the persons who become displaced because of the taking up of mining operations;

(m) the lessee shall restore, to the extent possible, the landform affected by mining operations;

(n) the lessee shall comply with the provisions of Act and the rules made thereunder including the rules made under Section 18;

(o) the lessee shall not erect, place or set up any building or thing and shall not carry out any surface operations on, in or upon any public ground, burning or burial ground or place held sacred by any class of persons or any house, village site, public road or other place which the State Government may determine as a public ground;

(p) the lessee shall not carry on his operations in a manner that would injure or prejudicially effect any buildings, works, property or rights of other persons and no land will be used by the lessee for surface operations which is already occupied by persons other than the State Government for works or purposes not included in the mining lease;

(q) the lessee shall not interfere with any right of way, well or tank;

(r) the lessee shall, prior to using any land for surface operations which has not already been used for such operations, give written notice of two calendar months to Deputy Commissioner or Collector of the District specifying the name or other description of the situation and the extent of the land proposed to be so used and the purpose for which the same is required and the said land shall not be used by the lessee if any objection is issued by the Deputy Commissioner or Collector within two months of receipt of the lessee's notice, unless the objections so stated shall on reference to the State Government be annulled or waived;

(s) the lessee shall allow reasonable facilities of access to any existing and future holders of Government licences or leases over any land which is comprised in or adjoins or is reached by the land held by the lessee:

Provided that no substantial hindrance or interference shall be caused by such holders of licences or leases to the operations of the lessee and fair compensation (as may be mutually agreed upon or in the event of disagreement as may be decided by the State Government) shall be paid by them to the lessee for any loss or damage sustained by the lessee by reason of the exercise of this liberty;

(t) the State Government or any lessee or person authorised by it in that behalf by the State Government shall have the right to enter into and upon the leased lands and to construct upon, over or through the same, any railways, tramways, roadways or pipelines for any purpose authorized by the State Government and to get from the said lands, stones, gravel, earth and other materials for making, maintaining and repairing such railways, tramways, roads or any existing railways and roads; and

(u) to pass over or along any such railways, tramways, road lines and other ways, at all times, with or without horses, cattle or other animals, carts, wagons, carriages, locomotives or other vehicles for all purposes:

Provided that in the exercise of such liberty and power by such other lessee or person authorised by the State Government, no substantial hindrance or interference shall be caused to or with the liberties, powers and privileges of the lessee and fair compensation as may be mutually agreed upon or in the event of disagreement, as may be decided by the State Government, shall be made to the lessee for all loss or damage substantial hindrance or interference caused to the lessee by such other lessee or person authorised by the State Government:

(v) the lessee shall at his own expense, erect, maintain and keep in repair all boundary pillars according to the Act and rules made thereunder with respect to the manner of construction and upkeep of boundary pillars:-

i. each corner of the lease area shall have a boundary pillar (corner pillar);

ii. there shall be erected intermediate boundary pillars between the corner pillars in such a way that each pillar is visible from the adjacent pillar located on either side of it;

iii. the distance between two adjacent pillars shall not be more than fifty meters;

iv. the pillars shall be of square pyramid frustum shaped above the surface and cuboid shaped below the surface;

v. each pillar shall be of reinforced cement concrete;

vi. the corner pillars shall have a base of 0.30m X 0.30m and height of 1.30m of which 0.70m shall be above ground level and 0.60m below the ground;

vii. the intermediate pillars shall have a base of 0.25m X 0.25m and height of 1.0m of which 0.70m shall be above ground level and 0.30m below the ground;

viii. all the pillars shall be painted in yellow colour and the top ten centimeters in red colour by enamel paint and shall be grouted with cement concrete;

ix. on all corner pillars, distance and bearing to the forward and backward pillars and latitude and longitude shall be marked;

x. each pillar shall have serial number in a clockwise direction and the number shall be engraved on the pillars;

xi. the number of pillar shall be the number of the individual pillar upon the total number of pillars in the lease;

xii. the tip of all the corner boundary pillars shall be a square of 15 centimeter on which a permanent circle of 10 centimeter diameter shall be drawn by paint or engraved and the actual boundary point shall be intersection of two diameters drawn at 90 degrees;

xiii. the lease boundary survey shall be accurate within such limits of error as the Controller General, Indian Bureau of Mines may specify in this behalf;

xiv. the location and number of the pillars shall also be shown in the surface and other plans maintained by the lessee; and

xv. in case of forest area within the lease, the size and construction and colour of the boundary pillars shall be as per the norms specified by the Forest Department in this behalf.".

(w) the lessee shall make and pay such compensation as may be assessed by lawful authority in accordance with the law in force on the subject for all damage, injury or disturbance which may be caused by the lessee in exercise of the powers granted to him and shall indemnify and keep indemnified, fully and completely, the State Government against all claims which may be made by any person or persons in respect of any such damage, injury or disturbance and all costs and expenses in connection therewith;

(x) the lessee shall strengthen and support to the satisfaction of the railway administration concerned or the State Government, as the case may be, any part of the mine which, in his opinion, requires such strengthening or support for the safety of any railway, reservoir, canal, road and any other public works or structures;

(y) the lessee shall send to the Deputy Commissioner or Collector, without delay, a report of any accident causing death or serious bodily injury or serious injury to property or seriously affecting or endangering life or property which may occur in the course of its mining operations;

(z) the lessee shall maintain a copy of the mining plan at the mine office situated in the leased area;

(aa) the lessee shall not employ, in connection with the mining operations, any person who is not an Indian national except with the previous approval of the Central Government;

(bb) the lessee shall allow any officer authorised by the Central Government or the State Government to inspect the leased area at all reasonable times and shall also supply, on demand of the State Government, the Director General, Geological Survey of India or the Controller General, Indian Bureau of Mines, all applicable plans and sections of the leased area as also the quantity of reserves quality-wise;

(cc) the lessee shall, unless specifically exempted by the State Government, provide and at all times keep at or near the pit head or each of the pit heads at which the minerals shall be brought to bank, a properly constructed and efficient weighing system/mechanism and shall weigh or cause to be weighed thereon all the said minerals, from time to time, brought to bank, sold, exported and converted and also the converted products. The lessee shall at the close of each day cause the total weights, ascertained by such means of the said minerals, ores products raised, sold, exported and converted during the previous twenty four hours, to be entered in the books of accounts maintained by the lessee. The lessee shall at all times during the term of the lease, permit the State Government to employ any person or persons to be present at the weighing of the said minerals as aforesaid and to keep accounts thereof and to check the accounts kept by the lessee. The lessee shall give seven days previous notice in writing to the Deputy Commissioner/Collector of every such measuring or weighing in order that he or some officer on his behalf may be present thereat;

(dd) the lessee shall at any time or times during the term of the lease, allow any person or persons appointed in that behalf by the State Government to examine and test every weighing machine to be provided and kept as aforesaid and the weights used therewith in order to ascertain whether the same respectively are correct and in good repair and order. If upon any such examination or testing, any such weighing machine or weights shall be found incorrect or out of repair or order, the State Government may require that the same be adjusted, repaired and put in order by and at the expense of the lessee. If such requisition is not complied with within fourteen days after the same has been made, the State Government may cause such weighing machine or weights to be adjusted, repaired and put in order at the expense of the lessee. If upon any such examination or testing as aforesaid, any error is discovered in any weighing machine or weights to the prejudice of the State Government, such error shall be regarded as having existed for three calendar months prior to the discovery thereof or from the last occasion of so examining and testing the same weighing machine and weights, in case such occasion is within the said period of three months, and the lessee shall pay the rent and royalty accounted for accordingly;

(ee) if the lessee fails to carry out or perform any of its obligations hereunder or under the lease deed within the time specified in that behalf, the State Government may cause the same to be carried out or performed and the lessee shall pay the State Government, on demand, all expenses incurred in this regard by the State Government and the decision of the State Government as to such expenses shall be final;

(ff) failure on the part of the lessee to fulfil any of the terms and conditions of the Act and rules made thereunder or under the mining lease shall not give the Central Government or State Government any claim against the lessee or be deemed a breach of the lease, in so far as such failure is considered by the relevant Government to arise from force majeure. In the event of any delay by the lessee to fulfill any of the terms and conditions of the Act and rules made thereunder or under the mining lease on account of a force majeure event, the period of such delay shall be added to the period fixed by these rules or the mining lease.

In this clause the expression "force majeure" means act of God, war, insurrection, riot, civil commotion, strike, earth quake, tide, storm, tidal wave, flood, lightning, explosion, fire, earthquake and any other happening which the lessee could not reasonably prevent or control;

(gg) the lessee may, after paying the rents, rates and royalties payable under the Act and rules made thereunder or under the lease deed, at the expiry or sooner termination of the lease term or within six calendar months thereafter (unless the lease is terminated for default of the lessee, and in that case at any time not less than three calendar months nor more than six calendar months after such termination) take down and remove for its own benefit, all or any ore mineral excavated during the currency of the lease, engines, machinery, plant, buildings structures, tramways, railways and other works, erections and conveniences which may have been erected, set up or placed by the lessee in or upon the leased lands and which the lessee is not bound to deliver to the State Government or which the State Government does not desire to purchase;

(hh) if at the end of six calendar months after the expiry or sooner termination of the lease term there shall remain in or upon the leased land, any ore or mineral, engines, machinery, plant, buildings structures, tramways, railways and other work, erections and conveniences or other property which are not required by the lessee in connection with operations in any other lands held by it under prospecting licence or mining lease, the same shall, if not removed by the lessee within one calendar month of being notified to do so by the State Government, be deemed to become the property of the State Government and may be sold or disposed of in such manner as the State Government shall deem fit without liability to pay any compensation or to account to the lessee in respect thereof.

(2) The lessee shall report to the State Government, the discovery in the leased area of any mineral not specified in the lease within a period of sixty days from the date of such discovery and shall not win and dispose of such discovered mineral:

Provided that the holder of a mining lease granted through auction may win and dispose the mineral discovered only after inclusion of such discovered mineral in the mining lease deed:

Provided further that holder of a mining lease not granted through auction shall have no right over the discovered mineral and shall not dispose of such mineral. In such case the State Government may exercise its right of pre-emption with respect to such mineral and pay to the holder of mining lease cost of production for such mineral.

(3) A mining lease may contain such other conditions as the State Government may deem necessary in regard to the following, namely:

(a) the time-limit, mode and place of payment of rents and royalties;

(b) compensation for damage to land in respect of which the lease has been granted;

(c) restrictions regarding felling of trees on unoccupied and unreserved Government land;

(d) the restriction of surface operations in any area prohibited by any authority;

(e) the notice by lessee for surface occupation;

(f) the provision of proper weighing machines;

(g) facilities to be given by the lessee for working other minerals in the leased area or adjacent area;

(h) the entering and working in a reserved or protected forest;

(i) the securing of pits and shafts;

(j) the reporting of accidents;

(k) indemnity to Government against the claim of a third party for any damage, injury or disturbance caused to him by the lessee;

(l) the delivery of possession of lands and mines on the surrender, expiration or termination of the lease;

(m) the time limit for removal of mineral, ore, plant, machinery and other properties from the lease hold area after expiration, termination, surrender or abandonment of the mining lease;

(n) the forfeiture of property left after termination of the lease;

(o) the power to take possession of the plant, machinery, premises and mines in the event of war or emergency; and

(p) filing of civil suits or petitions relating to disputes arising out of the area under lease:

Provided that in case of a mining lease granted through auction, the State Government shall specify such conditions in the tender document for auction for grant of mining lease.

(4) The State Government may, either with the previous approval of the Central Government or at the instance of the Central Government, impose such further conditions as may be necessary in the interests of mineral development.

(5) The minimum area for grant of mining lease shall not be less than five hectares.

(6) When a mining lease is granted by the State Government, arrangements shall be made by the State Government at the expense of the lessee for the survey and demarcation of the area granted under the lease and survey of area leased shall be conducted by total station and differential global positioning system.

(7) Subject to the conditions mentioned in this rule, the lessee shall, with respect to the land leased to him, have the right for the purpose of mining operations on that land –

(a) to work the mines;

(b) to sink pits and shafts and construct buildings and roads;

(c) to erect plant and machinery;

(d) to quarry and obtain building and road materials and make bricks;

(e) to use water and take timber;

(f) to use land for stacking purpose;

(g) to do any other thing specified in the lease.

(8) If the lessee does not allow entry or inspection under clause (f), (g) or (h) of sub-rule (1), the State

Government shall give notice in writing to the lessee requiring him to show cause within such time as may be specified in the notice why the lease should not be terminated and his performance security forfeited; and if the lessee fails to show cause within the aforesaid time to the satisfaction of the State Government, the State Government may terminate the lease and forfeit the whole or part of the performance security.

(9) If the lessee holding a mining lease, is convicted of illegal mining and there are no interim orders of any court of law suspending the operation of the order of such conviction in appeals pending against such conviction in any court of law, the State Government may, without prejudice to any other proceedings that may be taken under the Act or the rules made thereunder, after giving such lessee an opportunity of being heard and for reasons to be recorded in writing and communicated to the lessee, terminate such mining lease and forfeit whole or part of the performance security.

(10) If the lessee makes any default in the payment of royalty as required under Section 9 or payment of dead rent as required under Section 9A or payment of monies as required under Section 9B or Section 9C or payments under Rule 13 of the Mineral (Auction) Rules, 2015 or commits a breach of any of the conditions specified in sub-rules (1), (2), (3), and (4), the State Government shall give notice to the lessee requiring him to pay the royalty or dead rent or remedy the breach, as the case may be, within sixty days from the date of the receipt of the notice and if the royalty or dead rent is not paid or the breach is not remedied within the said period, the State Government may, without prejudice to any other proceedings that may be taken against him, terminate the lease and forfeit the whole or part of the performance security.

## CHAPTER V: PREPARATION OF THE MINING PLAN AND SYSTEM OF CERTIFICATION

13. **Mining Plan..**— (1) No mining operations shall be undertaken except in accordance with a mining plan, which:

(a) has been approved by any officer of the Indian Bureau of Mines duly authorised in writing by the Controller General, Indian Bureau of Mines, pursuant to clause (b) of sub-section (2) of Section 5 and in accordance with rules 15, 16 and 17 of these rules; or

(b) is in accordance with the system established by the State Government for preparation, certification and monitoring of the mining plan pursuant to the proviso to clause (b) of sub-section (2) of Section 5.

(2) The mining plan shall incorporate:-

(a) the plan of the lease hold area showing the nature and extent of the mineral body, spot or spots where the mining operations are proposed to be based on the prospecting data gathered by the applicant or any other person;

(b) details of the geology and lithology of the area including mineral resources and reserves of the area;

(c) details of proposed exploration programme;

(d) the details of mode of mining operation indicating method of excavation, drilling and blasting, handling of waste and mineral rejects, use of mineral and beneficiation of minerals, site-services, employment-potential;

(e) environment management plan indicating baseline information, impact assessment and mitigation measures;

(f) a tentative scheme of mining and annual programme and plan for excavation from year to year for five years;

(g) a tentative estimate about accretion of mine waste and its manner and mode of disposal and confinement;

(h) manner of mineral processing and mineral up-gradation, if any, including mode of tailing disposal;

(i) a progressive mine closure plan as defined in rules made under Section 18; and

(j) any other matter which the Central Government or the Indian Bureau of Mines may require the applicant to provide in the mining plan.

(3) The mining plan shall be made in accordance with a manual prepared by the Indian Bureau of Mines, in this regard.

14. **System to be established by the State Government for mining plan.**- (1) The system to be established by the State Government for preparation, certification and monitoring of the mining plan pursuant to the proviso to clause (b) of sub-section (2) of Section 5, shall be submitted to the Central Government for seeking its previous approval.

(2) The State Government shall seek the previous approval of the Central Government for any modification of the system approved by the Central Government under sub-rule (1).

(3) The Central Government shall dispose of, with or without modifications, the proposal received from the State Government for approval of the system referred in sub-rule (1) or modification of a system referred in sub-rule (2) above within a period of six months from the date of receipt of such a proposal:

Provided that the Central Government may revoke such approval for reasons to be recorded in writing and duly communicated to the State Government.

(4) The Central Government may periodically review but not later than five years the system established by the State Government in this regard.

15. **Preparation of Mining Plan.-** (1) Every mining plan under clause (b) of sub-section (2) of Section 5 shall be prepared by a person having the following qualifications and experience:

(a) a degree in mining engineering or a post-graduate degree in geology granted by a university established or incorporated by or under a Central Act, a Provincial Act or a State Act, including any institutions recognised by the University Grants Commission under Section 4 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956) or any equivalent qualification granted by any university or institution outside India and recognised by Government of India; and

(b) professional experience of five years of working in a supervisory capacity in the field of mining after obtaining the degree.

(2) Modifications to a mining plan shall be carried out by a person qualified to prepare a mining plan.

(3) It shall be the obligation of the lessee to ensure that the mining plan is prepared in accordance with the manual prescribed by the Indian Bureau of Mines in this regard.

(4) Preparation and modification of a mining plan as referred to in clause (b) of sub-rule (1) of rule 13 of these rules shall be done in accordance with the system approved by the Central Government under sub-rule (3) of rule 14 of these rules.

16. **Procedure for approval of the Mining Plan.-** (1) The mining plan shall be submitted to the officer specified in clause (a) of sub-rule (1) of rule 13.

(2) Every mining plan submitted for approval under sub-rule (1) shall be accompanied by such fee as may be specified by the Indian Bureau of Mines.

(3) The Indian Bureau of Mines shall dispose of the application for approval of the mining plan within a period of ninety days from the date of receiving of such application:

Provided that the aforesaid period of ninety days shall be applicable only if the mining plan is complete in all respects, and in case of any modifications subsequently suggested by the Indian Bureau of Mines after the initial submission of the mining plan for approval, the said period shall be applicable from the date on which such modifications are carried out and submitted afresh to the approving authority of Indian Bureau of Mines.

(4) The approving authority of the mining plan may, by an order in writing, at any time direct modification of the mining plan or impose such conditions in the mining plan as it may consider necessary.

(5) Any person aggrieved by any order made or direction issued in respect of mining plan by an officer of the Indian Bureau of Mines competent to approve mining plans other than the Chief Controller of Mines, Indian Bureau of Mines may within thirty days of the communication of such order or direction, apply to the authority to whom the said officer is immediately subordinate, for the revision of the order or direction:

Provided that any such application may be entertained after the said period of thirty days if the applicant satisfies the authority that he had sufficient cause for not making the application within time.

(6) On receipt of any application for revision under sub-rule (5), the authority shall give the aggrieved person a reasonable opportunity of being heard and may, within three months, confirm, modify or set aside the order made or direction issued.

(7) Any person aggrieved by an order made or direction issued by the Chief Controller of Mines, Indian Bureau of Mines, concerning approval of mining plan may within thirty days of the communication of such order or direction, apply to the Controller General, Indian Bureau of Mines for a revision of such order or direction and his decision thereon shall be final:

Provided that any such application may be entertained after the said period of thirty days, if the applicant satisfies the Controller General, Indian Bureau of Mines that he had sufficient cause for not making the application in time.

(8) On receipt of an application under sub-rule (7), the Controller General, Indian Bureau of Mines may confirm, modify or set aside the order or direction issued by the Chief Controller of Mines, Indian Bureau of

Mines within a period of ninety days from the date of receipt of such application.

17. **Modification and review of the mining plan.-** (1) The mining plan once approved shall be subject to review and updatation at an interval of every five years starting from the date of execution of the duly executed mining lease deed.

(2) At least one hundred eighty days before the expiry of every five years period specified in sub-rule (1), the lessee shall submit a mining plan for mining operations for a period of five subsequent years prepared in accordance with rule 15, which shall be disposed of in accordance with rule 16.

(3) A holder of a mining lease may seek modifications in the approved mining plan as are considered expedient, keeping in view changes in the business environment, or for facilitating increase in production capacity, or in the interest of safe and scientific mining, conservation of minerals, for the protection of environment; or any other reason to be specified in writing by the holder of a mining lease. Any modification to a mining plan shall be approved by the approving authority that approved the initial mining plan.

(4) In case of modifications to a mining plan, the provisions of rule 16 shall apply *mutatis mutandis*.

(5) In case of a system established by the State Government, the modification of mining plan shall be in accordance with such system.

## CHAPTER VI: EXPIRY OF A MINING LEASE

18. **Auction post expiry of a mining lease.-** On the expiry of the lease period, the mining lease shall be put up for auction as per the procedure specified in the Act and rules made thereunder.

19. **Right of first refusal.-** (1) The holder of a mining lease granted for captive purpose shall have the right of first refusal at the time of auction held for such lease after the expiry of the lease period in the following manner:

(a) to be eligible to exercise the right of first refusal, the lessee shall comply with the conditions of the mining lease, the Act and the rules made thereunder till its expiry;

(b) prior to publication of the notice inviting tender, the State Government shall give a notice to the lessee requiring the lessee to specify his willingness or non-willingness to exercise the right of first refusal in writing, within a period of thirty days of receipt of such notice;

(c) the notice inviting tender shall specify that the lessee holding the lease prior to expiry of the mining lease has the right of first refusal and shall also specify his willingness or non-willingness specified pursuant to sub-clause (b), if any;

(d) upon conclusion of the second round of auction, the State Government shall issue a notice to the lessee seeking written confirmation of his willingness to exercise the right of first refusal within a period of seven days of conclusion of the second round of auction;

(e) the notice given under clause (d) shall be acknowledged by the lessee and who shall, within a period of fifteen days of receipt of the notice issued under clause (d), exercise the right of first refusal in writing to the State Government, failing which it shall be construed that the lessee is not desirous of exercising the right of first refusal and the preferred bidder shall be entitled to a mining lease in the manner provided in the Mineral (Auction) Rules, 2015; and

(f) if the lessee exercises the right of first refusal in terms of clause (e) and matches the highest final offer price, the lessee shall deemed to be the preferred bidder in place of the earlier preferred bidder declared after the second round of auction and shall be entitled to the mining lease in the manner provided in the Mineral (Auction) Rules, 2015.

## CHAPTER VII: LAPSE, SURRENDER OR TERMINATION

20. **Lapsing of the mining lease.-** (1) Subject to the conditions of this rule where mining operations are not commenced within a period of two years from the date of execution of the mining lease, or is discontinued for a continuous period of two years after commencement of such operations, the mining lease shall lapse.

(2) The lapsing of a mining lease shall be recorded through an order issued by the State Government and shall also be communicated to the lessee.

(3) Where a lessee is unable to commence the mining operations within a period of two years from the date of execution of the mining lease or discontinuation of mining operations for reasons beyond his control, he may submit an application to the State Government, explaining the reasons for the same, at least three months before the expiry of such period of two years:

Provided where the lessee has failed to make the application within the time stipulated above, the lease shall lapse on expiry of the period of two years.

(4) Application made under sub-rule (3) shall specify in detail:

(a) the reasons on account of which it will not be possible for the lessee to undertake mining operations or continue such operations;

(b) the manner in which such reasons are beyond the control of the lessee; and

(c) the steps that have been taken by the lessee to mitigate the impact of such reasons.

(5) Every application under sub-rule (3) shall be accompanied by a fee of rupees one lakh.

(6) The State Government shall, after examining the adequacy and genuineness of the reasons for the non-commencement of mining operations or discontinuance thereof, pass an order, within a period of three months from the date of receipt of the application made under sub-rule (3) or the date on which the mining lease would have otherwise lapsed, whichever is earlier, either granting or rejecting such request:

Provided that such mining lease shall lapse on failure to undertake mining operations or inability to continue the same before the end of a period of six months from the date of the order of the State Government communicating that the lease has not lapsed.

(7) The State Government may, on an application made by the holder of a mining lease submitted within a period of six months from the date of its lapse and on being satisfied about the adequacy and genuineness of the reasons for non-commencement of mining operations or discontinuance thereof was beyond the control of the holder of the mining lease, revive the mining lease within a period of three months from the date of receiving the application from such prospective or retrospective date as it thinks fit but not earlier than the date of lapse of the mining lease:

Provided that no mining lease shall be revived for more than twice during the entire period of the mining lease.

(8) Application made under sub-rule (7) for revival of the mining lease shall specify in detail:

(a) the reasons on account of which the lessee failed to undertake mining operations or continue such operations;

(b) the manner in which such reasons are beyond the control of the lessee; and

(c) the steps that have been taken by the lessee to mitigate the impact of such reasons.

Provided that the State Government may seek such additional information, documents or clarifications with respect to the application as it may require.

(9) Every application under sub-rule (7) shall be accompanied by a fee of rupees one lakh.

(10) The State Government shall have the right to enforce the performance security of the lessee to carry out protective, reclamation and rehabilitation measures in the leased area of the mining lease which has lapsed.

(11) The lessee shall pay any expenditure over and above the performance security incurred by the State Government, towards protective, reclamation and rehabilitation measures in the leased area of the mining lease which has lapsed.

21. **Surrender of the mining lease.-** (1) The lessee may make an application for surrender of the entire area of the mining lease after giving a notice in writing of not less than twelve calendar months from the intended date of surrender. Such application shall be accompanied by an approved final mine closure plan:

Provided that the lessee may make an application for surrender of a part of the area under mining lease only in case the lessee has been unable to obtain forest clearance for such area and in such cases, the minimum area of the mining lease shall stand adjusted accordingly.

(2) The State Government shall allow surrender of a mining lease under sub-rule (1) if the following conditions are satisfied:

(a) the lessee has submitted documents to evidence implementation of the approved final mine closure plan; and

(b) all dues with respect to the mining lease have been settled.

(3) In case of surrender of the entire area of the mining lease, the performance security provided by the lessee shall be forfeited.

(4) The lessee shall pay any expenditure over and above the performance security incurred by the State Government, towards protective, reclamation and rehabilitation measures in the leased area of the mining lease which has been surrendered.

22. **Termination.**- In the event of termination of a mining lease under the provisions of sub-section (1) of Section 4A, or sub-rules (8), (9) and sub-rule (10) of rule 12, or sub-rule (11) of rule 23, rule 24 or sub-rule (2) of rule 61 of these rules, the State Government shall have the right to enforce the performance security of the lessee to carry out protective, reclamation and rehabilitation measures in the area.

(2) The lessee shall pay any expenditure over and above the performance security incurred by the State Government, towards protective, reclamation and rehabilitation measures in the leased area of the mining lease which has been terminated.

## CHAPTER VIII: TRANSFERS

23. **Transfer of mining lease or prospecting licence-cum-mining lease granted through auction.**- (1) Where a prospecting licence-cum-mining lease or a mining lease has been granted through auction, the holder of such concession (**the transferor**) may transfer such concession in the manner specified in this rule.

(2) The holder of a mining lease or prospecting licence-cum-mining lease which has been granted only through auction may transfer his mining lease or prospecting licence-cum-mining lease, as the case may be, to any person eligible to hold a mining lease or prospecting licence-cum-mining lease in accordance with the Act and the rules made thereunder (the transferee) with the previous approval of the State Government.

(3) The transferor and the transferee shall, prior to the transfer, jointly submit an application to the State Government in the format specified in **Schedule IX**, namely the "transfer application", which shall also contain details of the consideration payable by the transferee for the transfer, including the consideration in respect of the prospecting operations already undertaken and the reports and data generated during the operations.

(4) The State Government within a period of ninety days from the date of receiving a transfer application made under sub-rule (3) shall convey its decision to approve or reject such transfer for reasons to be recorded in writing:

Provided that if the State Government does not convey its decision for such a transfer, within a period of ninety days from the date of receiving such a transfer application, it shall be construed that the State Government has no objection to such transfer:

Provided further that no such transfer of a mining lease or of a prospecting licence-cum-mining lease shall be made in contravention of any condition subject to which the mining lease or the prospecting licence-cum-mining lease was granted.

(5) All transfers effected under this rule shall be subject to the condition that the transferee has accepted all the conditions and liabilities under any law for the time being in force which the transferor was subject to in respect of such a mining lease or prospecting licence-cum-mining lease, as the case may be.

(6) On and from the transfer date, the transferee shall be liable towards the State Government and Central Government with respect to any and all liabilities with respect to the transferable concession.

(7) The transferor and the transferee shall jointly submit a duly registered deed in the format specified in **Schedule X**, or a format as near thereto as possible, namely the "transfer deed", within a period of thirty days from the date of (i) receipt of a letter of approval from the State Government as specified in sub-rule (4); or (ii) expiry of period after which it is construed that the State Government has no objection to such transfer pursuant to the first proviso to sub-rule (4), as the case may be.

(8) If a duly registered transfer deed is not submitted to the State Government in pursuance to sub-rule (7), then transfer application made under sub-rule (3) shall become ineligible.

(9) The date of commencement of the transfer deed shall be the date on which a duly executed transfer deed is registered.

(10) The State Government shall intimate the Indian Bureau of Mines in writing about any transfer of a transferable concession.

(11) The State Government may, by an order in writing terminate any mining lease or prospecting licence-cum-mining lease, as the case may be, at any time if the lessee has, in the opinion of the State Government, committed a breach of any of the provisions of this rule or has transferred such lease or any right, title, or interest therein otherwise in accordance with this rule:

Provided that no such order shall be made without giving the lessee a reasonable opportunity of stating his case.

24. **Termination of mineral concession not granted through auction which is in violation of transfer norms.**- Where the holder of a mineral concession which has been granted otherwise than through auction is found to have,-

(a) transferred the mineral concession, or any right, title or interest therein, including by way of assignment, sublet or mortgage, or

(b) entered into or made any arrangement, contract or understanding whereby the mineral concession holder will or may be directly or indirectly financed to a substantial extent by, or under which the operations or undertakings of the holder of the mineral concession will or may be substantially controlled by, or under which the mineral will or may be supplied, delivered or sold at substantially lower than the fair market value thereof to, or under which the sale price or profit will or may be shared with, or under which significantly higher amount(s) than the normal industry norms will or may be paid for any operation(s) to, any person or body of persons other than the holder of the mineral concession,

the State Government may, by order in writing, terminate such mineral concession:

Provided that no such order shall be made without giving the holder of mineral concession a reasonable opportunity of stating his case.

Provided further that the transfer of the mineral concession taken place or the arrangement, contract or understanding entered into with the previous consent in writing of the state government before 12th January, 2015 i.e. the coming into force of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2015 shall not be liable for any action under this rule.

25. **Encumbrance and enforcement of security interest.-** (1) A person holding a transferable concession as provided in rule 23 shall be free to create any encumbrance over the transferable concession.

(2) In the event of enforcement of security interest with respect to such encumbrance, the mineral concession shall be assigned only to such transferee who meets all the eligibility conditions which were required to be met by the transferor for grant of the mineral concession and in the manner as specified under rule 23:

Provided that in such cases the creditors enforcing the security interest may submit the transfer application on behalf of the transferee.

(3) No encumbrance shall be created over a mineral concession other than a transferable concession.

## CHAPTER IX: PROCEDURE FOR OBTAINING A PROSPECTING LICENCE OR MINING LEASE IN RESPECT OF LAND IN WHICH THE MINERALS VEST IN A PERSON OTHER THAN THE GOVERNMENT

26. **Applicability of this chapter.-** The provisions of this chapter shall apply only to the grant of prospecting licences and mining leases in respect of lands in which the minerals vest exclusively in a person other than the Government.

27. **Order of the State Government.-** (1) Any person claiming to be the owner of a land and desiring to grant a prospecting licence or mining lease, as the case may be, with respect to the said land shall make an application to the State Government for authorising grant of a prospecting licence or mining lease, as the case may be.

(2) The application shall be accompanied by documentary evidence to confirm that mineral rights vest in the applicant and the applicant is the owner of the land in respect of which the prospecting licence or mining lease, as the case may be, is proposed to be granted.

(3) The State Government shall, upon satisfying itself of the bona fides of the applicant, pass an order, in writing, within a period of ninety days from the date of receiving the application made under sub-rule (1), rejecting the application or authorising the applicant to grant a prospecting licence or mining lease, as the case may be, with respect to such land.

28. **Conditions of prospecting licence.-** Every prospecting licence granted pursuant to rule 27 shall be subject to such conditions as may be agreed upon in writing between the grantor of the licence and the licencee.

29. **Conditions of mining lease.-** Every mining lease granted pursuant to rule 27 shall be subject to such conditions as may be agreed upon in writing between the grantor of the lease and the lessee:

Provided that the lessee shall be obligated to:

(a) comply with the provisions of the rules made under Section 18;

(b) comply with the provisions of Chapter V regarding preparation of a mining plan and system of certification;

(c) operate the mine in accordance with the mining plan; and

(d) provide the State Government with a security deposit of the value of rupees five lakhs per hectare, as security for ensuring compliance with the mine closure plan.

30. **Submission of copy of licence or lease.-** Every person obtaining a prospecting licence or a mining lease under this Chapter IX shall, within three months of the grant of such licence or lease, as the case may be, submit to the State Government concerned, a certified copy of the licence or lease in duplicate.

31. **Communication of transfer or assignment.-** Every transferee or assignee of a prospecting licence or a mining lease or of any right, title or interest therein shall, within one month of such transfer or assignment, inform the State Government of the transfer or assignment and of the terms and conditions of such transfer and assignment

.

32. **Prohibition of working of mines.-** If the State Government has reason to believe that the grant or transfer of a prospecting licence or a mining lease or any right, title or interest in such licence or lease is in contravention of any of the provisions of this Chapter IX, the State Government may, after giving the parties an opportunity to represent their views and with the approval of the Central Government, direct the parties concerned not to undertake any prospecting or mining operations in the area to which the licence or lease relates.

33. **Returns and statements.-** The holder of a prospecting licence or a mining lease shall furnish to the State Government such returns and statements and within such period as may be specified as per the rules made under Section 18.

34. **Penalty.-** In the event that any prospecting licence or mining lease is granted in contravention of the provisions of this Chapter IX, the grantor of the licence or lease shall be liable to be penalized under the provisions of rule 54.

## CHAPTER X: REVISION

35. **Application for revision.-** (1) Any person aggrieved by:

(a) any order made by the State Government or other authority in exercise of the powers conferred on it by or under the Act or the rules made thereunder; or

(b) non-passing of any order by the State Government or other authority in exercise of the powers conferred on it by or under the Act or the rules made thereunder, within the time prescribed therefor

may, within three months of (i) the date of communication of the order to him; or (ii) the date on which the time period for passing such order expired, apply to the Central Government in the form specified in **Schedule XI** for passing of an order, pursuant to Section 30.

(2) The application should be accompanied by a bank draft for rupees ten thousand as application fee drawn on a Scheduled bank in the name of 'Pay and Accounts Officer, Ministry of Mines' payable at New Delhi or by way of a bank transfer to the designated bank account of the Ministry of Mines:

Provided that any such application may be entertained after the said period of three months if the applicant satisfies the Central Government that he had sufficient cause for not making the application within time.

(3) In every application under sub-rule (1) against the order of a State Government refusing to grant a mineral concession, any person to whom a mineral concession was granted in respect of the same area or for a part thereof, shall be impleaded as party.

(4) The applicant shall, along with the application under sub-rule (1), submit as many copies thereof as there are parties impleaded under sub-rule (3).

(5) On receipt of the application and copies thereof, the Central Government shall send a copy of the application to each of the parties impleaded under sub-rule (3) specifying a date on or before which he may make his representations, if any, against the revision application:

Provided that in case where the revision application has been filed for the reason that no order has been passed by the State Government within the time prescribed therefor, the Central Government shall before passing an order give the State Government an opportunity of being heard or to represent in the matter.

36. **Orders on revision application**:- (1) On receipt of an application for revision under rule 35, copies thereof shall be sent to the State Government or other authority and to all the impleaded parties calling upon them to make such comments as they may like to make within three months from the date of issue of the communication, and the State Government or other authority and the impleaded parties, while furnishing comments to the Central Government shall simultaneously endorse a copy of the comments to the other parties.

(2) Comments received from any party under sub-rule (1) shall be sent to the other parties for making such further comments as they may like to make within one month from the date of issue of the communication and the parties making further comments shall send them to all the other parties.

(3) The revision application, the communications containing comments and counter-comments referred to

in sub-rule (1) and (2) shall constitute the records of the case.

(4) After considering the records referred to in sub-rule (3), the Central Government may confirm, modify or set aside the order or pass such other order in relation thereto as the Central Government may deem just and proper.

(5) Notwithstanding anything contained in this rule, the Central Government may for sufficient cause, pending the final disposal of an application for revision, stay the execution of the order against which any revision application has been made.

## CHAPTER XI: ASSOCIATED MINERALS

37. **Associated minerals.-** The following shall be the group of associated minerals for the purposes of Section 6 namely:-

(a) Apatite, Beryl, Cassiterite, Columbite, Emerald, Felspar, Lepidolite, Pitchblende, Samarskite, Scheelite, Topaz, Tantalite, Tourmaline.

(b) Iron, Manganese, Titanium, Vanadium and Nickel minerals.

(c) Lead, Zinc, Copper, Cadmium, Arsenic, Antimony, Bismuth, Cobalt, Nickel, Molybdenum and Uranium minerals, and Gold and Silver, Arsenopyrite, Chalcopyrite, Pyrite, Pyrrhotite and Pentlandite.

(d) Chromium, Osmiridium, Platinum and Nickel minerals.

(e) Kyanite, Sillimanite, Corundum, Dumortierite and Topaz.

(f) Gold, Silver, Tellurium, Selenium and Pyrite.

(g) Fluorite, Chalcocite, Selenium and minerals of Zinc, Lead and Silver.

(h) Tin and Tungsten minerals.

(i) Limestone and Magnesite.

(j) Ilmenite, Monazite, Zircon, Rutile, Leucoxene, Garnet and Sillimanite.

(k) Sulphides of Copper and Iron.

(l) Magnetite and Apatite.

(m) Magnesite and Chromite.

(n) Celesite and Phosphatic Nodules.

## CHAPTER XII: MINERALS VALUATION

38. **Sale Value.-** Sale value is the gross amount payable by the purchaser as indicated in the sale invoice where the sale transaction is on an arms' length basis and the price is the sole consideration for the sale, excluding taxes, if any.

*Explanation* For the purpose of computing sale value no deduction from the gross amount will be made in respect of royalty, payments to the District Mineral Foundation and payments to the National Mineral Exploration Trust.

39. **Payment of royalty.-**(1) In case processing of run-of-mine is carried out within the leased area, then royalty shall be chargeable on the processed mineral removed from the leased area.

(2) In case run-of-mine is removed from the leased area to a processing plant which is located outside the leased area, then royalty shall be chargeable on the unprocessed run-of-mine and not on the processed product.

(3) Wherever the Act specifies that the royalty in respect of any mineral is to be paid on an *Ad valorem* basis, the royalty shall be calculated at the specified percentage of the average sale price of such mineral grade concentrate, for the month of removal/consumption, as published by the Indian Bureau of Mines.

(4) Wherever the Act specifies that the royalty in respect of any mineral is to be paid based on London Metal Exchange or London Bullion Market Association price, the royalty shall be calculated at the specified percentage of the average sale price of the metal for the month as published by the Indian Bureau of Mines, for the metal contained in the ore removed or the total by-product metal actually produced, as the case may be, of such mineral for the month.

(5) Wherever the Act specifies that the royalty of any mineral is to be paid on tonnage basis, the royalty shall be calculated as product of mineral removed or consumed from the lease area and the specified rate of royalty.

40. **Provisional Assessment and Adjustment.-** (1) At the time of removal or consumption of mineral from the mining lease area, the lessee shall calculate the amount of Royalty, payment to the District Mineral Foundation, payment to the National Mineral Exploration Trust, based on the latest available average sale price of the said mineral grade and pay the same to the Government as provisional payment for the same.

(2) After the publication of the Average Sale Price of the Minerals for the month by the Indian Bureau of Mines, due adjustment of the actual amounts payable against the provisional payment may be made:

Provided that if for a particular mineral grade/concentrate, the average sale price for a State for a particular month is not published by the Indian Bureau of Mines, the last available information published for that mineral grade/concentrate for that particular State by the Indian Bureau of Mines in the last six months previous to the month for which assessment is done shall be used, failing which the latest information for All India for the mineral grade/concentrate, shall be used.

41. **Royalty chargeable on dry basis.-** (1) In case of metallic ores where the royalty is chargeable on the metal contained in such ore, the royalty shall be charged on dry basis on the prices published by London Metal Exchange or London Bullion Market Association.

42. **Computation of average sale price.-** (1) The ex-mine price shall be used to compute average sale price of mineral grade/ concentrate.

(2) The ex-mine price of mineral grade or concentrate shall be:

(a) where export has occurred, the free-on-board (F.O.B) price of the mineral less the actual expenditure incurred beyond the mining lease area towards transportation charges by road, loading and unloading charges, railway freight (if applicable), port handling charges/export duty, charges for sampling and analysis, rent for the plot at the stocking yard, handling charges in port, charges for stevedoring and trimming, any other incidental charges incurred outside the mining lease area as notified by the Indian Bureau of Mines from time-to-time, divided by the total quantity exported.

(b) where domestic sale has occurred, sale value of the mineral less the actual expenditure incurred towards transportation, loading, unloading, rent for the plot at the stocking yard, charges for sampling and analysis and any other charges beyond mining lease area as notified by the Indian Bureau of Mines from time-to-time, divided by the total quantity sold.

(c) where sale has occurred, between related parties and/or where the sale is not on arms' length basis, then such sale shall not be recognized as a sale for the purpose of this rule and in such case, sub-clause (d) shall be applicable.

(d) where sale has not occurred, the average sale price published monthly by the Indian Bureau of Mines for that mineral grade/concentrate for a particular State:

Provided that if for a particular mineral grade/concentrate, the information for a State for a particular month is not published by the Indian Bureau of Mines, the last available information published for that mineral grade/concentrate for that particular State by the Indian Bureau of Mines in the last six months previous to the reporting month shall be used, failing which the latest information for All India for the mineral grade/concentrate, shall be used.

(3) The average sale price of any mineral grade/concentrate in respect of a month shall be the weighted average of the ex-mine prices of the non-captive mines, computed in accordance with the above provisions, the weight being the quantity dispatched from the mining lease area of mineral grade/concentrate relevant to each ex-mine price.

43. **Publication of average sale price.-** The Indian Bureau of Mines shall publish the average sale price of each mineral grade/concentrate removed from the mining leases in a month in a State within 45 days from the due date for filing the monthly returns as required under the Mineral Concession Development Rules, 1988.

44. **Average sale price of metal.-** The Indian Bureau of Mines shall publish every month, the average sale price of the metal in Indian Rupees in the manner specified below.

(i) In respect of Aluminium, Copper, Lead, Nickel, Tin, and Zinc, the settlement price of London Metal Exchange for the said metals available during all the days of the month shall be multiplied by the reference rate, for the day, of the Reserve Bank of India, for the currency in which the price is obtained.

(ii) In respect of Gold and Silver, the London Bullion Market Association auction price shall be taken.

(iii) Where the Reserve Bank of India reference rate is not available for any day on which the London Metal Exchange/London Bullion Market Association price is available, the Reserve Bank of India reference rate for the immediately preceding day shall be used.

(iv) The simple average for the month of the daily prices of the metal worked out in Indian Rupees as specified above shall be published by the Indian Bureau of Mines as the average sale price of the said metal for that month.

45. **Formula for calculating average sale price for metallurgical grade Bauxite to be used in alumina and aluminium extraction, Limestone, Tungsten.-** (1) The State Government shall arrive at the average sale price of metallurgical Bauxite in the following manner:

Average sale Price = 52.9/100 x Percentage of $Al_2O_3$ in bauxite on dry basis x Average aluminium price in Indian rupee for the month as published by IBM

(2) The following procedure shall be used by IBM for publishing the average sale price of Limestone:

(a) Weighted average of non-captive prices computed for all India for the month; or

(b) 115% of the weighted average captive prices for the State for the month,

whichever is higher.

(3) The following procedure be used by IBM for publishing the average sale price of Tungsten concentrate:

$$\text{Average Sale Price} = \frac{\text{Lowest price of } WO_3 \text{ per metric tonne for the month} + \text{Highest price of } WO_3 \text{ per metric tonne for the month}}{2} \times \text{Average of RBI Reference rates for the month}$$

The monthly prices available in Mineral Industry Surveys of USGS shall be taken by the IBM for compiling the average sale price of tungsten concentrate.

46. **Average sale price in respect of run-of- mine.-** (1) Based on such geological studies as may be deemed to be necessary and the data/information furnished in the Mining Plan by the lessee, the Indian Bureau of Mines shall establish the average percentages of lumps and fines present in run-of-mine for a State. Such average percentage of lumps and fines may be revised by Indian Bureau of Mines as and when found necessary.

(2) The Indian Bureau of Mines shall publish the data sources and methodology used for arriving at such average percentages in respect of any mineral.

(3) Using the average percentage of lumps and fines and the average sale prices of lumps and fines of that mineral grade for the month, the Indian Bureau of Mines shall publish the average sale price of all grades of run-of-mine, wherever required, for each State every month.

47. **Power to issue directions by Controller General.-** Controller General of Indian Bureau of Mines may issue necessary directions, as and when required, to give effect to the provisions of this chapter.

## CHAPTER XIII: PAYMENTS

48. **How the fees and deposit to be made**:- Any amount payable under the Act or rules made thereunder except that payable in respect of revision petition under sub-rule (2) of rule 35, shall be paid in such manner as the State Government may specify in this behalf.

49. **Payment of interest.-** The State Government may, without prejudice to the provisions contained in the Act or rules made thereunder, charge simple interest at the rate of 24% per annum on any rent, royalty or fee other than the fee payable under sub-rule (2) of rule 35 or other sum due to that Government under the Act or rules made thereunder or terms and conditions of any mineral concession from the sixtieth day of the expiry of the date fixed by that Government for payment of such royalty, rent, fee or other sum and until payment of such royalty, rent, fee or other sum is made.

50. **Payments under Section 9B and Section 9C.-** In addition to the payments specified herein, the holder of a mining lease or a prospecting licence-cum-mining lease shall be required to pay monies to the District Mineral Foundation and the National Mineral Exploration Trust in accordance with the provisions of Section 9B and Section 9C respectively, and the rules in relation thereto.

51. **Payments under Rule 13 of the Mineral (Auction) Rules, 2015.**- In addition to the payments specified herein, the holder of a mining lease or a prospecting licence-cum-mining lease shall be required to pay the applicable amount quoted under Rule 8 of the Mineral (Auction) Rules, 2015 to the State Government on a monthly basis.

## CHAPTER XIV: COMPENSATION

52. **Payment of compensation to owner of surface rights etc.**- (1) The holder of a mineral concession shall be liable to pay to the occupier of the surface of the land over which he holds the concession, such annual compensation as may be determined by an officer appointed by the State Government by notification in this behalf in the manner provided in sub-rules (2) to (4).

(2) In the case of agricultural land, the amount of annual compensation shall be worked out on the basis of the average annual net income from the cultivation of similar land for the previous three years.

(3) In the case of non-agricultural land, the amount of annual compensation shall be worked out on the basis of average annual letting value of similar land for the previous three years.

(4) The annual compensation referred to in sub-rule (1) shall be payable on or before such date as may be specified by the State Government in this behalf.

53. **Assessment of compensation for damage.**- (1) After the cessation of mining activities as a consequence of expiry, lapsing, surrender or termination of a mineral concession, the State Government shall assess the damage, if any, done to the land by the reconnaissance or prospecting or mining operations, as the case may be, and shall determine the amount of compensation payable by the mineral concession holder, as the case may be, to the occupier of the surface land.

(2) Every such assessment shall be made within a period of one year from the date of cessation of mining activities as a consequence of expiry, lapsing, surrender or termination of the mineral concession and shall be carried out by an officer appointed by the State Government by notification in this behalf.

## CHAPTER XV: PENALTY

54. **Penalty.**- Any contravention of any provision of these rules shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years or with fine which may extend to rupees five lakhs, or with both, and in the case of a continuing contravention, with additional fine which may extend to rupees fifty thousand for every day during which such contravention continues after conviction for the first such contravention.

## CHAPTER XVI: REPEAL AND SAVING

55. **Repeal and saving.**- (1) On the commencement of these rules, the Mineral Concession Rules, 1960 shall cease to be in force with respect to all minerals for which the Minerals (Other than Atomic and Hydrocarbons Energy Minerals) Concession Rules, 2015 are applicable, except as regards things, done or omitted to be done before such commencement.

(2) On the commencement of these rules, with respect to the minerals to which these rules apply, any reference to the Mineral Concession Rules, 1960 in the rules made under the Act or any other document shall be deemed to be replaced with Minerals (Other than Atomic and Hydrocarbons Energy Minerals) Concession Rules, 2015, to the extent it is not repugnant to the context thereof.

## CHAPTER XVII: MISCELLANEOUS

56. **Amalgamation of leases.**- The State Government may, in the interest of mineral development and with reasons to be recorded in writing, permit amalgamation of two or more adjoining leases held by a lessee:

Provided that the period of amalgamated leases shall be co-terminus with the lease whose period will expire first.

57. **Extent of area granted under a mineral concession.**- Extent of area granted under a mineral concession shall also include non-mineralised area required for all the activities falling under the definition of 'mine' as defined in clause (j) of sub-section (1) of Section 2 of the Mines Act, 1952 (35 of 1952).

58. **Power to rectify apparent mistakes.**- Any clerical or arithmetical mistake in any order passed by the Government or any other authority or officer under these rules and any error arising therein due to accidental slip or omission, may, within two years from the date of the order, be corrected by the Government, authority or officer, as the case may be:

Provided that no rectification order prejudicial to any person shall be passed unless such person has been given a reasonable opportunity of being heard.

59. **Copies of licences and leases and annual returns to be supplied to Government.**- (1) A copy of every mineral concession granted or renewed under the Act and rules made thereunder shall be supplied by each State

Government within two months of such grant or renewal to the Controller General, Indian Bureau of Mines and the Director General, Directorate General of Mines Safety.

(2) A consolidated annual return of all mineral concessions granted or renewed under the Act and rules made thereunder shall be supplied by each State Government to the Controller General, Indian Bureau of Mines in such form as may be specified by him, not later than the $30^{th}$ day of June following the year to which the return relates, a copy of which shall also be supplied by the State Government to the Director General, Directorate General of Mines Safety at the same time.

60. **Lessor to supply certain information to the lessee.**- Where any area has previously been held under a mineral concession, the person who was granted such concession shall make available to the new concession holder the original or certified copies of all plans including abandoned workings in that area.

61. **Change of name, nationality, etc. to be intimated.**- (1) An applicant for, or the holder of a mineral concession shall intimate to the State Government within sixty days any change that may take place in his name, nationality or other particulars furnished to the State Government.

(2) If the holder of a mineral concession fails without sufficient cause to furnish the information referred to in sub-rule (1), the State Government may impose a fine which may extend to five lakh rupees and in the case of continued contravention of the provisions of sub-rule (1) the State Government may terminate the mineral concession:

Provided that no such order shall be made without giving the concession holder a reasonable opportunity of stating his case.

62. **Previous approval of the Central Government or relaxation from the Central Government to be obtained through State Government.**- Where in any case, previous approval of the Central Government or relaxation from the Central Government is required under the Act or rules made thereunder, the application for such approval shall be made to the Central Government through the State Government.

63. **Facilities for training of students.**- (1) Every owner, agent or manager of a mine shall permit researchers or students of mining, geological and mineral processing institutions approved by the Central Government or State Government to conduct research or acquire practical training of the mines and plants operated by them and provide all necessary facilities required for the training of such students.

(2) Applications for research or training from students of institutions teaching mining, geology or mineral processing shall be forwarded to the owner, agent or manager of a mine through the Principal or Head of the Institution.

(3) Cases of refusal to provide facilities for research or practical training by any owner, agent or manager of a mine shall be referred to the Controller General, Indian Bureau of Mines for his decision within a period of thirty days.

64. **Geophysical data to be supplied to the Geological Survey of India and the Department of Atomic Energy.**- (1) A mineral concession holder shall furnish –

(a) all geophysical data relating to prospecting or mining fields or engineering and ground water surveys, such as anomaly maps, sections, plans, structures, contour maps, logging collected by him during the course of reconnaissance or prospecting or mining operations, to the Director General, Geological Survey of India, Calcutta and the Director of Geology and Mining of the State (by whatever name called) in which the reconnaissance or prospecting or mining operations are carried on.

(b) all information pertaining to incidental investigations of atomic minerals discovered and stacked by him during the course of reconnaissance or prospecting or mining operations to the Director, Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research, Hyderabad, and to the Director of Geology and Mining of the State (by whatever name called), in which the reconnaissance or prospecting or mining operations are carried on.

(2) Data or information referred to in sub-rule (1) shall be furnished every year reckoned from the date of commencement of the period of the mineral concession.

65. **Special provisions relating to atomic minerals.**- (1) Notwithstanding anything contained in the rules, the prospecting or mining operations shall be subject to following conditions:-

(a) if the holder of a mineral concession discovers any atomic mineral in the area granted under concession, not specified in the concession, discovery of such mineral shall be reported to the Director, Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research, Hyderabad within thirty days from the date of discovery of such mineral;

(b) the concession holder shall not win and dispose of such atomic mineral and the same shall be dealt with in the manner prescribed in the rules made under Section 11B;

(c) the quantities of atomic minerals recovered incidental to such prospecting/mining operations shall be collected and stacked separately and a report to that effect shall be sent to the Secretary, Department of Atomic Energy, Mumbai and the Director, Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research, Hyderabad every three months for such further action by the concession holder as may be directed by the Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research or the Department of Atomic Energy.

66. **Lease period for more than one mineral in an area.**- Where more than one mineral is found in an area granted through auction, the period of lease for all minerals shall be co-terminus with that for which the lease was originally granted.

67. **Issue of notification where prospecting operations are to be undertaken.**- (1) Where a prospecting operation is to be undertaken by the Geological Survey of India, the Indian Bureau of Mines, the Atomic Minerals Division of the Department of Atomic Energy of the Central Government, the Directorate of Mining and Geology of any State Government (by whatever name called), or the Mineral Exploration Corporation Limited, a Government Company within the meaning of clause (45) of Section 2 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), and any such entity that may be notified for this purpose by the Central Government, the State Government shall issue a notification in the official Gazette giving details of the area, and the period for which prospecting operations are to be undertaken.

(2) The State Government shall not grant any mineral concession to any other person for an area or a part thereof in relation to which a notification has been issued under sub-rule (1).

(3) The State Government may revoke a notification issued under sub-rule (1), if the prospecting operations have been completed before the expiry of the period stated in the notification.

68. **Prospecting or mining operation by State Governments.**- A State Government may, after prior consultation with the Central Government and in accordance with the rules made under Section 18, undertake reconnaissance, prospecting or mining operations of any mineral listed in Part C of the First Schedule to the Act in any area within that State which is not already held under any mineral concession:

Provided that in such a case the State Government shall issue a notification in the Official Gazette giving details of the area and the period for which such operations are proposed to be undertaken:

Provided further that, if the State Government fails to undertake reconnaissance, prospecting or mining operations within the period mentioned in the notification, the notification so issued shall lapse at the expiry of the said period unless the period is extended by a fresh notification.

69. **Boundaries below the surface.**- The boundaries of the area covered by a mining lease shall run vertically downwards below the surface towards the centre of the earth.

70. **Pending Applications.**- An application pending at the commencement of these rules, which is not inconsistent with the Act and rules made thereunder shall be disposed of in accordance with the provisions of these rules.

**SCHEDULE I**

[See rule 5(1)]

**FORMAT OF APPLICATION TO BE MADE BY A HOLDER OF A RECONNAISSANCE PERMIT FOR GRANT OF A PROSPECTING LICENCE**

To

[*Address*]

I/We request that a prospecting licence under these rules be granted to me/us.

| S. No. | Item Detail | Particulars |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | Name of applicant<br>(In case of a firm or other association of individuals, provide names of each person constituting the firm or the association of individuals, as the case may be.) | |
| 2. | Address of the applicant<br>(In case of a firm or other association of individuals, provide addresses of each person constituting the firm or the association of individuals, as the case may be.) | |
| 3. | Status of the applicant<br>• Individual | |

| | | |
|---|---|---|
| | • Firm<br>• Other association of individuals<br>• Company | |
| 4. | Reconnaissance permit number | |
| 5. | Date of execution of reconnaissance permit deed and the date when it is due to expire | |
| 6. | Application fee payable (to be calculated at the rate of rupees one thousand per square kilometre on a *pro rata* basis.) | |
| 7. | Name of bank, demand draft or challan number with date, through which application fee has been paid. | |
| 8. | Mineral (s) which the applicant intends to prospect | |
| 9. | Period for which prospecting licence is required | |
| 10. | Extent of the area for which prospecting licence is required (Hectares) | |
| 11. | Details of Area | |
| 11.1. | District | |
| 11.2. | Village | |
| 11.3. | Taluka | |
| 11.4. | Khasra No. | |
| 11.5. | Geo co-ordinates of the area | |
| 11.6. | Survey of India Toposheet number | |
| 12. | Where the land is not owned by the applicant, whether the applicant has obtained surface rights over the area or has obtained the consent of the owner for starting prospecting operations. | Yes/No |
| 13. | Does the area applied for, fall under forest area.<br>If yes, then the following particulars to be given: | Yes/No |
| 13.1. | Forest Division, Block and Range | |
| 13.2. | Legal status of the forest (namely reserved, protected, unclassified, etc.) | |
| 13.3. | Whether it forms part of a national park or wild-life sanctuary | |
| 13.4. | Enclose the forest map with area marked. If forest map is not available, the area should be marked on sketch plan drawn to scale showing all the forest features | |
| 14. | Particulars of the area mineral-wise in the State which the applicant individually or jointly: -<br>(a) holds under a prospecting licence or a prospecting licence-cum-mining lease;<br>(b) applied for a prospecting licence or a prospecting licence-cum-mining lease but not granted; and<br>(c) applied for prospecting licence or a prospecting licence-cum-mining lease simultaneously. | |
| 15. | Has the applicant carried out the reconnaissance operations over the area held under reconnaissance permit and prepared the geological report in conformity with the Minerals (Evidence of Mineral Contents) Rules, 2015? | Yes/No |
| 16. | Has the copy of geological report been attached with the application form? | Yes/No |
| 17. | Has the applicant committed any breach of the terms and conditions of the reconnaissance permit? | Yes/No |
| 18. | Has the applicant become ineligible under the provisions of the Act? | Yes/No |
| 19. | Has the applicant made an application within the time period specified in sub-clause (iv) of clause (b) of sub-section (2) of Section 10A of the Act? | Yes/No |
| 20. | Has the applicant been convicted for illegal mining by any court? | Yes/No |

I/We do hereby declare that the particulars furnished above are correct and am/are ready to furnish any other details including accurate plans and performance security, as may be required by you.

Yours faithfully,

Place:

Date:

Signature of the applicant

**Instructions to applicants:**

(a) The applicant must submit a valid clearance certificate in the form prescribed by the State Government of payment of mining dues, such as royalty or dead rent and surface rent payable under the Act or the rules made thereunder, if any, from that Government or any officer or authority by that Government in this behalf, along with the application;

Provided that in case the applicant is a firm or association of individuals, such certificate shall be furnished by all partners of the firm, or as the case may be, all members of the association of individuals:

Provided further that where a person has furnished an affidavit to the satisfaction of the State Government stating that he does not hold and has not held a prospecting licence or a prospecting licence-cum-mining lease or a mining lease, it shall not be necessary for him to produce the valid clearance certificate:

Provided also that the grant of a clearance certificate shall not discharge the holder of such certificate from the liability to pay the mining dues which may subsequently be found to be payable by him under the Act or the rules made thereunder.

(b) The application must be signed by a duly authorised representative of the applicant, in case the applicant is a company. In case the applicant is an individual, the applicant must personally sign the application. In case of a firm or association of individuals, all the persons constituting the firm or association of individuals shall sign the application.

(c) The corporate authorisation of the authorised signatory of the applicant (in case of a company) must be enclosed with the application. Any change in such corporate authorisation must be immediately intimated to the State Government.

## SCHEDULE II

[See rules 5(2), 6(2), 7(2), 8(1) and 10(2)]

### FORMAT OF ACKNOWLEDGMENT REGARDING RECEIPT OF AN APPLICATION

Government of [*name of the state*] [*date*]

Ref:

Received the application with the following enclosures for [*purpose of the application*] submitted by [*name and address of the applicant(s)*] on [*date of receipt of the application*].

Enclosures:

(1).........

(2).........

Place:

Date:

Signature and designation of Receiving Officer

## SCHEDULE III

[See rules 5(4) and 7(4)]

### FORMAT OF APPLICATION FOR SEEKING EXTENSION OF TIME FROM STATE GOVERNMENT FOR SUBMISSION OF AN APPLICATION FOR PROSPECTING LICENCE/ MINING LEASE BY AN EXISTING RECONNAISSANCE PERMIT HOLDER/ EXISTING PROSPECTING LICENCE HOLDER

To

[*Address*]

I/We request for seeking extension of time for applying my/our prospecting licence /mining lease.

| S. No | Item detail | Particulars |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | Name of applicant with address (In case of a firm or other association of individuals, provide names and address of each person constituting the firm or the association of individuals, as the case may be.) | |
| 2. | Reconnaissance permit/prospecting licence number | |
| 3. | Date of execution of reconnaissance permit/prospecting licence and the date on which it is due to expire | |
| 4. | Reason(s) for seeking extension of time for submission of the application for prospecting licence/mining lease | |
| 5. | Duration for which the extension is sought. | |

I/We do hereby declare that the particulars furnished above are correct and am/are ready to furnish any other details, as may be required by you.

Yours faithfully,

Place:

Date:

**Signature of the applicant**

**Instructions to applicants:**

(a) The application must be duly signed by an authorised representative of the applicant, in case the applicant is a company. In case the applicant is an individual, the applicant must personally sign the application. In case of a firm or association of individuals, all the persons constituting the firm or association of individuals shall sign the application.

(b) The corporate authorisation of the authorised signatory of the applicant (which is a company) must be enclosed with the application. Any change in such corporate authorisation must be immediately intimated to the State Government.

## SCHEDULE IV

[See rules 5(10)(c), 7(10)(b) and 8(3)(a)]

## FORMAT OF BANK GUARANTEE FOR PERFORMANCE SECURITY

[*Reference number of the bank*] [*Date*]

To

**The Governor of [Name of State]**
[*address*]

**WHEREAS**

A. **[Name]** incorporated in India under the Companies Act, [1956/2013] with corporate identity number [CIN of the Applicant], whose registered office is at [address of registered office], India and principal place of business is at [address of principal place of business, if different from registered office][1] (the "**Applicant**") is required to provide an unconditional and irrevocable bank guarantee for an amount equal to INR [*figures*] (Indian Rupees [*words*]) as a performance security valid until [*date of expiry of performance bank guarantee*] ("**Expiry Date**").

Mentioned only for companies, the format to include individuals/other applicants also

B. The Performance Security is required to be provided to **The Governor of [Name of State]**, (the "**State**") for discharge of certain obligations under the [*reference to the principal documents –prospecting licence/mining lease, mine development and production agreement*] dated, [*date*] with respect to [*particulars of concession*] (collectively the "**Concession Document**").

C. We, [***name of the bank***] (the "**Bank**") at the request of the Applicant do hereby undertake to pay to the State an amount not exceeding INR [*figures*] (Indian Rupees [*words*]) ("**Guarantee Amount**") to secure the obligations of the Applicant under the Concession Document on demand from the State on the terms and conditions herein contained herein.

**NOW THEREFORE**, the Bank hereby issues in favour of the State this irrevocable and unconditional payment bank guarantee (the "**Guarantee**") on behalf of the Applicant in the Guarantee Amount:

1. The Bank for the purpose hereof unconditionally and irrevocably undertakes to pay to the State without any demur, reservation, caveat, protest or recourse, immediately on receipt of first written demand from the State, a sum or sums (by way of one or more claims) not exceeding the Guarantee Amount in the aggregate without the State needing to prove or to show to the Bank grounds or reasons for such demand for the sum specified therein and notwithstanding any dispute or difference between the State and Applicant on any matter whatsoever. The Bank undertakes to pay to the State any money so demanded notwithstanding any dispute or disputes raised by the Applicant in any suit or proceeding pending before any court or tribunal relating thereto the Bank's liability under this present being absolute and unequivocal.

2. The Bank acknowledges that any such demand by the State of the amounts payable by the Bank to the State shall be final, binding and conclusive evidence in respect of the amounts payable by Applicant to the State under the Concession Document.

[1] Note: To be modified if the Applicant is not a company.